



## स्थानीय राजपत्र

सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, विराटचोक, मोरङद्वारा प्रकाशित

खण्ड : १०

सङ्ख्या : १

मिति : २०८३ असार २३

नगर सभाबाट पारित मिति : २०८३ असार १६

प्रमाणीकरण मिति : २०८३ असार २२

### भाग-१

## सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नगर सभाको १८ औं अधिवेशनले यो ऐन पारित गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

## सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३

**प्रस्तावना :** सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यो ऐनको नाम “सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०८३ साल श्रावण १ गतेदेखि सुन्दरहरैँचा नगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ ।

**२. सम्पत्ति कर :** (१) सुन्दरहरैँचा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको भौतिक संरचना र सो संरचनाले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको दर **अनुसूची-१** बमोजिम हुनेछ, जग्गाको मूल्याङ्कन **अनुसूची-१(क)**, संरचनाको मूल्याङ्कन **अनुसूची-१ (ख)** र संरचनाको बनौटको आधारमा हासकट्टी **अनुसूची-१(ग)** मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

**३. भूमिकर (मालपोत) :** (१) सुन्दरहरैँचा नगरपालिका क्षेत्रभित्र **अनुसूची-२** बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाई असुल गरिनेछ । दफा २ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाएको जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाइने छैन । तर बक्यौता मालपोत रकम भएमा सो रकम असुली गर्न बाधा पर्ने छैन ।

**४. घरजग्गा बहाल कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक रूपमा बहालमा दिएमा बहाल रकममा नियमानुसार बहाल कर लगाई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा बहाल कर असुलउपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने घरजग्गा बहाल करको दर तथा घरजग्गा बहालको न्यूनतम मूल्याङ्कन दर **अनुसूची-३** मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

**५. व्यवसाय कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा व्यवसायको प्रकृति, स्थान, पुँजी लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा व्यवसाय कर लगाई असुल गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिइने व्यवसाय करको दर **अनुसूची-४** मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

**६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडीमा र प्रचलित कनूनले विषेध गरेको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छालाजस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार (बिल वा बिजक वा लेनदेन गरे बापत **अनुसूची-५** बमोजिम जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिकाले व्यवसाय इजाजत दिँदा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोकी इजाजत दिनेछ ।

**७. सवारी साधन कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ । तर ई-रिक्सा लगायतका साना सवारी साधनमा नगरपालिकाले सवारी साधन कर लगाई असुलउपर गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले लगाउने भनी तोकिएका सवारी साधनहरूको दर्ता, नवीकरण, नामसारी र ठाउँसारी लगायतको करको दर **अनुसूची-६** बमोजिम हुनेछ ।

**८. विज्ञापन कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारका लागि राख् दिने साइनबोर्ड, होर्डिङबोर्ड स्टल लगायतमा **अनुसूची-७** बमोजिम विज्ञापन कर लगाई असुल गरिनेछ ।

**९. मनोरञ्जन कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सिनेमाहल, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर, सङ्गीत गृह, मनोरञ्जन स्थल, प्रदर्शन स्थल, जादु, सर्कस, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसायमा कोशी प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असुल गरिनेछ । त्यसरी सङ्कलन भएको रकम अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

**१०. बहाल बिटौरी शुल्क :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका **अनुसूची-८** मा उल्लेख भए अनुसारका हाट बजार, ऐलानी, पर्ती जग्गा, भवन वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्थाअनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

**११. पार्किङ शुल्क :** (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत पार्किङ अवधिको आधारमा **अनुसूची-९** मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा पार्किङ शुल्क लगाई असुल गरिनेछ ।

(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम तोकेको स्थानबाहेक अन्य स्थानमा सवारी पार्किङ गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।

(३) नगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्दा सवारी आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा गर्नेछ ।

**१२. सेवा शुल्क दस्तुर :** (१) नगरपालिकाले नेपालको संविधानको **अनुसूची-८** र **अनुसूची-९** बमोजिमका क्षेत्र र विषयमा आफूले पुर्‍याएको सेवा बापत असुली गर्ने शुल्क तथा दस्तुरको दर **अनुसूची-१०** बमोजिम हुनेछ ।

(२) नगरपालिकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर, औषधि पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन आदि सेवामा सेवा शुल्क दस्तुर तोकी असुली गरिनेछ ।

**१३. प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्री :** (१) नगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोतमध्ये आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तु एवम् सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर, बहत्तर आदिको बिक्री **अनुसूची-११** बमोजिम गर्नेछ ।

**१४. घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क :** (१) घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क कोशी प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम लगाइने र उठाइने छ ।

**१५. पर्यटन शुल्क :** (१) सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले आफूले निर्माण गरेका वा हस्तान्तरण भई आएका वा नगरपालिकाले लगानी गरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीय स्थलमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट नगरपालिकाको निर्णयानुसार पर्यटन शुल्क लगाई असुल गरिनेछ ।

**१६. ट्रेकिङ, कायोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जपप्लायर, प्याराग्लाइडिङ र च्यापिटिङ शुल्क :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कायोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जपप्लायर, प्याराग्लाइडिङ र च्यापिटिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत **अनुसूची-१२** अनुसारको शुल्क लगाई असुल गरिनेछ ।

**१७. सम्पत्ति, जग्गा तथा सवारी साधन बहाल कर :** (१) नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन तथा मेसिनरी साधनहरूको भाडादर **अनुसूची-१३** मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

**१८. कर तथा शुल्कमा छुट :** (१) नगरपालिकाले अनुसूची-१४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कर तथा शुल्कमा छुट तथा सहूलियत दिन सक्नेछ ।

(२) कर तथा शुल्कमा छुट तथा सहूलियतसम्बन्धी व्यवस्थामा सुन्दरहरैँचा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार थपघट तथा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

**१९. दण्ड जरिवाना :** (१) तोकिएको समयभित्र कर तथा शुल्क नबुझाउने तथा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले निषेध गरिएका कार्य गर्ने गराउने व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई अनुसूची-१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको जरिवाना गरिनेछ ।

(२) असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगरी न्यून रकम मात्र असुल गरेको पाइएमा असुल हुन बाँकी रकमको दोब्बर रकम न्यून रकम असुल गर्ने कर्मचारी वा आदेश दिने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ ।

**१९. (क) स्वघोषणा फाराम :** (१) भूमिकर मालपोत तथा सम्पत्ति करको स्वघोषणा फाराम अनुसूची-१६ मा भएबमोजिम हुनेछ ।

**१९. (ख) कृषि बालीको अनुमानित मूल्य र उत्पादन :** (१) सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको कृषि बालीको अनुमानित मूल्य र उत्पादन क्षमता अनुसूची-१७ बमोजिम हुनेछ ।

**२०. साविक बमोजिम हुने :** (१) यस ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयमा यसै बमोजिम र उल्लेख नभएका तर साविक असुल गरिँदै आएका विषयका हकमा साविकमा लिँदै आएका करका दरलाई आधार मानी कर असुली गरिनेछ ।

**२१. कर तथा शुल्कसम्बन्धी थप व्यवस्था :** (१) यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यको हकमा यस ऐनसँग नबाझिने गरी कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धमा सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गरी लागू गर्न सक्नेछ ।

**२२. कर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था :** (१) करदाताले यस ऐन बमोजिम कर बुझाउँदा तिर्नुपर्नेभन्दा बढी कर दाखिला गरेमा वा फरक विवरण परी कर दाखिला भएमा बढी वा फरक परेको रकम फिर्ता माग गर्न सक्नेछ । यसरी बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता माग गर्दा दाखिला भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । सो को विवरण सही देखिएमा कार्यालयले निवेदन परेको एक महिनाभित्र रकम फिर्ता दिने निर्णय गर्नुपर्नेछ । तर एक आर्थिक वर्षमा बढी दाखिला भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा फिर्ता माग गर्न पाइने छैन ।

**२३. नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने :** (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नगरपालिकाले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

**२४. यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने :** (१) यो ऐन जारी हुनुअघि भए गरेका व्यवस्थाहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

**२५. राजस्वको दररेट तय गर्ने :** आर्थिक ऐन, २०८३ ले व्यवस्था नगरेका विषय क्षेत्रमा कर/दस्तुर/शुल्क वा जरिवाना लिनुपर्ने भएमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाले तय गर्नेछ ।

**२६. बाधा अड्काउ फुकाउ :** (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा सुन्दरहरैँचा नगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई सो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार रहनेछ ।

**२७. खारेजी :** (१) साविकमा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरू यस ऐनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् ।

## अनुसूची-१

(ऐनको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## सम्पत्ति करको दर

| सि.नं. | विवरण                                              | करको दर रु. | कैफियत |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|--------|
| १      | १२ लाखसम्म                                         | १००।०       |        |
| २      | १२ लाख १ देखि २४ लाखसम्म                           | १६०।०       |        |
| ३      | २४ लाख १ देखि ३० लाखसम्म                           | २५०।०       |        |
| ४      | ३० लाख १ देखि ४८ लाखसम्म                           | ३५०।०       |        |
| ५      | ४८ लाख १ देखि ६० लाखसम्म                           | ५००।०       |        |
| ६      | ६० लाख १ देखि ७८ लाखसम्म                           | ७००।०       |        |
| ७      | ७८ लाख १ देखि ९० लाखसम्म                           | १,०००।०     |        |
| ८      | ९० लाख १ देखि १ करोड १४ लाखसम्म                    | १,५००।०     |        |
| ९      | १ करोड १४ लाख १ देखि १ करोड ३८ लाखसम्म             | २,५००।०     |        |
| १०     | १ करोड ३८ लाख १ देखि १ करोड ८० लाखसम्म             | ३,५००।०     |        |
| ११     | १ करोड ८० लाख १ देखि २ करोड १० लाखसम्म             | ४,५००।०     |        |
| १२     | २ करोड १० लाख १ देखि २ करोड ४० लाखसम्म             | ६,०००।०     |        |
| १३     | २ करोड ४० लाख १ देखि २ करोड ७० लाखसम्म             | ८,०००।०     |        |
| १४     | २ करोड ७० लाख १ देखि ३ करोड                        | १०,०००।०    |        |
| १५     | ३ करोड १ देखि ३ करोड ९० लाखसम्म                    | १४,०००।०    |        |
| १६     | ३ करोड ९० लाख १ देखि ४ करोड ८० लाखसम्म             | १६,०००।०    |        |
| १७     | ४ करोड ८० लाख १ देखि ५ करोड ७० लाखसम्म             | १८,०००।०    |        |
| १८     | ५ करोड ७० लाख १ देखि ६ करोड ६० लाखसम्म             | २५,०००।०    |        |
| १९     | ६ करोड ६० लाख १ देखि ८ करोड ४० लाखसम्म             | ३०,०००।०    |        |
| २०     | ८ करोड ४० लाख १ देखि ९ करोड ९० लाखसम्म             | ३५,०००।०    |        |
| २१     | ९ करोड ९० लाख १ देखि १२ करोड सम्म                  | ४५,०००।०    |        |
| २२     | १२ करोड १ देखि १५ करोड सम्म                        | ५५,०००।०    |        |
| २३     | १५ करोड १ देखि २१ करोड सम्म                        | ६५,०००।०    |        |
| २४     | २१ करोड १ देखि ३० करोड सम्म                        | ८५,०००।०    |        |
| २५     | ३० करोड १ देखि माथि जति सुकै भए पनि प्रति हजार रु. | २।००        |        |

## थप व्यवस्था:

१. सम्पत्ति कर र भूमीकर (मालपोत) लागु हुनुभन्दा अगाडी लगाईएका घरजग्गा कर, एकिकृत सम्पत्ति कर लगायतका अन्य खारेज भएका कर तथा शुल्कको बक्यौताको हकमा साविककै नियमानुसार कर लाग्नेछ ।

२. सम्पत्ती करका लागि भवनको क्षेत्रफल कायम गर्दा स्वीकृत नक्सा र निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफलमा फरक भएमा निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफललाई आधार मनिनेछ । कर तिरेको प्रमाण अन्य कुनै प्रयोजनमा दावी लाग्ने छैन ।
३. **संयुक्त तथा सामुहिक आवासको सम्पत्ती कर निर्धारण:** (क) सामुहिक आवासको (अपार्टमेन्ट/फ्ल्याट) वा संयुक्त आवास (हाउजिङ) वा कुनै घरको विभिन्न तलाहरू वा एकै तलामा फरक फरक व्यक्तिको स्वामित्व रहेकोमा त्यस्तो फरक स्वामित्व भएका भागहरू वा तलाहरूको सम्पत्ती कर सम्बन्धित स्वामित्ववाला व्यक्तीहरूको नाममा देहाय बमोजिम निर्धारण गरि अशुलउपर गरिनेछ ।
- (ख) सामुहिक आवासको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गर्दा राजिनामा वा स्वामित्व हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भएको भए सही जग्गाको क्षेत्रफल र उल्लेख नभएको भए घरको स्वामित्व बराबरको क्षेत्रफल मानी सो को दुईगुणा बराबरको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरिनेछ ।
- (ग) सामुहिक आवासको (अपार्टमेन्ट/फ्ल्याट) को हकमा जे जती क्षेत्रफलको घर, अपार्टमेन्ट/फ्ल्याट राजिनामा वा स्वामित्व हस्तान्तरणको लिखत पारित गरी हक हस्तान्तरण भएको छ सोही बराबर घर, अपार्टमेन्ट/फ्ल्याट को क्षेत्रफल कायम गरिनेछ ।
- (घ) व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरि बिक्री भएको सपिड मल, सपिड कम्प्लेक्स र सपिड सेन्टर आदि खरिद बिक्री हुने पसल कोठा तलाको हकमा समेत बुँदा नं. १ बमोजिम कर निर्धारण गरिनेछ ।
- (ङ) कुनै व्यक्ती वा संस्थाको नाममा जग्गाको स्वामित्व भई अर्को व्यक्ती वा संस्थाले जग्गा लिजमा लिई भौतिक संरचना समेत निर्माण विकास र सम्बर्द्धन गरि भोग गरेको सम्पत्तीको कर तिर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा निजहरू बिच भएको लिज सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख भएको हकमा सोही बमोजिम हुने यदि लिज सम्झौता स्पष्ट उल्लेख नभएमा सम्पत्तिको भोग गर्ने वा लिजमा लिने व्यक्ती वा संस्थाले कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
- (च) बुँदा (ङ) बमोजिमको लिज सम्झौता भंग भएमा वा कार्यान्वयन नभई सम्झौताको यथार्थ परिपालना नगरिएको अवस्थामा सम्पत्ति कर तिर्ने दायित्व सम्बन्धित जग्गा धनीको हुनेछ ।
- (छ) प्रचलित नेपाल कानून र यस परिच्छेद बमोजिम सम्पत्ति कर छुट हुने व्यक्ति वा निकायको जग्गामा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरी उपयोग गरेको भए उक्त भवन र सो भवनले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति भोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट सम्पत्ति कर लगाई अशुल उपर गरिनेछ ।
- (ज) सम्पत्ति कर छुट हुने व्यक्ति वा निकायको जग्गामा एउटा प्रयोजनको लागि बनाएको भवन सो प्रयोजन परिवर्तन गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाईएमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गरी कर अशुल गर्नेछ ।
- (झ) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, कुटनैतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी संचालन हुने संघसंस्थाको वस्तु तथा कारोवारमा यस ऐन बमोजिम कर लिइने छैन । तर लाभको उद्देश्य नराखी संचालन हुने संघसंस्थाहरूलाई भूमिकर (मालपोत), नक्सापास दस्तुर, सरसफाई शुल्क लगायत नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार तोकेका कर र दस्तुरहरू भने छुट हुने छैन ।
- (ञ) सुन्दरहरैँचा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भूमि/सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने घर/जग्गाको प्राप्त भएको वा बनेको १ वर्ष भित्र आफुले प्राप्त गरेको/बनाएको सम्पत्ति विवरण नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा भरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको राजश्व शाखा वा सम्बन्धित वडा कार्यालयको राजश्व फाँटमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

## अनुसूची-१ (क)

(ऐनको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## जग्गाको मूल्यांकन दर

| क्र.सं. | वडा नं.           | जग्गाको वर्ग<br>विभाजन   | जग्गाको क्षेत्रहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रतिकठा आ.व.<br>०८३/८४ |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| १.      | ९,१० र<br>१२      | व्यापारिक क्षेत्र<br>(क) | नगरपालिका मुल गेटदेखि कृषिबजार सम्म उत्तर दक्षिण दुवै तर्फ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५५,००,०००।००            |
| २.      |                   | व्यापारिक क्षेत्र<br>(ख) | १.लोकमार्गको बुढीखोला देखि बलिया,बाँसवारी,दुलारी हुँदै पंकज आयलसम्म,<br>२. गोठगाउँ चोकको मध्याली खोला देखि पश्चिम दुर संचारको टावर जाने बाटोसम्म,<br>३. गछिया पुल देखि लक्ष्मी नारायण मन्दिर जानेबाटोसम्म पुर्वका उत्तर दक्षिण दुवै तर्फका क्षेत्रहरू,<br>४.मुल चोक देखि सुन्दर मार्ग दायाँबायाँ दुवै तर्फ<br>५. दक्षिणमा हरियाली मार्ग पुर्व पश्चिम दुवै तर्फ<br>६. सलकपुर वन कार्यालय देखि भुल्ले बचत तथा सहकारी संस्था सम्म दुवै तर्फ,<br>७. खोर्सनि बजारको होण्डा सोरुम देखि सुकुना खोलासम्म दुवै तर्फ,<br>८. विराटचोक देखि नेपालीरिका होटल जाने बाटोसम्म दायाँबायाँ । | ४८,००,०००।०             |
| ३.      | व्यापारिक क्षेत्र | व्यापारिक क्षेत्र<br>(ग) | लोकमार्गको पंकज आयल पुर्व गछिया पुलसम्म,लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखि, गणेश पुल वेलगाछी ठडिया हुदै दुरसंचार जानेबाटोको उत्तर दक्षिण दुवै तर्फ,सलकपुर भुल्ले बचत देखि पश्चिम मध्यादी पुलसम्म दुवै तर्फ,कृषिबजार देखि वन कार्यालयसम्म दुवै तर्फ,खोर्सनि बजार देखि पुर्व किस्ती खोला वेलवारी नगरपालिका सिमा सम्म दुवै तर्फ, उत्तरमा विपुल मार्गसम्म दुवै तर्फ,खोर्सनि दक्षिणमा गजेन्द्र प्रधानको घरसम्म दुवै तर्फ ।                                                                                                                                                              | ४०,००,०००।०             |
| ४.      | व्यापारिक क्षेत्र | व्यापारिक क्षेत्र<br>(घ) | बलिया बुढिपुल देखि किस्ती पुलसम्म माथि उल्लेख भएका सडक बाहेक लोकमार्ग सँग जोडिएर उत्तर दक्षिणका ५ सय मिटर सम्मका सडकहरूको दायाँबायाँ व्यापारिक तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७,००,०००।०             |

|     |                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                             |                                          | आवासीय क्षेत्रमा परेका सबै जग्गाहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ५.  | व्यापारिक क्षेत्र           | व्यापारिक क्षेत्र (घ) (१)                | वलिया बुढिपुलदेखि किस्ती पुलसम्म माथि उल्लेख भएका सडक बाहेक लोकमार्गसँग जोडिएर उत्तर दक्षिणका १ किलोमिटर सम्मका सडकहरूको दायौँबायौँ व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्रमा परेका सबै जग्गाहरू                                                                                                                                               | २५,००,०००।० |
| ६.  | व्यापारिक क्षेत्र           | व्यापारिक क्षेत्र (ङ)                    | विपुल मार्गदेखि बन कार्यालयसम्म दुवै तर्फ पि.एल.ओ.मार्गदेखि आदर्श चोकसम्म दुवै तर्फ, सुन्दर मार्गदेखि उत्तर माथिल्लो त्रिवेणी चोकसम्म दुवै तर्फ, नेपालीरिका होटलदेखि ग्रामथान सिमाना सम्म दुवैतर्फ, हरैँचामोठदेखि दक्षिण सुकुना बहुमुखी क्याम्पस गेट सम्म १ कि.मि.सम्मका माथि उल्लेख भए बाहेकका सबै सडकहरूको दायौँबायौँ दुवै तर्फ । | १९,००,०००।० |
| ७.  | व्यापारिक क्षेत्र           | व्यापारिक क्षेत्र (च)                    | बेलेपुर चोकदेखि हरैँचा संगित चोकसम्म दुवै तर्फ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १९,००,०००।० |
| ८.  | ३,४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १२ | व्यापारिक क्षेत्र (छ)/आवासीय क्षेत्र (क) | किस्ती खोलादेखि बुढि खोलासम्म माथि उल्लेख भएका क्षेत्र बाहेकका क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                              | १९,००,०००।० |
| ९.  | ३,४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १२ | व्यापारिक क्षेत्र (छ)/आवासीय क्षेत्र (ख) | किस्ती खोला देखि बुढि खोलासम्म उत्तर दक्षिण सडकको १ कि.मि. पछि ०.५ कि.मि. सम्मका शाखा सडकहरूको दुवै तर्फका क्षेत्रहरू ।                                                                                                                                                                                                             | १८,००,०००।० |
| १०. | सबै वडा                     | व्यापारिक क्षेत्र/आवासीय क्षेत्र         | लोकमार्गदेखि १.५ कि.मि. बाहिर उत्तर दक्षिण सबै सडकसँग जोडिएका दुवै तर्फका क्षेत्रहरू समेत                                                                                                                                                                                                                                           | १२,००,०००।० |
| ११. | सबै वडा                     | व्यापारिक क्षेत्र/आवासीय क्षेत्र         | लोकमार्गको १ कि.मि. भित्रका सबै भित्री शाखा सडकहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८,००,०००।० |
|     |                             |                                          | लोकमार्गको १ कि.मि. पछिका ०.५ कि.मि. सम्मका सँगै जोडिएका भित्री सडकहरू                                                                                                                                                                                                                                                              | १३,००,०००।० |
|     |                             |                                          | बाटोले छोएका १.५ कि.मि. बाहिरका ठाडा र तेर्सो सबै सडकहरूले छोएको क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                            | ८,००,०००।०  |



|     |         |                               |                                |            |
|-----|---------|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| १२. | सबै वडा | कृषि क्षेत्र क                | सडकले छोएका क्षेत्रहरु         | ३,००,०००।० |
|     |         | कृषि क्षेत्र ख                | सडकले नछोएका क्षेत्रहरु        | २००,०००।०  |
|     |         | कृषि क्षेत्र ग                | खोला बगरमा परेका जग्गाहरु      | १००,०००।०  |
| १३. | सबै वडा | औद्योगिक/पर्यट<br>कीय क्षेत्र | नगरसभाले तोके बमोजिमका क्षेत्र | ५,००,०००।० |

**द्रष्टव्य:**

१. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको दायौँबायाँका जग्गाहरुको मूल्यांकन गर्दा पहिलो १ कठ्ठाको लागि तोकिएको पुरा मूल्यांकन, त्यसपछिको ४ कठ्ठा सम्मको लागि तोकिएको मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र बाँकी जग्गाको लागि १२.५ प्रतिशत का दरले मूल्यांकन गर्ने ।
  २. अन्य सबै सडकले छोएका जग्गाहरुको मूल्यांकन गर्दा पहिलो १ कठ्ठाको लागि तोकिएको पुरा मूल्यांकन गर्ने त्यसपछिको २ कठ्ठा सम्मको ५० प्रतिशत र बाँकी जग्गाको मूल्यांकन १२.५ प्रतिशतका दरले मूल्यांकन गर्ने ।
- (तर व्यापारिक र आवासीय क्षेत्रका १२.५ प्रतिशत मूल्यांकन गर्दा प्रतिकठ्ठा रु.१ लाख भन्दा कम हुने भएमा रु. १ लाख नै कायम गर्ने)

## अनुसूची -१ (ख)

(ऐनको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

संरचनाको मूल्यांकन दर

संरचनाको आकार, प्रकार, बनोट र उपयोगको आधारमा सम्पत्ती कर/भुमिकर र मालपोत रजिष्ट्रेशन पास प्रयोजनार्थ भौतिक संरचनाको प्रविधिक मूल्याङ्कन (प्रति वर्गफिट लागत दर)

| क्र.सं. | संरचनाको प्रकार/बनोट                          | आ.व.<br>०८३/८४ को<br>लागि<br>(प्रतिवर्गफिट) रु. | कैफियत |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| १.      | स्टिल फ्रेम भएको संरचनामा                     | २५५०।०                                          |        |
| २.      | आर.सि.सि. संरचनामा एक्सिलेटर तथा लिफ्ट भएकोमा | २२५०।०                                          |        |
| ३.      | प्रि फ्याब भवन तथा गोदाम भवन                  | १८००।०                                          |        |
| ४.      | व्यवसायिक प्रयोजनका आर.सि.सि. पक्की घर        | २१००।०                                          |        |
| ५.      | आर.सि.सि. पक्की आवासीय प्रयोजन                | १८००।०                                          |        |
| ६.      | आर.सि.सि. वाहेकका अन्य पक्की घर               | १५००।०                                          |        |
| ७.      | सिमेन्ट जोडाई र जस्ताको छाना भएको घर          | १०५०।०                                          |        |
| ८.      | ढुङ्गामाटो जोडाई भएको घर                      | ६००।०                                           |        |
| ९.      | जस्ता वा अन्य किसिमका वेरा भएका घर            | ६००।०                                           |        |

## अनुसूची -१ (ग)

(ऐनको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

संरचनाको हासकट्टी प्रतिशत र हासकट्टी गर्ने अवधि

संरचनाको हासकट्टी समान हासकट्टी पद्धती अनुसार ५ प्रतिशत बचाव मुल्य कायम गरि ९५ प्रतिशत सम्महुनेछ । यसको गणना निम्नानुसार हुनेछ ।

| क्र.सं. | संरचनाको प्रकार/बनोट                             | वार्षिक हासकट्टी प्रतिशत<br>आ.व. ०८३/८४ को<br>लागि | कैफियत |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| १.      | स्टिल फ्रेम भएको संरचनामा                        | ०.७५%                                              |        |
| २.      | आर.सि.सि. संरचनामा एक्सिलेटर तथा लिफ्ट<br>भएकोमा | ०.७५%                                              |        |
| ३.      | प्रि फ्याब भवन तथा गोदाम भवन                     | २%                                                 |        |
| ४.      | व्यवसायिक प्रयोजनका आर.सि.सि. पक्की घर           | १%                                                 |        |
| ५.      | आर.सि.सि. पक्की आवासीय प्रयोजन                   | १%                                                 |        |
| ६.      | आर.सि.सि. वाहेकका अन्य पक्की घर                  | २%                                                 |        |
| ७.      | सिमेन्ट जोडाई र जस्ताको छाना भएको घर             | २%                                                 |        |
| ८.      | ढुङ्गामाटो जोडाई भएको घर                         | ३%                                                 |        |
| ९.      | जस्ता वा अन्य किसिमका वेरा भएका घर               | ५%                                                 |        |

## अनुसूची-२

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बन्धित)

**भूमिकर (मालपोत) को दर**

साविक ईन्द्रपुर, मृगौलिया, हरैँचा, सुन्दरपुर र दुलारी गाउँ विकास समितिमा तिर्नु पर्ने बक्यौता मालपोत हालसम्म अशुल नभएको जग्गाको हकमा बक्यौता मालपोतको रुपमा तपसिल बमोजिम मालपोत शुल्क कायम गरिएको छ । साथै भूमी प्रसाशन कार्यालय बेलवारी वा यस्तै प्रकारका कार्यालयबाट थप मालपोत अशुल गरी दिन भनी पत्राचार भएको मालपोत रकमको हकमा सबै प्रकारका जग्गाहरुको मालपोत रकम प्रतिकठा/प्रतिवर्ष १०००।०० का दरले अशुल गरिने छ ।

२०७३ फाल्गुन २७ गते भन्दा अगाडिको समयावधीको मालपोत, भूमिकर देहाय बमोजिम अशुल गरिनेछ ।

| सि.नं. | विवरण                                                 | रकम प्रतिकठारु. | कैफियत |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| १      | खेतीयोग्य जमिन                                        | ५०।-            |        |
| २      | भित्रीपक्की सडकले छोएको जमिन                          | १५०।-           |        |
| ३      | विराट चोक घिनाघाट, खोसनि केराबारी सडकले छोएका क्षेत्र | २५०।-           |        |
| ४      | पुर्व पश्चिम लोकमार्गले छोएका सडक क्षेत्र             | ३५०।-           |        |

उल्लेखित दर रेटमा वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले दण्ड जरीवाना लाग्नेछ ।

**नोट:** चालू आर्थिक वर्षबाट सम्पत्ति कर र मालपोत कर दुवैलाई फरक गरी अशुल गरिने भएकोले सम्पत्ति करमा तोकिएको मूल्यांकनको रेटलाई नै आधार मानि मालपोत कर अशुल गरिने छ । साथै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्देशन गरे बमोजिम शुत्रमा राजस्व सफ्टवेयर संचालन गर्नु भएकोले सम्पत्ति करको दररेटलाई नै मालपोतको दररेटमा रुपान्तरण गरि तपसिल बमोजिम मालपोत/भूमिकर अशुल गरिनेछ ।

**तपसिल:**

| सि.नं. | विवरण                                   | करको दर रु | कैफियत |
|--------|-----------------------------------------|------------|--------|
| १      | ८ लाखसम्म                               | १००।०      |        |
| २      | ८ लाख १ देखि १६ लाखसम्म                 | १६०।०      |        |
| ३      | १६ लाख १ देखि २० लाखसम्म                | २५०।०      |        |
| ४      | २० लाख १ देखि ३२ लाखसम्म                | ३५०।०      |        |
| ५      | ३२ लाख १ देखि ४० लाखसम्म                | ५००।०      |        |
| ६      | ४० लाख १ देखि ५० लाखसम्म                | ७००।०      |        |
| ७      | ५० लाख १ देखि ६० लाखसम्म                | १,०००।०    |        |
| ८      | ६० लाख १ देखि ७६ लाख सम्म               | १,५००।०    |        |
| ९      | ७६ लाख १ देखि १ करोड सम्म               | २,५००।०    |        |
| १०     | १ करोड १ देखि १ करोड ५० लाखसम्म         | ३,५००।०    |        |
| ११     | १ करोड ५० लाख १ देखि १ करोड ८० लाख सम्म | ४,५००।०    |        |
| १२     | १ करोड ८० लाख १ देखि २ करोड १० लाखसम्म  | ६,०००।०    |        |

|    |                                                    |           |  |
|----|----------------------------------------------------|-----------|--|
| १३ | २ करोड १० लाख १ देखि २ करोड २० लाखसम्म             | ८,०००।०   |  |
| १४ | २ करोड २० लाख १ देखि २ करोड ५० लाख सम्म            | १०,०००।०  |  |
| १५ | २ करोड ५० लाख १ देखि ३ करोड २५ लाखसम्म             | १४,०००।०  |  |
| १६ | ३ करोड २५ लाख १ देखि ४ करोडसम्म                    | १६,०००।०  |  |
| १७ | ४ करोड १ देखि ४ करोड ७५ लाखसम्म                    | १८,०००।०  |  |
| १८ | ४ करोड ७५ लाख १ देखि ५ करोड ५० लाखसम्म             | २५,०००।०  |  |
| १९ | ५ करोड ५० लाख १ देखि ७ करोडसम्म                    | ३०,०००।०  |  |
| २० | ७ करोड १ देखि ८ करोड २५ लाखसम्म                    | ३५,०००।०  |  |
| २१ | ८ करोड २५ लाख १ देखि १० करोड सम्म                  | ४५,०००।०  |  |
| २२ | १० करोड १ देखि १२ करोड ५० लाख सम्म                 | ५५,०००।०  |  |
| २३ | १२ करोड ५० लाख १ देखि १७ करोड ५० लाख सम्म          | ६५,०००।०  |  |
| २४ | १७ करोड ५० लाख १ देखि २५ करोड सम्म                 | ८५,००००।० |  |
| २५ | २५ करोड १ देखि माथि जति सुकै भए पनि प्रति हजार रु. | २।००      |  |

## अनुसूची-३

(ऐनको दफा ४ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित)

## घरजग्गा बहाल कर

(क) घरजग्गा बहाल कर अशुलीको लागि क्षेत्र विभाजन:

| क्र.सं. | बहालमा लगाउने घर जग्गाको क्षेत्र                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.      | पुर्व पश्चिम लोकमार्गसँग जोडिएका मुख्य बजार (खोर्सनि, विराटचोक, सलकपुर, गोठगाँउ, गछिया, बाँसवारी र बलिया) क्षेत्र ।                                    |
| २.      | माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेख भएका क्षेत्रका भित्री र माथिल्लो तलाका सटर तथा कोठा ।                                                                       |
| ३.      | पुर्व पश्चिम लोकमार्गको मुख्य बजार क्षेत्र (खोर्सनि, विराटचोक, सलकपुर, गोठगाँउ, गछिया, बाँसवारी र बलिया) बाट उत्तर दक्षिण ०.५ कि.मि. भित्रका क्षेत्र । |
| ४.      | पुर्व पश्चिम लोकमार्गसँग जोडिएका माथि उल्लेख भए बाहेकका क्षेत्र ।                                                                                      |
| ५.      | विराटचोक घिनाघाट सडक खण्डसँग जोडिएका विराटचोक देखि नेपालीरिका होटल जाने बाटो सम्मका क्षेत्र ।                                                          |
| ६.      | विराटचोक घिनाघाट सडक खण्डको विराटचोक देखि नेपालीरिका होटल जाने बाटोको दायाँबायाँ ०.५ कि.मि. भित्र सम्मका क्षेत्र ।                                     |
| ७.      | माथि बुँदा नं. ५ मा उल्लेख भएका क्षेत्रका भित्री र माथिल्लो तलाका सटर तथा कोठा ।                                                                       |
| ८.      | पचाम, वेलेपुर तथा मृगौलिया लगायतका बजार क्षेत्र ।                                                                                                      |
| ९.      | हरैँचा बजार क्षेत्र ।                                                                                                                                  |
| १०.     | माथि उल्लेख नभएका अन्य बजार क्षेत्रहरू ।                                                                                                               |
| ११.     | ग्रामिण क्षेत्र ।                                                                                                                                      |

ख. माथि उल्लेखित क्षेत्र अनुसार घरजग्गा बहाल करको लागि न्यूनतम मूल्याङ्कन दर:

१. पुर्व पश्चिम लोकमार्गसँग जोडिएका मुख्य बजार (खोर्सनि, विराटचोक, सलकपुर, गोठगाँउ, गछिया, बाँसवारी र बलिया) क्षेत्र तथा विराटचोक घिनाघाट सडक खण्डसँग जोडिएका विराटचोक देखि नेपालीरिका होटल जाने बाटो सम्मका क्षेत्र ।

| क्र.सं. | विवरण                 | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (सटर प्रति वर्गफिट रु.) | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (भित्री कोठा प्रति वर्गफिट रु.) | आवासिय प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (प्रति वर्गफिट रु.) |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| १.      | भुईँ तला              | ७०                                                              | ४०                                                                      | ३०                                                       |
| २.      | पहिलो तला वा सो भन्दा | ४०                                                              | ३०                                                                      | २५                                                       |

|  |      |  |  |  |
|--|------|--|--|--|
|  | माथी |  |  |  |
|--|------|--|--|--|

२. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको मुख्य बजार क्षेत्र (खोसनि, विराटचोक, सलकपुर, गोठगाँउ, गछिया, वाँसवारी र बलिया) बाट उत्तर दक्षिण ०.५ कि.मि. भित्रका क्षेत्र तथा विराटचोक घिनाघाट सडक खण्डको विराटचोक देखि नेपालीरिका होटल जाने वाटोको दायँबायाँ ०.५ कि.मि. भित्र सम्मका क्षेत्र ।

| क्र.सं. | विवरण                      | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (सटर प्रति वर्गफिट रु.) | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (भित्रि कोठा प्रति वर्गफिट रु.) | आवासिय प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (प्रति वर्गफिट रु.) |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| १.      | भुईँ तला                   | ४०                                                              | ३०                                                                      | २५                                                       |
| २.      | पहिलो तला वा सो भन्दा माथी | ३०                                                              | २५                                                                      | २०                                                       |

३. माथि बुँदा नं. १ र २ मा उल्लेख भएका क्षेत्रका भित्रि र माथिल्लो तलाका सटर तथा कोठाहरु:

| क्र.सं. | विवरण                      | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (सटर प्रति वर्गफिट रु.) | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (भित्रि कोठा प्रति वर्गफिट रु.) | आवासिय प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (प्रति वर्गफिट रु.) |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| १.      | भुईँ तला                   | ३५                                                              | ३५                                                                      | ३०                                                       |
| २.      | पहिलो तला वा सो भन्दा माथी | ३०                                                              | ३०                                                                      | २०                                                       |

४. वेलेपुर पचाम मृगौलिया लगायतका बजार क्षेत्र ।

| क्र.सं. | विवरण                      | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (सटर प्रति वर्गफिट रु.) | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (भित्रि कोठा प्रति वर्गफिट रु.) | आवासिय प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (प्रति वर्गफिट रु.) |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| १.      | भुईँ तला                   | ४०                                                              | ३०                                                                      | ३०                                                       |
| २.      | पहिलो तला वा सो भन्दा माथी | ३५                                                              | ३०                                                                      | ३०                                                       |

५. हरैँचा बजार क्षेत्र:

| क्र.सं. | विवरण | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि | व्यवसायिक प्रयोजनका लागि | आवासिय प्रयोजनका लागि मासिक बहाल रकम (प्रति |
|---------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|---------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|

|    |                               | मासिक बहाल<br>रकम (सटर प्रति<br>वर्गफिट रु.) | मासिक बहाल रकम<br>(भिन्नि कोठा प्रति<br>वर्गफिट रु.) | वर्गफिट रु.) |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| १. | भुईँ तला                      | ४०                                           | ३५                                                   | ३०           |
| २. | पहिलो तला वा सो भन्दा<br>माथी | ३५                                           | ३०                                                   | ३०           |

६. माथी उल्लेख भए वाहेकका अन्य मुल सडक तथा बजार क्षेत्र ।

| क्र.सं. | विवरण                         | व्यवसायिक<br>प्रयोजनका लागि<br>मासिक बहाल<br>रकम (सटर प्रति<br>वर्गफिट रु.) | व्यवसायिक<br>प्रयोजनका लागि<br>मासिक बहाल रकम<br>(भिन्नि कोठा प्रति<br>वर्गफिट रु.) | आवासिय प्रयोजनका लागि<br>मासिक बहाल रकम (प्रति<br>वर्गफिट रु.) |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| १.      | भुईँ तला                      | ४०                                                                          | ३०                                                                                  | २५                                                             |
| २.      | पहिलो तला वा सो भन्दा<br>माथी | ३०                                                                          | २५                                                                                  | २०                                                             |

७. अन्य ग्रामिण क्षेत्र ।

| क्र.सं. | विवरण                         | व्यवसायिक<br>प्रयोजनका लागि<br>मासिक बहाल<br>रकम (सटर प्रति<br>वर्गफिट रु.) | व्यवसायिक<br>प्रयोजनका लागि<br>मासिक बहाल रकम<br>(भिन्नि कोठा प्रति<br>वर्गफिट रु.) | आवासिय प्रयोजनका लागि<br>मासिक बहाल रकम (प्रति<br>वर्गफिट रु.) |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| १.      | भुईँ तला                      | २५                                                                          | २५                                                                                  | २०                                                             |
| २.      | पहिलो तला वा सो भन्दा<br>माथी | २०                                                                          | २०                                                                                  | २०                                                             |

#### पुनश्च:

१. संगठित संस्था, कम्पनी, कार्यालय बहाल प्रयोजनमा प्रयोग गरे वापत बहाल रकम वुझाउदा अग्रीम स्रोत मै बहाल रकम कट्टी गरि कट्टी गरेको रकम नगरपालिकामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
२. बहालमा लागेको सम्पत्तिको विवरण कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको फाराम अनुसार सत्यतथ्य विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । झुटो विवरण पेश गरी कर दाखिला गरेमा यस ऐन बमोजिम जरिवाना लगाईनेछ ।
३. बहाल कर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा दाखिला गर्न सकिनेछ ।
४. करदाताले नगरपालिका क्षेत्रभित्रको आफ्नो बहाल आयमा थपघट भएमा वा बहालमा नलागेको अवस्थामा ३५ दिन भित्र वडाको सिफारिस सहित कार्यालयमा सोको विवरण एवं जानकारी पेश गर्नुपर्नेछ ।



५. एक पटक वहाल कर तिरिसकेपछि वहालमा नलागेको भनी कर छुट गरिने छैन । तर वहालमा नलागि रित्त भएकोमा वडा कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का सहितको सिफारिस संलग्न गरी खाली भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र जानकारी दिएमा वहाल कर छुट दिन सकिनेछ ।

६. बुझाउनुपर्ने कुनैपनी कर नबुझाई करछली गरेको पाईएमा नगरपालिकाले रु. १००० देखि १०००००।० सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

७. वहाल करको दर वहाल सम्झौतामा उल्लेख भएको रकमको १० प्रतिशतले लाग्नेछ ।

८. चालु आ.व.को वहालकर एकमुष्ट तिरेमा २०८३ असोज मसान्त सम्म तोकिएको सम्झौता रकम अनुसार लाग्ने वहालकरमा ५० प्रतिशत छुट दिईनेछ । साथै लामो समय सम्म वहालकर तिर्न बाँकी रहेका कुनैपनी व्यक्ती, फर्म, कम्पनी, सार्वजनिक विद्यालय तथा सार्वजनिक निकायको हकमा आ.व.०८०/०८१ देखी चालु आ.व. ०८३/०८४ सम्मको वहालकर चुक्ता गरेमा हालसम्मको सम्पूर्ण वहाल कर चुक्ता गरेको मानिनेछ । तर वित्तिय कारोवार गर्ने बैंक वित्तिय संस्था लगायतका संघ संस्थाहरुको हकमा कुनैपनी प्रकारको छुट सुविधा लागु हुनेछैन ।

९. मसिनरी औजार/सवारी साधनको हकमा समेत माथी बुँदा नं. ७ र ८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम वहाल कर लाग्नेछ ।

१०. लामो समय सम्म वहालकर तिर्न बाँकी रहेका कुनैपनी व्यक्ती, फर्म, कम्पनी, सार्वजनिक विद्यालय तथा सार्वजनिक निकायले आ.व.०८०/०८१ देखी चालु आ.व. ०८३/०८४ सम्मको वहालकर २०८३ असोज मसान्त सम्म एकमुष्ट बुझाएमा कुनै प्रकारको जरिवाना लिईने छैन ।

## अनुसूची-४

(ऐनको दफा ५ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित)

## व्यवसाय कर

१. बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूको लागि:

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण                                                 | आ.व.<br>०८३/८४को<br>लागि वार्षिक<br>रु. | कैफियत |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| १.      | क वर्गका वित्तीय संस्था वा वाणिज्य बैंक (केन्द्रिय कार्यालय)    | ६००००।०                                 |        |
| २.      | क वर्गका वित्तीय संस्था वा वाणिज्य बैंक (शाखा कार्यालय)         | ५२०००।०                                 |        |
| ३.      | ख वर्गका वित्तीय संस्था वा विकास बैंक (केन्द्रिय कार्यालय)      | ४००००।०                                 |        |
| ४.      | ख वर्गका वित्तीय संस्था वा विकास बैंक (शाखा कार्यालय)           | ३५०००।०                                 |        |
| ५.      | ग वर्गका वित्तीय संस्था वा फाईनान्स कम्पनी (केन्द्रिय कार्यालय) | ३००००।०                                 |        |
| ६.      | ग वर्गका वित्तीय संस्था वा फाईनान्स कम्पनी (शाखा कार्यालय)      | २५०००।०                                 |        |
| ७.      | लघु वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्यालय                             | १५०००।०                                 |        |
| ८.      | लघु वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय                              | १००००।०                                 |        |
| ९.      | सहकारी बैंक केन्द्रीय कार्यालय                                  | ३००००।०                                 |        |
| १०.     | सहकारी बैंक शाखा कार्यालय                                       | २५०००।०                                 |        |
| ११      | सहकारी संस्था                                                   |                                         |        |
|         | क. रु. ५० लाखसम्म वासलात भएका सहकारी संस्था                     | १०००।०                                  |        |
|         | ख. रु. ५० लाख १ देखि रु. १ करोड सम्म वासलात भएका सहकारी संस्था  | २५००।०                                  |        |
|         | ग. रु. १ करोड १ देखि रु. २ करोड सम्म वासलात भएका सहकारी संस्था  | ३५००।०                                  |        |
|         | घ. रु. २ करोड १ देखि रु. ५ करोड सम्म वासलात भएका सहकारी संस्था  | ४५००।०                                  |        |
|         | ड. रु. ५ करोड १ देखि रु. ७ करोड सम्म वासलात भएका सहकारी संस्था  | ६०००।०                                  |        |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                            | च. रु. ७ करोड १ देखि रु. १० करोड सम्म वासलात भएका सहकारी संस्था | ७५००।०  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | छ. रु. १० करोड १ देखि जतिशुँकै भए पनि प्रतिकरोड                 | ५००।०   |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ज. सहकारी सुचिकृत दस्तुर (प्रदेश/संघ कार्यक्षेत्र भएका सहकारी)  | ७०००।०  |  |
| १२.                                                                                                                                                                                                        | बीमा कम्पनी (केन्द्रिय कार्यालय)                                | २५०००।० |  |
| १३.                                                                                                                                                                                                        | बीमा कम्पनी (शाखा कार्यालय)                                     | १५०००।० |  |
| १४.                                                                                                                                                                                                        | मनी एक्सचेन्ज कम्पनी/फर्म                                       | ५०००।०  |  |
| १५.                                                                                                                                                                                                        | रेमिट्यान्स कम्पनी                                              | ५०००।०  |  |
| १६.                                                                                                                                                                                                        | ब्रोकर/तथा ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी                                 | १५०००।० |  |
| १७.                                                                                                                                                                                                        | शेयर तथा धितोपत्रको काम गर्ने व्यवसाय/कार्यालय                  | २५०००।० |  |
| <b>नोट:</b> कुनैपनी सहकारी संस्थाले आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा फरक किसिमको कारोवार गरेमा वा तोकिएको समयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेमा त्यस्तो सहकारी संस्थालाईलाई समेत रु. ५०००।० सम्म जरिवाना हुनेछ । |                                                                 |         |  |

## २.होटल/लज व्यवसाय:

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण                                                                                    | आ.व.<br>०८३/८४को<br>लागि वार्षिक रु. | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| १.      | ५ कोठा सम्मको होटल तथा लज                                                                          | ३०००।०                               |        |
|         | ५ देखि १० वटा सम्म कोठा भएको होटल एण्ड लज                                                          | ५०००।०                               |        |
|         | १० वटा देखि १५ वटा सम्म कोठा भएको होटल एण्ड लज                                                     | ७०००।०                               |        |
|         | १५ भन्दा बढी कोठा भएको होटल एण्ड लज                                                                | १००००।०                              |        |
|         | तारे होटलको हकमा १५ कोठा भन्दा माथिको होटलमा लाग्ने दरमा प्रति तारा रु. १००००।० थप दस्तुर लाग्ने । |                                      |        |
|         | मोटेल                                                                                              | ४०००।०                               |        |
| २.      | रिसोर्ट                                                                                            | ५००००।०                              |        |

|    |                                                        |         |  |
|----|--------------------------------------------------------|---------|--|
| ३. | फास्टफुड रेस्टुरेन्ट                                   | ५०००।०  |  |
| ४. | रेष्टुरेन्ट एण्ड बार                                   | ५०००।०  |  |
| ५. | रेष्टुरेन्ट एण्ड बार (डान्स, दोहोरी सहित)              | ८०००।०  |  |
| ६. | रेस्टुरेन्ट (पुल हाउस, स्नुकर, स्विमीड पुल, समेत भएको) | ६०००।०  |  |
| ७. | होमस्टे                                                | ३५००।०  |  |
| ८. | मदिराको होलसेल विक्रेता                                | १००००।० |  |
| ९. | क्यान्टीन                                              | २५००।०  |  |

## होटल व्यवसाय (चिया, नास्ता तथा खाजा मात्र)

| क्र.स. | लगानी तथा पुंजी                  | वार्षिक दर रु. |  |
|--------|----------------------------------|----------------|--|
| १      | रु १ देखि रु १ लाखसम्म           | १०००।०         |  |
| २      | रु १ लाख १ देखि रु ३ लाखसम्म     | १,५००।०        |  |
| ३      | रु ३ लाख १ देखि रु ५ लाखसम्म     | २०००।०         |  |
| ४      | रु ५ लाख १ देखि रु १० लाखसम्म    | २,५००।०        |  |
| ५      | रु १० लाख १ देखि रु २० लाख सम्म  | ३,५००।०        |  |
| ६.     | रु २० लाख १ देखि रु ५० लाख सम्म  | ४५००।०         |  |
| ७.     | रु.५० लाख १ देखि रु. १ करोड सम्म | ६०००।०         |  |

## ३. विशेषज्ञ परामर्श सेवा तथा अन्य व्यवसाय:

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. | कैफियत |
|---------|-----------------|---------------------------------|--------|
| १.      | चिकित्सक        | १००००।०                         |        |
| २.      | कविराज          | ५०००।०                          |        |
| ३.      | भेटरिनरी डक्टर  | ४०००।०                          |        |
| ४.      | बिमा एजेन्ट     | ३०००।०                          |        |

|     |                                                       |          |  |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|--|
| ५.  | अनुवादक                                               | ३०००।०   |  |
| ६.  | अमिन                                                  | २५००।०   |  |
| ७.  | पलम्बर/ईलेक्ट्रिसियन                                  | २०००।०   |  |
| ८.  | अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता                        | ३०००।०   |  |
| ९.  | अधिवक्ता                                              | ५०००।०   |  |
| १०. | ईन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट व्यवसाय दर्ता                | १५,०००।० |  |
| ११. | ईन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट व्यवसाय नविकरण               | १०,०००।० |  |
| १२. | अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता कन्सल्टयान्सी (विदेशी) | १२०००।०  |  |
| १३. | ओभरसियर                                               | ५,०००।०  |  |
| १४. | ज्योतिषी परामर्श सेवा                                 | २०००।०   |  |
| १५. | ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी दर्ता (घरनक्सा समेत)         | १५०००।०  |  |
|     | ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी दर्ता (घरनक्सा बाहेक)        | १००००।०  |  |
| १६. | लेखा परिक्षक क श्रेणीको                               | ५०००।०   |  |
|     | लेखा परिक्षक ख श्रेणीको                               | ३५००।०   |  |
|     | लेखा परिक्षक ग श्रेणीको                               | २०००।०   |  |
|     | लेखा परिक्षक घ श्रेणीको                               | १५००।०   |  |
| १७. | कृषि परामर्श सेवा                                     | १०००।०   |  |
| १८. | वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा                           | १५०००।०  |  |
| १९. | वैदेशिक शिक्षा परामर्श सेवा                           | ५०००।०   |  |

## ४. कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय:

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण  | आ.व. ०८३/८४<br>को लागि वार्षिक रु. | कैफियत |
|---------|------------------|------------------------------------|--------|
| १.      | पशु औषधी पसल थोक | ६०००।०                             |        |

|                  |                               |         |  |
|------------------|-------------------------------|---------|--|
| २.               | पशु औषधी खुद्रा पसल           | ३०००।०  |  |
| ३.               | भेटरिनरी क्लिनिक              | ७०००।०  |  |
| ४.               | मिट मार्ट                     | ३०००।०  |  |
| ५.               | क्यालन क्लव                   | ३०००।०  |  |
| ६.               | ब्रिडिङ सेन्टर                | ५०००।०  |  |
| ७.               | ह्याचरी उद्योग                | ७०००।०  |  |
| ८.               | चल्ला सप्लायर्स               | ३०००।०  |  |
| ९.               | दाना उद्योग                   | १५०००।० |  |
| १०.              | दाना डिपो                     | ३०००।०  |  |
| ११.              | दाना डिलर्स                   | २५००।०  |  |
| १२.              | एग्रो पसल                     | ५०००।०  |  |
| १३.              | पशु वधस्थल                    | १००००।० |  |
| १४.              | जिउदो ठुला पशु विक्रि केन्द्र | ७०००।०  |  |
| १५.              | जिउदो साना पशु विक्रि केन्द्र | ५०००।०  |  |
| १६.              | अन्नको अवशेष विक्रि केन्द्र   | १०००।०  |  |
| १७.              | कोल्ड रुम                     | १५००।०  |  |
| १८.              | मिट मार्ट/पार्लर              | ३०००।०  |  |
| १९.              | कुकुर पालन अनुमती             | १००।०   |  |
| प्रयोगशाला सेवा: |                               | दर रु.  |  |
| २०               | गोबर परिक्षण                  |         |  |
| २१               | गाई भैँसी                     | १५।०    |  |
|                  | भेडा वाखा                     | १०।०    |  |
|                  | सुँगुर वंगुर                  | १५।०    |  |

|          |                                 |        |  |
|----------|---------------------------------|--------|--|
| २२       | दुध परिक्षण सवै जनवार           | २५।०   |  |
| २३       | पिसाव परिक्षण सवै जनवार         | २५।०   |  |
| २४       | सर्जिकल डिस्ट्युकीमा            | १००।०  |  |
| २५       | वन्ध्याकरण सेवा ठुला पशु        | २०।०   |  |
| २६       | वन्ध्याकरण सेवा साना पशु        | १०।०   |  |
| २७       | हेमाटोलोजी सेवा सवै जनवार       | १००।०  |  |
| २८       | माईक्रो वायोलोजि सेवा सवै जनवार | ५०।०   |  |
| २९       | वायो केमेस्ट्रि सेवा सवै जनवार  | २००।०  |  |
| ३०       | भाईरोलोजि सेवा सवै जनवार        | १००।०  |  |
| ३१       | वन्ध्याकरण सेवा                 |        |  |
| ३२       | बोका                            | १५।०   |  |
|          | वहर                             | २५।०   |  |
|          | वंगुर                           | ५०।०   |  |
|          | कुकुर विरालो भाले               | १००।०  |  |
|          | कुकुर विरालो पोथी               | २००।०  |  |
|          | अन्य                            | १००।०  |  |
| खोप सेवा |                                 | दर रु. |  |
| १.       | एन्टि रेविज                     | १५।०   |  |
| २.       | पागोँ डिसटेमपर कुकुर विरालो     | २५।०   |  |
| ३.       | एफएमडी                          | २०।०   |  |
| ४.       | एचएसविक्यू                      | २०।०   |  |
| ५.       | स्वाइन फिवर                     | १०।०   |  |
| ६.       | पशुउपचार सेवा (प्रति पशु)       | १००।०  |  |

| ७.                                            | पिपि आर खोप                    | १०।०           |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| ८.                                            | डिस्टेम्पर कुकुर विरालो        | १००।०          |  |
| ९.                                            | रानिखेत १०० डोज कुखुरा         | ५०।०           |  |
| १०.                                           | गम्बोरो १०० डोज                | ५०।            |  |
| <b>पोष्टमार्टम सेवा</b>                       |                                |                |  |
| १.                                            | हाँस कुखुरा टर्की वटाई         | २०।०           |  |
| २.                                            | खसी वाखा                       | ५०।०           |  |
| ३.                                            | गाई भैँसी                      | १००।०          |  |
| ४.                                            | अन्य जंगली जनवार               | १००।०          |  |
| <b>कृषि र पशु सँग सम्बन्धित अन्य व्यवसाय:</b> |                                |                |  |
| क्र.सं.                                       | लगानी तथा पुंजी                | वार्षिक दर रु. |  |
| १.                                            | रु १ देखि रु १ लाखसम्म         | ३००।०          |  |
| २.                                            | रु १ लाख १ देखि रु ३ लाखसम्म   | ५००।०          |  |
| ३.                                            | रु ३ लाख १ देखि रु ५ लाखसम्म   | १०००।०         |  |
| ४.                                            | रु ५ लाख १ देखि रु १० लाखसम्म  | १५००।०         |  |
| ५.                                            | रु १० लाख १ देखि रु २० लाखसम्म | २,०००।०        |  |
| ६.                                            | रु २० लाख १ देखि ३५ लाखसम्म    | २५००।०         |  |
| ७.                                            | रु ३५ लाख १ देखि ५० लाखसम्म    | ३,५००।०        |  |
| ८.                                            | रु ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म   | ८,०००।०        |  |

**५. स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय:**

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण  | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. | कैफियत |
|---------|------------------|---------------------------------|--------|
| १.      | पोलिक्लिनिक सेवा | ५०००।०                          |        |



|     |                                                                 |                       |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| २.  | नर्सिङ होम                                                      | २५०००।०               |           |
| ३.  | औषधी पसल थोक                                                    | ७५००।०                |           |
| ४.  | औषधी पसल खुद्रा                                                 | ३०००।०                |           |
| ५.  | आयुर्वेद औषधि पसल थोक                                           | १००००।०               |           |
| ६.  | आयुर्वेद औषधी पसल खुद्रा                                        | ५०००।०                |           |
| ७.  | आयुर्वेद क्लिनिक तथा विशेषज्ञ सेवा सहित                         | ७०००।०                |           |
| ८.  | विरामी जाँच गर्ने कन्सल्टयान्ट सहितको क्लिनिक                   | ८०००।०                |           |
| ९.  | डेन्टल क्लिनिक                                                  | ८०००।०                |           |
| १०. | आँखा क्लिनिक                                                    | ८०००।०                |           |
| ११. | चस्मा पसल                                                       | ५०००।०                |           |
| १२. | फिजियोथेरापी                                                    | ८०००।०                |           |
| १३. | होमियोक्लिनिक                                                   | ८०००।०                |           |
| १४. | अक्युपञ्चर उपचार केन्द्र                                        | १२०००।०               |           |
| १५. | डाईग्नोस्टिक सेवा (एक्सरे, एमआरआई, सिटिस्क्यान, अल्ट्रासाउण्ड ) | ७०००।०                | प्रतिसेवा |
| १६. | ल्याव तथा फ्याथोलोजी सेवा                                       |                       |           |
|     | क श्रेणी                                                        | २००००।०               |           |
|     | ख श्रेणी                                                        | १५०००।०               |           |
|     | ग श्रेणी                                                        | ७५००।०                |           |
|     | घ श्रेणी                                                        | ५०००।०                |           |
|     | ङ श्रेणी                                                        | ४०००।०                |           |
| १७. | सर्जिकल पसल                                                     | १५०००।०               |           |
| १८. | फिटनेस सेन्टर                                                   | ५०००।०                |           |
| १९. | जडिबुटी संकलन केन्द्र                                           | ७०००।०                |           |
| २०. | मेडिकल कलेज                                                     | १०००००।०              |           |
| २१. | आयुर्वेद अस्पताल १० शैया सम्मको                                 | ८०००।०                |           |
| २२. | आयुर्वेद अस्पताल १० देखि २५ शैया सम्मको                         | थप प्रति शैया<br>१६०० |           |
| २३. | २५ शैया सम्मको अस्पताल                                          | २५०००।०               |           |
| २४. | ५ शैया सम्मको अस्पताल                                           | ५०००।०                |           |
| २५. | १० शैया सम्मको अस्पताल                                          | १००००।०               |           |

|     |                                    |         |  |
|-----|------------------------------------|---------|--|
| २६. | १५ शैया सम्मको अस्पताल             | १५०००।० |  |
| २७. | अस्पताल भित्र संचालन हुने फार्मोसी | ४०००।०  |  |

६. व्यवसाय कर बाहेक स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति वार्षिक सेवा शुल्क:

| क्र.सं. | संस्थाका किसिम                                   | स्थापनाको लागि |                     | नवीकरणका लागि दस्तुर  |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|         |                                                  | इकाई           | दस्ता अनुमती दस्तुर |                       |
| १       | अस्पताल (१५ शैया)                                | प्रति शैया     | रु. ४०००।-          | प्रति शैया रु. ५००।-  |
| २       | डायग्नोस्टिक सेन्टर                              | प्रति शैया     | रु. १००००।-         | प्रति शैया रु. १०००।- |
| ३       | आयुर्वेद अस्पताल वा अन्य                         | प्रति शैया     | रु. ४०००।-          | प्रति शैया रु. १०००।  |
| ४       | आयुर्वेद क्लिनिक वा अन्य                         | प्रति सेवा     | रु. १००००।-         | प्रति सेवा रु. १०००।  |
| ५       | साधारण क्लिनिक                                   | प्रति सेवा     | रु. १००००।-         | प्रति सेवा रु. १०००।  |
| ६       | प्रयोगशाला "D R E" समुह                          | प्रति सेवा     | रु. १००००।-         | प्रति सेवा रु. १०००।  |
| ७       | निजी स्वास्थ्य संस्था इजाजतको लागि सिफारिस शुल्क | प्रति पटक      | रु. २०००।-          |                       |

७. शैक्षिक संस्था: (निजी क्षेत्रका विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय)

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण                  | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. | कैफियत |
|---------|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| १.      | कोचिङ तथा ट्युसन सेन्टर          | ७५००।०                          |        |
| २.      | विदेशी भाषा कक्षा संचालन केन्द्र | १००००।०                         |        |
| ३.      | लाहुरे तालिम केन्द्र             | ७०००।०                          |        |
| ४.      | मन्टेश्वरी कक्षा संचालन          | १००००।०                         |        |
| ५.      | आधारभुत तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) | ८०००।०                          |        |
| ६.      | आधारभुत तह (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) | १२०००।०                         |        |

|     |                                      |         |  |
|-----|--------------------------------------|---------|--|
| ७.  | माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १० सम्म)   | २००००।० |  |
| ८.  | माध्यमिक तह (कक्षा ११ देखि १२ सम्म)  | ३००००।० |  |
| ९.  | विश्वविद्यालय                        | ४००००।० |  |
| १०  | व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालय     | १५०००।० |  |
| ११. | उच्च माध्यमिक तथा कलेजको संकालय थप   | २५०००।० |  |
| १२. | तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र          | ८०००।०  |  |
| १३. | ब्रिजकोर्स संचालन केन्द्र            | ३०००।०  |  |
| १४. | सिपमुलक तालिम संचालन केन्द्र         | ३०००।०  |  |
| १५. | छात्र/छात्रावास                      | ५०००।०  |  |
| १६  | कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र आधारभुत  | २५००।०  |  |
| १७  | कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र डिप्लोमा | ५०००।०  |  |

## ८. अन्य व्यवसायहरु:

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण                                 | आ.व.<br>०८३/८४ को<br>लागि वार्षिक रु. | कैफियत |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| १.      | पार्टि प्यालेस                                  | २००००।०                               |        |
| २.      | क्यासिनो                                        | १०००००।०                              |        |
| ३.      | क्याटरिड सेवा                                   | ७०००।०                                |        |
| ४.      | शैलुन/ह्याण्डसम पार्लर                          | २५००।०                                |        |
| ५.      | व्युटीपार्लर                                    | २५००।०                                |        |
| ६       | सिपमुलक तालिम केन्द्र                           | ५०००।०                                |        |
| ७       | मसाज पार्लर                                     | १००००।०                               |        |
| ८.      | हेल्थक्लब तथा व्ययामशाला एरोबिक सेन्टर जिम क्लब | ५०००।०                                |        |
| ९.      | ट्याटु व्यवसाय                                  | २०००।०                                |        |

|     |                                                       |          |  |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|--|
| १०. | पार्क पिकनिक स्पर्ट                                   | ५०००।०   |  |
| ११. | फुटसल,ईन्डोर क्रिकेट,पुल हाउस,स्नोकर                  | ५०००।०   |  |
| १२. | शिशु स्याहार केन्द्र                                  | १५००।०   |  |
| १३. | ईटाभट्टा उद्योग                                       | ५००००।०  |  |
| १४. | ब्लक उद्योग                                           | २५०००।०  |  |
| १५. | क्रसर उद्योग                                          | १०००००।० |  |
| १६. | कंक्रीट उद्योग                                        | २५०००।०  |  |
| १७. | ढुङगा/गिटि/वालुवा/ईटा डिपो संचालन गर्ने               | २५०००।०  |  |
| १८. | सिनेमा हल                                             | ७५००।०   |  |
| १९. | अनलाईन विजनेस                                         | ५०००।०   |  |
| २०. | अनलाईन पत्रिका तथा न्युज                              | ५०००।०   |  |
| २१. | छापाखाना                                              | ४०००।०   |  |
| २२. | वस सेवा तथा टिकट काउन्टर                              | १५००।०   |  |
| २३. | योगा व्यवसाय                                          | ५००।०    |  |
| २४. | सरसफाई सेवा व्यवसाय                                   | ६०००।०   |  |
| २५. | विज्ञापन एजेन्सी                                      | ८०००।०   |  |
| २६. | सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनी                              | ५०००।०   |  |
| २७. | ल फर्म/नोटरी पब्लीक                                   | ४०००।०   |  |
| २८. | लेखापढी व्यवसायी                                      | २०००।०   |  |
| २९. | कार्गो सेवा                                           | ४०००।०   |  |
| ३०. | ढुवानी व्यवसाय                                        | ७५००।०   |  |
| ३१. | क्युरियर सेवा                                         | ४०००।०   |  |
| ३२. | कम्प्युटर सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर निर्माण गर्ने कम्पनी | ५०००।०   |  |

|     |                                                         |         |  |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|--|
| ३३. | कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण गर्ने व्यवसाय                | ३०००।०  |  |
| ३४. | खाना पकाउने ग्याँस को खुद्रा विक्रेता १०० सिलिण्डर सम्म | २५००।०  |  |
| ३५. | खाना पकाउने ग्याँस को थोक विक्रेता                      | ७५००।०  |  |
| ३६. | फोटोग्राफी व्यवसाय                                      | ३०००।०  |  |
| ३७. | चिसो पेय पदार्थ थोक विक्रेता                            | १००००।० |  |
| ३८. | फर्निचर सोरुम                                           | ५०००।०  |  |
| ३९. | सःमिल                                                   | ७०००।०  |  |
| ४०. | सेलर मिल                                                | ३००००।० |  |
| ४१. | होलर मिल                                                | १००००।० |  |
| ४२. | खाद्य बैंक                                              | १००००।० |  |
| ४३. | कवाडी व्यवसाय दर्ता                                     | १००००।० |  |
| ४४. | रिकन्डीसन चारपाङ्ग्रे                                   | २५०००।० |  |
| ४५. | रिकन्डीसन दुईपाङ्ग्रे                                   | १००००।० |  |
| ४६. | आलमुनियम उद्योग                                         | ७५००।०  |  |
| ४७. | मिनि मार्केट                                            | ५०००।०  |  |
| ४८. | डिपार्टमेन्ट स्टोर                                      | २५०००।० |  |
| ४९. | गार्मेन्ट उद्योग                                        | ३००००।० |  |
| ५०. | ट्राभल एण्ड टुर्स व्यवसाय                               | ५०००।०  |  |
| ५१. | वहुराष्ट्रिय कम्पनीको डिलर अन्यमा समावेस भएको वाहेक     | १००००।० |  |
| ५२. | पानी उत्पादन कम्पनी                                     | २००००।० |  |
| ५३. | पानी सप्लाई व्यवसाय                                     | १००००।० |  |
| ५४. | दुरसञ्चार व्यवसाय निजी सेवा प्रदायक                     | २५०००।० |  |
| ५५. | ड्राई क्लिनर्स                                          | ५०००।०  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ५६. | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय दर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०,०००।०                                                                                         |                    |
| ५७. | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय नविकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५०००।०                                                                                          |                    |
| ५८. | कम्पनी रजिष्ट्रेसन कार्यालयमा दर्ता भएको तर नगरपालिकामा दर्ता नभएको हकमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                    |
|     | व्यवसाय दर्ता शुल्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रु. १००००।०                                                                                      |                    |
|     | वार्षिक कारोवार शुन्य भएमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रु.५०००।००                                                                                       | (नविकरणको हकमा)    |
|     | वार्षिक एक करोड सम्म कारोवार भएमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रु.१००००।००                                                                                      |                    |
|     | वार्षिक एक करोड १ देखी माथिको कारोवारमा प्रति करोड रु १०००।००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यस ऐनमा अन्यत्र व्यवसायको शिर्षक र दर्ता शुल्क उल्लेख भएको व्यवसायको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने |                    |
| ५९. | पेट्रोल पम्प २ वटा मेसिन सम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २०,०००।०                                                                                         | थप प्रतिमेसिन ५००० |
| ६०. | एफ.एम.रेडियो संचालन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५०००।०                                                                                           |                    |
| ६१. | स्थानीय टेलिभिजन स्टेसन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७५००।०                                                                                           |                    |
| ६२. | सफ्टवेयर व्यवसाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २५००।०                                                                                           |                    |
| ६३. | केवल तथा ईन्टरनेट व्यवसाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५०००।०                                                                                           |                    |
| ६४. | हाउजिड/रियलस्टेट कम्पनी दर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २५०००।०                                                                                          |                    |
| ६५. | हाउजिड/रियलस्टेट कम्पनी नविकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५०००।०                                                                                          |                    |
|     | अडिड रिपोर्टको आधारमा शुन्य कारोवार भएको व्यवसायीको हकमा रु.५०००।००<br>जग्गा विकास योजना स्वीकृत भएको हकमा बाटोको भाग कटाई:-<br>१.व्यवसायीक क्षेत्रमा पर्ने हाईवे छोएको जग्गाको प्रती कट्टा रु. ५ हजार ।<br>२.व्यवसायीक क्षेत्रमा पर्ने हाईवेले नछोएका भित्री बाटोले छोएका जग्गाहरु र आवासीय क्षेत्रका मुल सडकले छोएका जग्गा रु. ३ हजार ।<br>३. अन्य आवासीय क्षेत्रको लागि प्रति कट्टा रु. २ हजार । |                                                                                                  |                    |

|     |                                                         |                           |  |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|     | यस अघी कित्ताकाट भएको जग्गाको हकमा यो नियम लागु नहुने । |                           |  |
| ६६. | टायर पसल                                                | १००००।०                   |  |
| ६७. | छालाजन्य सामग्री व्यवसाय                                | ५०००।०                    |  |
| ६८. | मदिरा होलसेल (डिलर)                                     | १५०००।०                   |  |
| ६९. | शेयर कारोबार गर्ने व्यवसाय                              | ४०००।०                    |  |
| ७०. | विमा एजेन्ट                                             | ३०००।०                    |  |
| ७१. | सर्भेयर                                                 | ३०००।०                    |  |
| ७२. | भन्सार एजेन्ट                                           | ४०००।०                    |  |
| ७३. | सैफ्टीटंकी संचालन गर्ने व्यवसाय                         | २५००।०                    |  |
| ७४. | ड्राईभिङ सेन्टर(ट्रायल सेन्टर)                          | ५०००।०                    |  |
| ७५. | अस्थायी क्रसर उद्योग अनुमती शुल्क                       | ५००००।००                  |  |
| ७७. | अस्थायी अस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना अनुमती शुल्क           | २५०००।००                  |  |
| ७८. | रेडियो रोयल्टी                                          | कुल आम्दानीको ०.५ प्रतिशत |  |

## ९. संस्था दर्ता शुल्क:

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण                                                | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| १.      | अन्तराष्ट्रिय गैहसरकारी संस्था                                 | २००००।०                         |        |
| २.      | स्वदेशी गैहसरकारी संस्था                                       | ५०००।०                          |        |
| ३.      | टोल विकास संस्था दर्ता शुल्क                                   | १०००।०                          |        |
| ४.      | केवल नेटवर्क ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (केन्द्रिय कार्यालय) | ७०००।०                          |        |
| ५.      | केवल नेटवर्क ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (शाखा कार्यालय)      | ५०००।०                          |        |

**नोट:** केवल नेटवर्क तथा इन्टरनेटको तार विस्तार गर्न नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । पूर्व स्वीकृति नलिई बिस्तार भएका तार तथा केवल नेटवर्कहरु नगरपालिकाले सूचना दिई वा नदिई जुनसुकै समयमा हटाउन सक्नेछ ।

| ९.ज्वेलरी, सुनचाँदी गरगहना थोक तथा खुद्रा व्यवसाय:                                                                              |                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| क्र.स.                                                                                                                          | लगानी तथा पुंजी                           | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. |
| १                                                                                                                               | रु १ देखि रु ५ लाखसम्म                    | २,५००।०                         |
| २                                                                                                                               | रु ५ लाख १ देखि रु १५ लाखसम्म             | ४,०००।०                         |
| ३                                                                                                                               | रु १५ लाख १ देखि रु ३० लाखसम्म            | ५,५००।०                         |
| ४                                                                                                                               | रु ३० लाख १ देखि रु ५० लाखसम्म            | ७,०००।०                         |
| ५                                                                                                                               | रु ५० लाख १ देखि रु १ करोड सम्म           | १५,०००।०                        |
| १०.ईलेक्ट्रोनिक्स सामाग्रीहरुको थोक तथा खुद्रा व्यवसाय (मोबाईल, कम्प्युटर, एसी, फ्रिज, टिभी, क्यामेरा पंखा लगायतका सामाग्रीहरु) |                                           |                                 |
| क्र.स.                                                                                                                          | लगानी तथा पुंजी                           | वार्षिक दर रु.                  |
| १                                                                                                                               | रु १ देखि रु ५ लाखसम्म                    | १,५००।०                         |
| २                                                                                                                               | रु ५ लाख १ देखि रु १५ लाखसम्म             | २,५००।०                         |
| ३                                                                                                                               | रु १५ लाख १ देखि रु ३० लाखसम्म            | ४,०००।०                         |
| ४                                                                                                                               | रु ३० लाख १ देखि रु ५० लाखसम्म            | ६,०००।०                         |
| ५                                                                                                                               | रु ५० लाख १ देखि रु १ करोड सम्म           | ८,०००।०                         |
| ६                                                                                                                               | रु १ करोड देखि माथि प्रति करोड रु १०००    |                                 |
| ११.ईलेक्ट्रिकल सामाग्रीहरुको थोक तथा खुद्रा व्यवसाय ः                                                                           |                                           |                                 |
| क्र.स.                                                                                                                          | लगानी तथा पुंजी                           | वार्षिक दर रु.                  |
| १                                                                                                                               | रु १ देखि रु ५ लाखसम्म                    | १,५००।०                         |
| २                                                                                                                               | रु ५ लाख १ देखि रु १५ लाखसम्म             | २,५००।०                         |
| ३                                                                                                                               | रु १५ लाख १ देखि रु ३० लाखसम्म            | ४,०००।०                         |
| ४                                                                                                                               | रु ३० लाख १ देखि रु ५० लाखसम्म            | ६,०००।०                         |
| ५                                                                                                                               | रु ५० लाख १ देखि रु १ करोड सम्म           | ८,०००।०                         |
| ६                                                                                                                               | रु १ करोड देखि माथि प्रति करोड रु १०००।०० |                                 |



| १२.ट्रक्टर, कार, जीप, अटो मोबाईल्स मोटर पार्ट, मिल मेसिनरी सामाग्रीहरुको विक्री गर्ने व्यवसायः |                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| क्र.स.                                                                                         | लगानी तथा पुंजी                           | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. |
| १                                                                                              | रु ३० लाखसम्म                             | ७,०००।०                         |
| २                                                                                              | रु ३० लाख १ देखि १ करोड सम्म              | ११,०००।०                        |
| ३                                                                                              | रु १ करोड देखि माथी प्रति करोड रु. १०००।० |                                 |
| १३.हार्डवेयर सामाग्रीहरुको थोक तथा खुद्रा व्यवसायः                                             |                                           |                                 |
| क्र.स.                                                                                         | लगानी तथा पुंजी                           | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. |
| १                                                                                              | रु १ देखि रु ५ लाखसम्म                    | २,५००।०                         |
| २                                                                                              | रु ५ लाख १ देखि रु १५ लाखसम्म             | ४,०००।०                         |
| ३                                                                                              | रु १५ लाख १ देखि रु ३० लाखसम्म            | ५,०००।०                         |
| ४                                                                                              | रु ३० लाख १ देखि रु ५० लाखसम्म            | ६,०००।०                         |
| ५                                                                                              | रु ५० लाख १ देखि रु १ करोड सम्म           | ८,०००।०                         |
| १४.दैनिक खाद्य सामाग्री, किताव कापी, स्टेशनरी, दुधमिठाई आदीको थोक तथा खुद्रा व्यवसायः          |                                           |                                 |
| क्र.स.                                                                                         | लगानी तथा पुंजी                           | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. |
| १                                                                                              | रु १ देखि रु १ लाखसम्म                    | ५००।०                           |
| २                                                                                              | रु १ लाख १ देखि रु ३ लाखसम्म              | १,०००।०                         |
| ३                                                                                              | रु ३ लाख १ देखि रु ५ लाखसम्म              | १,५००।०                         |
| ४                                                                                              | रु ५ लाख १ देखि रु १० लाखसम्म             | २,५००।०                         |
| ५                                                                                              | रु १० लाख १ देखि रु २० लाख सम्म           | ३,५००।०                         |
| ६                                                                                              | रु २० लाख १ देखि ३५ लाखसम्म               | ५,०००।०                         |
| ७                                                                                              | रु ३५ लाख १ देखि ५० लाखसम्म               | ६,०००।०                         |
| ८                                                                                              | रु ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म              | १५,०००।०                        |
| १५.कोलड्रिङ्स, सिसा फ्रेमिड र सजावटका सामानहरुको खुद्रा व्यवसायः                               |                                           |                                 |
| क्र.स.                                                                                         | लगानी तथा पुंजी                           | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. |

|   |                                 |          |
|---|---------------------------------|----------|
| १ | रु १ देखि रु १ लाखसम्म          | ५००।०    |
| २ | रु १ लाख १ देखि रु ३ लाखसम्म    | १,०००।०  |
| ३ | रु ३ लाख १ देखि रु ५ लाखसम्म    | १,५००।०  |
| ४ | रु ५ लाख १ देखि रु १० लाखसम्म   | २,५००।०  |
| ५ | रु १० लाख १ देखि रु २० लाख सम्म | ३,५००।०  |
| ६ | रु २० लाख १ देखि ३५ लाखसम्म     | ५,०००।०  |
| ७ | रु ३५ लाख १ देखि ५० लाखसम्म     | ६,०००।०  |
| ८ | रु ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म    | १०,०००।० |

## १६.सुति कपडा, रेडिमेन्ट कपडाको थोक तथा खुद्रा व्यवसाय:

| क्र.स. | लगानी तथा पुंजी                 | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| १      | रु १ देखि रु १ लाखसम्म          | ५००।०                           |
| २      | रु १ लाख १ देखि रु ३ लाखसम्म    | १,०००।०                         |
| ३      | रु ३ लाख १ देखि रु ५ लाखसम्म    | १,५००।०                         |
| ४      | रु ५ लाख १ देखि रु १० लाखसम्म   | २,५००।०                         |
| ५      | रु १० लाख १ देखि रु २० लाख सम्म | ३,५००।०                         |
| ६      | रु २० लाख १ देखि ३५ लाखसम्म     | ५,०००।०                         |
| ७      | रु ३५ लाख १ देखि ५० लाखसम्म     | ६,०००।०                         |
| ८      | रु ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म    | १०,०००।०                        |

## १७.कुटानी, पिसानी, पेलानी व्यवसाय:

| क्र.स. | लगानी तथा पुंजी                 | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| १      | रु १ देखि रु १ लाखसम्म          | ५००।०                           |
| २      | रु १ लाख १ देखि रु ३ लाखसम्म    | १,०००।०                         |
| ३      | रु ३ लाख १ देखि रु ५ लाखसम्म    | १,५००।०                         |
| ४      | रु ५ लाख १ देखि रु १० लाखसम्म   | २,५००।०                         |
| ५      | रु १० लाख १ देखि रु २० लाख सम्म | ३,५००।०                         |
| ६      | रु २० लाख १ देखि ३५ लाखसम्म     | ५,०००।०                         |

| ७                                                                                                | रु ३५ लाख १ देखि ५० लाखसम्म     | ६,०००।०                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ८                                                                                                | रु ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म    | १०,०००।०                         |
| १८.भाडा बर्तन जुत्ता चप्पल मनिहारी हेल्थ केयर कृतिम गहना, होलसेल र खुद्रा कारोबार गर्ने व्यवसाय: |                                 |                                  |
| क्र.स.                                                                                           | लगानी तथा पुँजी                 | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु.. |
| १                                                                                                | रु १ देखि रु १ लाखसम्म          | ५००।०                            |
| २                                                                                                | रु १ लाख १ देखि रु ३ लाखसम्म    | १,०००।०                          |
| ३                                                                                                | रु ३ लाख १ देखि रु ५ लाखसम्म    | १,५००।०                          |
| ४                                                                                                | रु ५ लाख १ देखि रु १० लाखसम्म   | २,५००।०                          |
| ५                                                                                                | रु १० लाख १ देखि रु २० लाख सम्म | ३,५००।०                          |
| ६                                                                                                | रु २० लाख १ देखि ३५ लाखसम्म     | ५,०००।०                          |
| ७                                                                                                | रु ३५ लाख १ देखि ५० लाखसम्म     | ६,०००।०                          |
| ८                                                                                                | रु ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म    | १०,०००।०                         |

१९.माथी उल्लेखित वाहेकका अन्य उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरुमा पुँजी लगानीको आधारमा तपशिल बमोजिमको दरमा कर लाग्नेछ ।

| क्र.सं. | कुल पुँजी लगानी                     | आ.व. ०८३/८४ को लागि वार्षिक रु. | कैफियत |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| १.      | एकलाख रुपैयाँ सम्म                  | ५००।०                           |        |
| २.      | एकलाख एक देखि तिनलाख रुपैयाँ सम्म   | १०००।०                          |        |
| ३.      | तिनलाख एक देखि पाँचलाख रुपैयाँ सम्म | २०००।०                          |        |
| ४.      | पाँचलाख एक देखि दस लाख रुपैयाँ सम्म | ३०००।०                          |        |
| ५.      | दसलाख एक देखि विस लाख रुपैयाँ सम्म  | ४०००।०                          |        |

|    |                                               |        |  |
|----|-----------------------------------------------|--------|--|
| ६. | विसलाख एक देखि तिस लाख रुपैयाँ सम्म           | ५०००।० |  |
| ७. | तिस लाख एक रुपैयाँ देखि साठीलाख रुपैयाँ सम्म  | ६०००।० |  |
| ८. | साठी लाख एक रुपैयाँ देखि एक करोड रुपैयाँ सम्म | ८०००।० |  |

## २१. व्यवसाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था:

| क्र.सं. | व्यवसाय को विवरण                             | शाखा विस्तार | प्रतिलिपी दस्तुर | नामसारी दस्तुर            | ठाउँसारी दस्तुर                          |                                   | खारेजी दस्तुर | व्यवसाय दर्ता सेवा शुल्क |
|---------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
|         |                                              |              |                  |                           | नगरपालिका भित्र एउटा वडा बाट अर्को वडामा | नगरपालिका बाट बाहिर अन्य पालिकामा |               |                          |
| १.      | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय                     | १५०००        | १०००।०           | ५०००।०                    | ५०००।०                                   | १५०००।०                           | ३०००।०        |                          |
| २.      | अन्य जुनसुकै प्रकारका उद्योग व्यवसाय को हकमा | दर्ता सरह    | ५००।०            | दर्ता दस्तुरको २० प्रतिशत | ३००।०                                    | ५००।०                             | २५०।०         | २५०।०                    |

१. सुन्दरहरैँचा नगरपालिका क्षेत्र भन्दा बाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेको तर सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा शाखा कार्यालय संचालन गर्दा उक्त व्यवसायको चालु पुँजी एकिन गर्न नसकिएमा/नभएमा केन्द्रिय कार्यालयमा भएको चालु पुँजीको ५० प्रतिशत पुँजी भएको मानि सोही बमोजिम व्यवसाय कर अशुल गरिने छ ।

२. म्याद गुज्रेको पछिको दोश्रो आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्त सम्म नवीकरण नभएमा 'घ' वर्गको ईजाजत पत्र स्वतः खारेज हुनेछ । अन्य व्यवसायको हकमा नवीकरण नगरेमा लाग्ने दस्तुरको प्रतिवर्ष १५ प्रतिशत थप जरिवाना गरि अशुलउपर गरिनेछ ।

३. माथि उल्लेखित वाहेकका अन्य व्यवसायमा पुँजीको आधारमा कर लिँदा अन्य सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम वा सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त व्यावसायिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको पुँजी मध्ये जुन बढी छ त्यसैलाई आधार मानी व्यवसाय कर निर्धारण गरिनेछ । व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा चालु तथा स्थिर पुँजी उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

४. सुन्दरहरैँचा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कारोबार गर्ने वित्तिय संस्थाहरु, सुपर मार्केट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु, बीमा कम्पनीहरु, सहकारी लगायत अन्य व्यवसायहरुको हकमा विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालयहरु भएमा प्रत्येक शाखा कार्यालयहरुलाई छुट्टै व्यवसाय मानि तोकिएको दरमा नै व्यवसाय कर तिर्नु पर्नेछ ।
५. कुनै पनि व्यवसायको कारोबार नभएमा वा उक्त व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा नगरपालिका वा सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा निवेदन दिई तोकिएको कर तथा शुल्क तिरेर मात्र व्यवसाय बन्द गर्न सकिनेछ ।
६. गत आर्थिक वर्षहरुको बक्यौता कर अशुल गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको करलाई नै आधार मानि कर अशुल गरिने छ ।
७. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ (२) मा उल्लेख भएका, मानव जिवन तथा वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्योगहरु दर्ता गर्दा स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का गराई मात्र व्यवसाय दर्ता गरिनेछ । अन्य व्यवसायहरुको हकमा व्यवसाय दर्ता गर्दा वडाको सिफारीसलाई आधार मानि व्यवसाय दर्ता गरिनेछ ।
८. हालसम्म नगरपालिकामा दर्ता नभएका व्यवसायहरु दर्ता हुन आएमा चालु आ.व.को अतिरिक्त विगत ५ वर्ष देखी संचालनमा रहेको व्यवसायको हकमा चालु आ.व. बाहेक थप दुई वर्षको र ५ वर्ष भन्दावढी अवधिदेखी संचालनमा रहेको व्यवसायको हकमा ४ वर्षदेखिको कर बुझाएमा सम्पूर्ण कर चुक्ता भएको मानी व्यवसाय अध्यावधिक गरिनेछ । यो बुँदा हाल सम्म नगरपालिकाको राजस्व सिष्टममा दर्ता हुन बाकी रहेका व्यवसायहरुको हकमा मात्र लागू हुनेछ साथै सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा दर्ता भई लामो अवधी देखी नविकरण गर्न छुटेका व्यवसायको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखीको कर चुक्ता गरेमा सम्पूर्ण कर चुक्ता भएको मानी उक्त व्यवसाय अध्यावधिक गरिनेछ ।
९. नगरपालिकाले जारी गरेको कर छुट योजना अनुसार चालु आ.व. भित्र पनि कर बुझाउन नआएमा कुनै पनि छुट योजना लागू हुने छैन ।
१०. पशुजन्य व्यवसाय र स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित व्यवसायहरुको हकमा पशु सेवा शाखा वा सम्बन्धीत पशु सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य शाखा र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको सिफारिसमा मात्र व्यवसाय दर्ता गरिनेछ ।
११. माथि उल्लेख नभएका करहरुको हकमा अधिल्ला आर्थिक ऐनहरुले तोके बमोजिम नै हुनेछ ।
१२. सम्बन्धित आर्थिक वर्ष भित्र व्यवसाय कर नबुझाएमा थप ऐनमा तोकिएबमोजिम जरिवाना लिई नविकरण गरिनेछ ।
१३. एक वर्ष भन्दा वढी अवधी नविकरण गर्न बाँकी भएका वा दर्ता नगरि संचालन गरेका व्यवसायलाई नगरपालिकाले जुनसुकै वेला बन्द गर्नसक्नेछ ।
१४. अन्तिम पटक आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको कारोबारको विवरणको आधारमा १ करोड सम्मको कारोबार हुने फर्म/व्यवसायहरुलाई व्यवसाय नविकरणमा लिईने वार्षिक कर पुँजीगत आधारमा दर्ता शुल्कका लागि तोकिएको कर लिईनेछ र १ करोड सम्मको करलाई आधारभुत कर मानी १ करोड माथी व्यवसायको कारोबारको आधारमा (आन्तरिक राजस्व कार्यालयको करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा) प्रतीकरोड १ हजारका दरले कर अशुल गरिनेछ । त्यसरी कर अशुलि गर्दा दशमलवमा अंक आएमा त्यो भन्दा माथीको अंक लाग्नेछ ।

## अनुसूची-५

(ऐनको दफा ६ सँग सम्बन्धित)

## जडिवुटी, कवाडी र जिबजन्तु दर

१. प्रशोधन गरि पुनः प्रयोग हुन सक्ने देहाय बमोजिमका कवाडी मालसामानहरुमा देहाय बमोजिम शुल्क लगाईनेछ ।

| क्र.सं. | माल वस्तु                                      | इकाई           | दर रु. |
|---------|------------------------------------------------|----------------|--------|
| १.      | गार्मेन्टको कपडाको टुक्रा                      | प्रती के.जी.   | १.५    |
| २.      | जलेको मोविल                                    | प्रति लिटर     | १.०    |
| ३.      | कार्पेटको टुक्रा                               | प्रती के.जी.   | १.९०   |
| ४.      | टायर ट्युब                                     | प्रती के.जी.   | १.५    |
| ५.      | पुरानो टिना/जस्ता                              | प्रती के.जी.   | ०.५    |
| ६.      | पुरानो ड्रम                                    | प्रती के.जी.   | २.०    |
| ७.      | पुराना कागज                                    |                |        |
|         | क. समाचार पत्रिका अन्य कागज (कार्टुन समेत)     | प्रती के.जी.   | ०.५    |
| ८.      | धातुका टुक्राहरु                               |                |        |
|         | क. फलाम पित्तल तथा तामा लगायतका धातु टुक्राहरु | प्रती के.जी.   | १      |
|         | ख. स्टिलका टुक्रा                              | प्रती के.जी.   | ०.७५   |
| ९.      | पोलिथिन पाईपका टुक्राहरु                       | प्रती के.जी.   | ०.७५   |
| १०.     | काँचको धुलो वा टुक्रा                          | प्रती के.जी.   | ०.१    |
| ११.     | व्याट्री                                       | प्रती के.जी.   | ०.५    |
| १२.     | ट्याक्टरको टायर                                | प्रती गोटा     | २०.०   |
| १३.     | गाडिको टायर                                    | प्रती गोटा     | १५     |
| १४.     | सानो टायर/कार मोटरसाईकल/स्कुटर                 | प्रति गोटा     | ५      |
| १५.     | प्लाष्टिकको धुलो/दाना                          | प्रति के.जी.   | २.०    |
| १६.     | पुराना घर भत्काउदा निस्केका काठ/ईटाका टुक्रा   | प्रती ट्याक्टर | ५००    |
| १७.     | पुराना घर भत्काउदा निस्केका काठ/ईटाका टुक्रा   | प्रती ट्रक     | १०००   |

२. अन्य कवाडी सामानहरुको दर:

| क्र.सं. | माल वस्तु                                                             | इकाई         | दर रु. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| १.      | खाली सिसि बोतल                                                        | प्रति गोटा   | ०.२०   |
| २.      | प्लाष्टिक (बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता चप्पल, ग्यालेन जर्किन आदी) | प्रति के.जी. | ०.५    |
| ७.      | खालि बोरा:                                                            |              |        |

|    |           |                                    |            |      |
|----|-----------|------------------------------------|------------|------|
|    | क.        | ५० के.जी. क्षमताका प्लाष्टिका बोरा | प्रति गोटा | ०.२५ |
|    | ख.        | जुटका बोरा                         | प्रति गोटा | ०.५० |
| ८. | तेलको टिन |                                    |            |      |
|    | क.        | २० लि. सम्म क्षमताको               | प्रति गोटा | ०.७  |
|    | ख.        | २०. लि.भन्दा बढी क्षमताको          | प्रति गोटा | १.०  |

## ३. प्रचलित कानूनले निषेध गरेको वाहेकको मृत जिव जन्य वस्तु:

| क्र.सं. | विवरण                             | इकाई         | दर रु. |
|---------|-----------------------------------|--------------|--------|
| १.      | हाँस,कुखुरा,जस्ता पंक्षीको प्वाँख | प्रति के.जी. | ९.०    |
| २.      | हाड                               | प्रति के.जी. | ५.०    |
| ३.      | सिङ                               | प्रति के.जी. | ३.०    |
| ४.      | खुर                               | प्रति के.जी. | ३.०    |
| ५.      | छाला गोरु भैंसी राँगा             | प्रति गोटा   | २००.०  |
| ६.      | छाला खसी वोका वाखा                | प्रति गोटा   | ५०.०   |

## ४. जडिवुटी:

| क्र.सं. | विवरण          | इकाई         | दर रु. |
|---------|----------------|--------------|--------|
| १.      | बेल            | प्रति के.जी. | १.०    |
| २.      | कुरिलोको जरा   | प्रति के.जी. | २.०    |
| ३.      | तितेपाती       | प्रति के.जी. | ७.५    |
| ४.      | अमला           | प्रति के.जी. | ४.५    |
| ५.      | च्याउ          | प्रति के.जी. | १.०    |
| ६.      | अदुवा          | प्रति के.जी. | ३.०    |
| ७.      | सुकेको वेसार   | प्रति के.जी. | १.०    |
| ८.      | काँचो वेसार    | प्रति के.जी. | १.०    |
| ९.      | पानको पात      | प्रति के.जी. | १.०    |
| १०.     | खयर            | प्रति के.जी. | १.०    |
| ११.     | वेत            | प्रति के.जी. | १.०    |
| १२.     | तेजपात         | प्रति के.जी. | १.०    |
| १३.     | मह             | प्रति के.जी. | १.२०   |
| १४.     | सुपाडी सुकेको  | प्रति के.जी. | ९.०    |
| १५.     | सुपाडी काँचो   | प्रति के.जी. | १.०    |
| १६.     | ब्रानको तेल    | प्रति लि.    | १.०    |
| १५.     | अम्लिसो,       | प्रती के.जी. | १.०    |
| १६.     | जडिवुटी        | प्रती के.जी. | २.०    |
| १७.     | रुद्राक्ष दाना | प्रती के.जी. | ५.०    |

|     |                                         |              |       |
|-----|-----------------------------------------|--------------|-------|
| १८. | नरिवल                                   | प्रती के.जी. | ५.०   |
| १९. | अन्य तेलहन पिना, लुज, तेल, ब्राण्ड, भुस | प्रती ट्रक   | ५००.० |

## ५. वनकस

| क्र.सं. | विवरण   | इकाई         | दर रु. |
|---------|---------|--------------|--------|
| १.      | छवाली   | प्रती के.जी. | १.०    |
| २.      | खर पराल | प्रती के.जी. | १.०    |
| ३.      | खोटो    | प्रति टिप    | ५००.०  |

नोट: वर्गिकरण नखुलेका वस्तुको हकमा नगरपालिकाले निर्णय गरि दर तोक्न सक्नेछ । साथै ४० माईक्रोन भन्दा कमका प्लाष्टिक र सिसाका टुक्रहरुमा कर लाग्ने छैन ।

## पुनश्च:

माथि उल्लेखित दर अनुसार आय ठेक्का मार्फत कवाडीजन्य सामग्रीहरुबाट कर संकलन हुन नसकेमा कारोबारको आधारमा व्यवसायीहरुलाई मासिक मास्केवारी रिपोर्ट पेश गर्न लगाई सो को आधारमा कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको रकम कवाडी करको रुपमा कर्मचारीबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कर संकलन गर्न सकिनेछ ।



## अनुसूची-६

(ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

सवारी साधन कर:

साना सवारी (ई-रिक्सा)

१. ई-रिक्सा दर्ता शुल्क ५०००।०

२. नविकरण शुल्क २०००।०

३. बलुबुक नवीकरण म्याद सकिएको ३ महिना देखि ४ महिनासम्म( लागने दस्तुरमा थप ५ प्रतिशत बिलम्ब शुल्क ।

४. बलुबुक नवीकरण म्याद सकिएको ४ महिना देखि ६ महिनासम्म( लागने दस्तुरमा थप १० प्रतिशत बिलम्ब शुल्क ।

५. बलुबुक नवीकरण म्याद सकिएको ६ महिना देखि १२ महिनासम्म( लागने दस्तुरमा थप २० प्रतिशत बिलम्ब शुल्क ।

६. बलुबुक नवीकरण म्याद सकिएको १ वर्ष देखि माथि सम्म ( लागने दस्तुरमा थप ३२ प्रतिशत बिलम्ब शुल्क ।

## ७. अन्य दस्तुर

क. ईरिक्सा स्थानान्तरण सिफारिस दस्तुर सुन्दरहरैँचाबाट अर्को पालिका रु. १०००।

ख. ईरिक्सा नामसारी दस्तुर रु १०००।०

ग. बलुबुक प्रतिलिपी जारी रु ५००।०

घ. सवारी जाँचपास प्रतिलिपी जारी रु १००।०

ङ. सवारी जाँचपास दस्तुर छ/छ महिनामा रु.१५०।००

पुनश्च:

माथि उल्लेख भए वाहेकका सवारी साधन कर तथा दस्तुरको सम्बन्धमा कोशी प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । सिटिरिक्साको हकमा मेकानिकल ईन्जिनियरले सिफारिस गरेको हकमा मात्र वार्षिक नविकरण गरिनेछ ।

## अनुसूची-७

(ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

विज्ञापन करको दर

| सि.नं. | विवरण                                                                                                                                                        | वार्षिक रकम रु                      | कैफियत                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| १      | होडिङ्ग बोर्ड लोक मार्गको दक्षिणमा प्रति बर्ग फिट                                                                                                            | ०।००                                | लोक मार्गमा राख्न नपाउने                   |
| २      | सार्वजनिक स्थानमा रहेका होडिङ्ग बोर्ड लोक मार्गको १०५ फिट दायाँ बायाँ प्रति बर्ग फिट                                                                         | १५०।००                              | निजी स्थानमा रु १००।००                     |
| ३      | फ्लेक्स बोर्ड लोकमार्गको उत्तर दक्षिणमा प्रति बर्ग फिट                                                                                                       | १३०।००                              | निजी स्थानमा रु १००।००                     |
| ४      | भित्ते लेखन (सटर समेत) प्रति बर्ग फिट                                                                                                                        | नपाउने                              | निजी स्थानमा रु २०।००                      |
| ५      | डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड                                                                                                                                        | सार्वजनिक स्थानमा १३० प्रति वर्गफिट | निजी स्थानमा १००।०० रुपैयाँ प्रति बर्ग फिट |
| ६      | व्यानर प्रति हप्ताको रु १०००।०० मात्र, सडक क्रस गरेर व्यानर राख्न अनुमति लिनु पर्ने ।                                                                        |                                     |                                            |
| ७      | बन्डिड व्यानर तुल्य व्यापारीक प्रति गोटा रु ३००।०० मात्र दुई हप्ता ।                                                                                         |                                     |                                            |
| ८      | गेट राख्ने न.पा. को स्वीकृति लिई हप्तामा रु २०००।०० छाप्या स्टल बेलुन डमी लगायतका प्रचार सामाग्रिहरुको प्रति हप्ता प्रति गोटा रु २०००।००                     |                                     |                                            |
| ९      | न.पा. ले स्वीकृति दिएका र सम्झौता गरेको हकमा लिन पाईने छैन ।                                                                                                 |                                     |                                            |
| १०     | न.पा. को उल्लेखित क्षेत्रमा मात्र लिन पाईने छ अन्य क्षेत्रमा लिन नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।                                                    |                                     |                                            |
| ११     | प्रचार प्रसार माईकिङ्ग प्रति दिन रु ४००।०० मात्र राजनैतिक दल र सार्वजनिक सूचनाको प्रचार प्रसारमा कर लिन पाईने छैन ।                                          |                                     |                                            |
| १२     | व्यवासय भएको स्थानमा रहेको ३० बर्ग फिट सम्मको जुनसुकै प्रकारको परिचयपाटी/बोर्डको कर लिन पाईने छैन । सो भन्दा बढीको भएमा माथि तोकिएको कर लिन बाधा पर्ने छैन । |                                     |                                            |
| १३     | विद्युत पोलमा पेन्टिङ गर्नेलाई प्रति पोल रु २५०।०० बार्षिक लिईने छ ।                                                                                         |                                     |                                            |
| १४     | लोकमार्ग क्षेत्रको दायाँबायाँ वाल पेन्टिङ घरटहरा व्यापारीक क्षेत्र सार्वजनिक स्थलमा राख्न स्वीकृति दिईने छैन ।                                               |                                     |                                            |
| १५     | वियर, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापनलाई निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा राख्न स्वीकृति दिईने छैन ।                                                  |                                     |                                            |
| १६     | राजनैतिक, धार्मीक र सामाजिक व्यानर ३ हप्ता सम्म निशुल्क राख्न दिईनेछ ।                                                                                       |                                     |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जनसमुदाय भेला हुने स्थान जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भन्सार, अदालत, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, राजश्व कार्यालय नगरपालिकाको कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, अगाडी नगरपालिकाले तोकेको आकारमा मात्र बोर्ड वा प्रचार सामाग्री राख्न पाईनेछ । |
| १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2D,3D,ACP,GOLDSHINE तथा रोसाईन बोर्डले नगर क्षेत्र भित्र बार्षिक रु २००।०० रुपैया प्रति बर्ग फिट विज्ञापन कर तिर्नु पर्नेछ ।                                                                                                                                       |
| नोट: १. नगरपालिका सँग अनुमति नलिई राखिएका विज्ञापन बोर्डहरूमा शत प्रतिशत दण्ड जरिवाना गरी कर असुली गरीनेछ भने व्यवसायिक प्रयोजनका लागि व्यवसाय संचालनभएका होटल रेष्टुरेन्ट पसल सिनेमा हल रिसोर्ट पार्टी प्यालेस जस्ता मानिसहरूको भिडभाड हुने क्षेत्र वा स्थान भित्र राखिएका प्रचार सामाग्रीहरूको कर तोकिएकै दररेट बमोजिम अशुल उपर गरिने छ । |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**अनुसूची-८**  
**(ऐनको दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)**  
**बहाल विटौरी शुल्क**

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                         | शुल्क दर/रेट<br>मासिक/वार्षिक | कैफियत                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.      | <b>हाट बजार कर</b>                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                      |
|         | नगरपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थलमा नगरपालिकाको आफ्नै स्वामित्वमा संचालित हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा प्रति स्टल                                                                                                              | २०००।०                        |                                                                                                                                                      |
|         | नगरपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थलमा व्यक्तीवा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा संचालित हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा प्रति स्टल                                                                                                       | १००।०                         |                                                                                                                                                      |
| २       | <b>ऐलानी जग्गामा बहाल कर</b>                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                      |
|         | नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने प्रति ऐलानी जग्गामा नगरपालिका आफैँले टहरा, छाप्रा निर्माण गरि रेखदेख गरि संचालन गरेको अस्थायी पसल वा आवासको लागि उपलब्ध गराइएको प्रति टहरा, छाप्राको                                    | १५००।०                        |                                                                                                                                                      |
| ३.      | नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक, ऐलानी जग्गा वा सडकको किनारमा बनाईएका अस्थायी प्रकृतिका भौतिक संरचना बनाई अस्थायी रूपमा आफैँ बोसोवास गर्ने सँग बहाल विटौरी शुल्क उठाउने तथा उक्त संरचनालाई नियमानुसार बहालमा लगाउने । | २०००।०                        | ✓ पुर्व पश्चिम लोकमार्ग र विराटचोक घिनाघाट सडकको दायाँ बायाँ ०.५ किलोमिटर क्षेत्रका जग्गा उपभोग गरि बस्ने सँग मासिक न्यूनतम रु १५००।० र पुर्व पश्चिम |

|                                          |                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                               |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                          |                                                                                                                                       |                                            | लोकमार्ग र<br>विराटचोक<br>घिनाघाट<br>सडकको दायाँ<br>बायाँ ०.५<br>किलोमिटरभन्दा<br>टाढाका क्षेत्रका<br>जग्गा उपभोग<br>गरि बस्ने सँग<br>मासिक<br>रु.१०००।०<br>✓ |        |
| ४.                                       | सार्वजनिक स्थलमा बहाल कर                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                               |        |
|                                          | नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा<br>व्यवसायीक प्रयोजनका लागि निर्माण<br>गरेका वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका<br>भौतिक संरचना वा अन्य सम्पत्ती | प्रति वर्गफिट नियमानुसार<br>बहाल कर लाग्ने |                                                                                                                                                               |        |
| अस्थायी हाटबजार तथा घुम्ती पसल प्रति दिन |                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                               |        |
| सि.नं.                                   | विवरण                                                                                                                                 | इकाई                                       | दर रु.                                                                                                                                                        | कैफियत |
| १                                        | खसि बोका भेडा च्याङ्ग्रा                                                                                                              | प्रति गोटा                                 | विक्रि मुल्यको ३ प्रतिशत                                                                                                                                      |        |
| २                                        | सुगुर बंगुर राँगा भैसी                                                                                                                | प्रति गोटा                                 | विक्रि मुल्यको ३ प्रतिशत                                                                                                                                      |        |
| ३                                        | हाँस कुखुरा परेवा                                                                                                                     | प्रति गोटा                                 | २५.०                                                                                                                                                          |        |
| ४                                        | खसी बोका काटी विक्री गर्ने                                                                                                            | प्रति गोटा                                 | १५०.०                                                                                                                                                         |        |
| ५                                        | सुँगुर बंगुर काटी विक्री गर्ने पसल                                                                                                    | प्रति पसल                                  | १२५.०                                                                                                                                                         |        |
| ६                                        | राँगा काटी विक्री गर्ने पसलमा                                                                                                         | प्रति पसल                                  | १५०.०                                                                                                                                                         |        |
| ७                                        | माछा विक्री गर्ने पसललाई                                                                                                              | प्रति पसल                                  | १२५.०                                                                                                                                                         |        |
| ८                                        | रेडिमेट सामान र थान कपडा विक्री गर्ने                                                                                                 | प्रति पसल                                  | ६५.०                                                                                                                                                          |        |
| ९                                        | जुत्ता चप्पल विक्री गर्ने पसल ठूलो                                                                                                    | प्रति पसल                                  | ६०.०                                                                                                                                                          |        |
| १०                                       | जुत्ता चप्पल विक्री गर्ने पसल सानो                                                                                                    | प्रति पसल                                  | ३५.०                                                                                                                                                          |        |

|    |                                                   |           |      |  |
|----|---------------------------------------------------|-----------|------|--|
| ११ | जुत्ताचप्पल सिलाई गर्ने मेची                      | प्रति पसल | २०.० |  |
| १२ | फलफूल रनास्ता ठेलामा राखी विक्री गर्ने            | प्रति पसल | ३०.० |  |
| १३ | साग सब्जी बेच्ने आलु प्याज पसल सानो               | प्रति पसल | ३०.० |  |
| १४ | साग सब्जी बेच्ने आलु प्याज पसल ठूलो               | प्रति पसल | ७०.० |  |
| १५ | भारमा सब्जी ल्याई बेच्ने                          | प्रति पसल | १०.० |  |
| १६ | मौसम अनुसारको तरकारी बेच्ने                       | प्रति पसल | २०.० |  |
| १७ | मौसम अनुसारको आलु प्याज बेच्ने                    | प्रति पसल | ३०.० |  |
| १८ | फलफूल सागसब्जी प्रति बयल गाडा                     | प्रति पसल | २०.० |  |
| १९ | फलफूल दाल अदुवा लसुन खोर्सानी                     | प्रति पसल | ५०.० |  |
| २० | चामल दाल अदुवा लसुन खोर्सानी                      | प्रति पसल | २५.० |  |
| २१ | मकै पोली बेच्ने                                   | प्रति पसल | १०.० |  |
| २२ | किसाना पसल                                        | प्रति पसल | ३५.० |  |
| २३ | माछा, मासु, तरकारी पसल                            | प्रति पसल | २०.० |  |
| २४ | माटोको भाडो बेच्ने पसल ठूलो                       | प्रति पसल | २५.० |  |
| २५ | माटोको भाडो बेच्ने पसल सानो                       | प्रति पसल | १५.० |  |
| २६ | कुचो कनिया नाइलो बेच्ने                           | प्रति पसल | २०.० |  |
| २७ | जडिबुटी/बिउविजन बेच्ने                            | प्रति पसल | २५.० |  |
| २८ | कपाल काट्ने                                       | प्रति पसल | ३५.० |  |
| २९ | चुरा धागोटिका मनिहारी सुंगारका सामान विक्री गर्ने | प्रति पसल | ६०.० |  |
| ३० | मुरली बाँसुरी गुलेली थैली आदी विक्री गर्ने        | प्रति पसल | २०.० |  |
| ३१ | जुम्राको ओखती बेच्ने                              | प्रति पसल | २०.० |  |
| ३२ | मुसा उडुस उपियामो औषधी बेच्ने                     | प्रति पसल | २०.० |  |
| ३३ | खेल जादु र सर्कस देखाउने                          | प्रति पसल | ५०.० |  |
| ३४ | प्रचार प्रसार गरी व्यवसाय गर्ने                   | प्रति पसल | २०.० |  |
| ३५ | बाँस प्रति बयल गाडा                               | प्रति पसल | ३०.० |  |
| ३६ | बाँस प्रति ट्रक                                   | प्रति पसल | ४०.० |  |
| ३७ | खटियामा सामान विक्री गर्ने                        | प्रति पसल | २०.० |  |
| ३८ | फलामाको औजार तथा सामान बेच्ने                     | प्रति पसल | २५.० |  |
| ३९ | चिया प्रति दोकान                                  | प्रति पसल | २०.० |  |
| ४० | भाडाँकुडा पसल                                     | प्रति पसल | ३०.० |  |

|    |                           |           |      |  |
|----|---------------------------|-----------|------|--|
| ४१ | फोटोफ्रेमिङ               | प्रति पसल | २०.० |  |
| ४२ | मर्मत कुकर, छाता लाईट आदी | प्रति पसल | २०.० |  |
| २५ | कुखरा काटीविक्री गर्ने    | प्रति पसल | ५०.० |  |

१. बहाल विटौरी शुल्क तिरेको प्रमाण अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि मान्य हुने छैन ।

२. माथि नपरेका व्यवसायहरूको हकमा नगरपालिकाले निर्णय गरी रु १ देखि रु ५००।०० सम्म शुल्क तोक्न सक्नेछ ।

**अनुसूची-९**  
(ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)  
**पार्किङ शुल्क**

| क्र.सं.                             | विवरण                                                    | दैनिक पार्किङ शुल्क | कैफियत |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रमा</b> |                                                          |                     |        |
| १.                                  | मोटरसाईकल,स्कुटर,अटो तथा ई-रिक्सा लगायतका सवारी साधन     | १०.०                |        |
| २.                                  | कार,जिप,भ्यान लगायतका साना सवारी साधन                    | २०.०                |        |
| ३.                                  | ठुला सवारी साधन                                          | २५.०                |        |
| ४.                                  | अनुमती लिई संचालन भएका मेवा महोत्सवमा पार्किङ शुल्क वापत | २०.०                |        |
| ५.                                  | चार पाङ्ग्रे मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधन           | ५०.०                |        |
| ६.                                  | छ पाङ्ग्रे मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधन             | ७५.०                |        |
| ७.                                  | १० पाङ्ग्रे मालवाहक सवारी                                | १००.०               |        |
| ८.                                  | १४ पाङ्ग्रे भन्दा माथिका मालवाहक सवारी साधन              | १५०.०४.             |        |

**द्रष्टव्यः**

१. एम्बुलेन्स,दमकल शव वहान पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन ।
२. माथि उल्लेखित स्थानहरूमा हुने पार्किङ स्थल,वस स्टप,पार्किङ निषेध क्षेत्र तथा जेब्रा क्रसिङ सुन्दरहरैँचा नगरपालिका कार्यालय तथा जिल्ला ट्रफिक प्रहरी कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।
३. कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका संस्थागत मिनि वस तथा माईक्रो वसले मासिक रु ५००।०० र ट्याक्सीले मासिक रु ३०० पार्किङ शुल्क भुक्तानी गरेमा पटके पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन ।



**अनुसूची-१०**  
(ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)  
**सेवा, शुल्क, दस्तुर**

| १. नक्सापास दस्तुर:                                                 |                                                                  |                           |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| १.१ भु उपयोग क्षेत्र विभाजनका आधारमा (व्यापारिक)                    |                                                                  |                           |                      |        |
| सि.नं.                                                              | घर नक्सा पास दस्तुर                                              | दर रु.<br>(प्रति वर्गफिट) | मजदुर हितकोष एकमुष्ट | कैफियत |
| १                                                                   | ७०० वर्गफिट सम्मका घरहरू                                         | ४.०                       | ५०००                 |        |
| २                                                                   | ७०१ देखि १००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                               | ६.०                       | ७०००                 |        |
| ३                                                                   | १००१ देखि १५०० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | ८.०                       | ९०००                 |        |
| ४                                                                   | १५०१ देखि २००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | १०.०                      | ११०००                |        |
| ५                                                                   | २००१ देखि २५०० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | ११.०                      | १३०००                |        |
| ६                                                                   | २५०१ देखि ३००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | १२.०                      | १५०००                |        |
| ७                                                                   | ३००१ देखि ४००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | १३.०                      | १७०००                |        |
| ८                                                                   | ४००१ देखि ५००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | १४.०                      | १९०००                |        |
| ९                                                                   | ५००० वर्गफिट देखि माथि जतिसुकै भए पनि रु.                        | २०.०                      | ३५०००                |        |
| १०                                                                  | व्यवसायिक पशुपंक्षी पालनका लागि टहरा निर्माण रु. १ प्रति वर्गफिट |                           |                      |        |
| १.२ भु उपयोग क्षेत्र विभाजनका आधारमा (आवासिय क्षेत्रमा परेका घरहरू) |                                                                  |                           |                      |        |
| सि.नं.                                                              | घर नक्सा पास दस्तुर                                              | दर रु.<br>(प्रति वर्गफिट) | मजदुर हितकोष एकमुष्ट | कैफियत |
| १                                                                   | ७०० वर्गफिट सम्मका घरहरू                                         | ३.०                       | ५०००                 |        |
| २                                                                   | ७०१ देखि १००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                               | ५.५                       | ७०००                 |        |
| ३                                                                   | १००१ देखि १५०० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | ७.०                       | ९०००                 |        |
| ४                                                                   | १५०१ देखि २००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | ८.०                       | ११०००                |        |
| ५                                                                   | २००१ देखि २५०० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | ९.०                       | १३०००                |        |
| ६                                                                   | २५०१ देखि ३००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | १०.०                      | १५०००                |        |
| ७                                                                   | ३००१ देखि ४००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | ११.०                      | १७०००                |        |
|                                                                     | ४००१ देखि ५००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                              | १२.०                      | १९०००                |        |

|   |                                           |      |       |  |
|---|-------------------------------------------|------|-------|--|
| ८ | ४००० बर्गफिट देखि माथि जतिसुकै भए पनि रु. | १८.० | ३०००० |  |
|---|-------------------------------------------|------|-------|--|

**नोट :** घर निर्माण कार्यमा संलग्न हुने मजदूरहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि मजदूर हित कोष स्थापना गरिने छ । उल्लिखित हित कोषमा जम्मा गरिने विषय स्वेच्छिक हुनेछ । हित कोषमा रकम जम्मा नगर्नेले मजदूरको स्वास्थ्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ । अभिलेखीकरणको हकमा यो कोष लागू हुने छैन ।

| १.३ भू उपयोग क्षेत्र विभाजनका आधारमा (औद्योगिक)              |                                                                                                                                  |                           |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| सि.नं.                                                       | घर नक्सा पास दस्तुर                                                                                                              | दर रु.<br>(प्रति बर्गफिट) | कैफियत |
| भू उपयोग बर्गिकरणका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रमा बनेका घरहरू:   |                                                                                                                                  |                           |        |
| १                                                            | २००० बर्गफिट सम्म                                                                                                                | ७.०                       |        |
| २                                                            | २००१ देखि ५००० बर्गफिट सम्मका घरहरू                                                                                              | १०.०                      |        |
| ३                                                            | ५००१ देखि १०००० बर्गफिट सम्मका घरहरू                                                                                             | १३.०                      |        |
| १०००० बर्गफिट देखि माथि जतिसुकै भए पनि प्रति बर्गफिट रु.१४.० |                                                                                                                                  |                           |        |
| १.४ औद्योगिक संरचनामा नक्सापास दस्तुर:                       |                                                                                                                                  |                           |        |
| सि.नं.                                                       | विवरण                                                                                                                            | दर रु.<br>प्रतिबर्गफिट    | कैफियत |
| १                                                            | स्टिल फ्याब्रिकेसन वा आल्मुनियम फ्याब्रिकेसन प्रयोग गरि जस्ताको छानो लगाई निर्माण गर्ने औद्योगिक प्रयोजनको लागि निर्मित संरचनाको | १०.०                      |        |
| २                                                            | स्टिल फ्याब्रिकेसन वा आल्मुनियम फ्याब्रिकेसन गरि जस्ताको छानो लगाई निर्माण गर्ने व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्मित संरचनाको       | ९.०                       |        |

**नोट: १.** औद्योगिक क्षेत्र भन्नाले नगर क्षेत्र भित्र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम स्थापनाका लागि नगरपालिकाले निर्णय गरि विभाजन गरीएको क्षेत्र भन्ने बुझाउनेछ । नगरसभाले उल्लेख गरिएका बाहेकका क्षेत्रहरूलाई औद्योगिक क्षेत्र मानिने छैन । संघीय र प्रदेश सरकारको निर्णयबाट हुने औद्योगिक क्षेत्र घोषणा बाहेक नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र भनि घोषणा गरिने क्षेत्रहरू नगरसभाले मात्र गर्नेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूले शैक्षिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका भवनहरूमा नक्सापास दस्तुर लाग्ने छैन तर व्यवसायीक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको भवनको हकमा तोकिएको शुल्क लाग्नेछ ।

२. घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्दा नियमानुसार लाग्ने दस्तुरको तिनगुणा दस्तुर लाग्ने तर नगरपालिका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्य निकायले निर्माण गरेका सार्वजनिक सरकारी घर/संरचनाको नक्सापास/अभिलेखिकरण निशुल्क वा छुटमा गर्न सकिने ।

| १.४ सबै प्रकारका जग्गाहरूमा हुने अन्य किसिमका निर्माणमा |                          | दर रु. | कैफियत |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| १                                                       | कम्पाउण्ड वाल रनिङ्ग फिट | ३.०    |        |

|   |                                             |     |  |
|---|---------------------------------------------|-----|--|
| २ | माटो जोडाईबाट हुने निर्माण प्रति वर्गफिट    | १.० |  |
| ३ | कच्ची फुक्का ढुङ्गाको निर्माण प्रति वर्गफिट | १.० |  |

भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु हुनु भन्दा पहिले बनेका घरहरूको हकमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४२ तथा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको बस्ती विकास तथा भवन निर्माण कार्यविधि, २०८२ ले गरेको व्यवस्था नै अन्तिम हुनेछ ।

|      |                                                                                                         |        |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| १.५  | नक्सापास नामसारी दस्तुर मृत्यु पछिको एकमुष्ट रु.                                                        | १०००.० |  |
| १.६  | नक्सापास नामसारी दस्तुर विक्री, दाईजो, बक्स, लिलामी, दान दातव्य र उपहारबाट स्वामित्व सिर्जना भएको हकमा: |        |  |
| १    | ७०० वर्गफिट सम्मका घरहरू प्रति वर्गफिट                                                                  | १.०    |  |
| २    | ७०१ देखि १००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                                                                      | २.०    |  |
| ३    | १००१ देखि १५०० वर्गफिट सम्मका घरहरू                                                                     | ३.०    |  |
| ४    | १५०१ देखि २००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                                                                     | ३.५    |  |
| ५    | २००१ देखि २५०० वर्गफिट सम्मका घरहरू                                                                     | ४.०    |  |
| ६    | २५०१ देखि ३००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                                                                     | ४.५    |  |
| ७    | ३००१ देखि ४००० वर्गफिट सम्मका घरहरू                                                                     | ५.०    |  |
| ८    | ४००० वर्गफिट देखि माथि जतिसुकै भए पनि प्रति वर्गफिट रु.५.५                                              |        |  |
| १.७  | अंशबण्डा भई आउने घरहरूको हकमा एकमुष्ट                                                                   | २०००.० |  |
| १.८  | घरनक्सा निरीक्षण दस्तुर                                                                                 | २००.०  |  |
| १.९  | घरनक्सा सर्जिमिन दस्तुर                                                                                 | ५००.०  |  |
| १.१० | नक्सा पास सम्बन्धि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी                                                               | ५००.०  |  |
| १.११ | घरनक्साको प्रमाणित प्रतिलिपी                                                                            | १०००.० |  |
| १.१२ | नक्सा संसोधन दस्तुर एकमुष्ट                                                                             | २०००.० |  |
| १.१३ | किताकाट भई नक्सा संसोधन गर्नु परेमा एकमुष्ट                                                             | १०००.० |  |

नोट:

- घरनक्सा निर्माण धरौटी रकम कूल राजस्व रकमको ५० प्रतिशत हुनेछ ।
- प्रथम चरणको ईजाजत दिँदा पेश भएको नक्सा संसोधन भई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने घरधनीहरूको धरौटी रकम फिर्ता हुनेछैन ।
- घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन आउँदा घरधनीले अनिवार्य रुपमा २ वटा विरुवा हुर्केको फोटो सहितको निवेदन पेश गरेमा मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराईनेछ ।
- सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको स्थानीय भवन निर्माण मापदण्ड निर्माण भई सो मापदण्डले तोकेको हकमा सोही बमोजिम र नतोके सम्मका लागि ईजाजत लिएको मितिले २ वर्ष भित्र वा म्याद थप भएको अवधिमा समेत घर

निर्माण सम्पन्न नभएमा चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको दरमा पुन तोकिए बमोजिम राजश्व लिईनेछ भने २ वर्ष अघि राखिएको धरौटी रकम सदर स्याहा हुनेछ ।

५. कुनै एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको र अर्को व्यक्तिको वारेसबाट निर्माण भएका घरहरुको सबै प्रक्रिया वारेस प्राप्त व्यक्तिबाट गर्नका लागि कुनै बाधा पर्ने छैन । सो कार्य धरौटी फिर्ता सम्मका लागि कायम हुनेछ ।

६. साविकमा नक्सापास दस्तुर तिरेको तर कार्यसम्पन्न नलगेको हकमा २ वर्ष म्याद नाघेको भएमा सुरुमा तिरेको दस्तुरको ५० प्रतिशत थप दस्तुर लिई रितपूर्वक नक्सापास सम्पन्न दिने ।

७. क्र.सं. ६ बमोजिम सम्पन्न नलगी पुनः संरचना विस्तार/थप गरेमा साविकको दस्तुरको थप ५० प्रतिशत जरिवाना लिएर नक्सापास सम्पन्न दिने ।

## २.सिफारिस दस्तुर:

| सि. नं. | विवरण                                                                            | दर रु.   | कैफियत                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| १       | मोही नामसारी तथा मोही बाँडफाँड                                                   | ५००।०    | थप प्रतिकृष्टा १००।           |
| २       | जग्गा नामसारी सिफारीस (मृत्यु पछिको)                                             | ६००।००   |                               |
| ३       | मोही लगतकट्टा सिफारीस                                                            | ५००।०    |                               |
| ४       | अपुताली सिफारीस                                                                  | १०,०००।० |                               |
| ५       | चार किल्ला सिफारीस                                                               | ४५०।०    | एकमुष्ट                       |
| ६       | निवेदन दस्तुर                                                                    | निशुल्क  |                               |
| ७       | पक्की घर प्रमाणित (प्रति बर्गफिट)                                                | २।५०     |                               |
| ८       | बसोवास प्रमाणित स्थायी                                                           | २००।०    |                               |
| ९       | बसोवास प्रमाणित अस्थायी                                                          | ५००।०    |                               |
| १०      | कोठा खोल्ने सिफारीस                                                              | ३००।०    |                               |
| ११      | हकभोग जोतभोग, छुट जग्गा दर्ता सिफारीस                                            | ५००।०    |                               |
| १२      | उद्योगमा आगलागी (सर्वसाधारणको गाई बस्तु चौपाईको मृत्यु भई गरिने सिफारीस निशुल्क) | निशुल्क  | बीमा प्रयोजनका लागि रु १०००।० |
| १३      | घरनक्सा पास किताव                                                                | १,०००।०  |                               |
| १४      | संघसंस्थाको बैंक खाता खोल्ने                                                     | निशुल्क  |                               |
| १५      | फर्म सूचीकृत                                                                     | १०००।०   |                               |
| १६      | एन.आर.एन.ए. नागरिकता सिफारिस                                                     | १०००।०   |                               |
| १७      | सबै प्रकारका फारम                                                                | निशुल्क  |                               |
| १८      | नाम थर संसोधन                                                                    | ३००।०    |                               |
| १९      | नागरीकता प्रमाणपत्र नयाँ                                                         | १००।०    |                               |

|    |                                                                                 |         |                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| २० | नागरीकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी सिफारीस                                           | ३००।०   |                                           |
| २१ | सर्जमिन दस्तुर                                                                  | १०००।०  |                                           |
| २२ | अंगिकृत नागरीकता सिफारीस बैबाहीक समेत                                           | ३,०००।० |                                           |
| २३ | जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, विवाह प्रमाणित                                          | ५००।०   |                                           |
|    | अविवाहित प्रमाणित                                                               | ५००।०   |                                           |
| २४ | अविवाहित प्रमाणित सर्जमिन समेत                                                  | १,५००।० |                                           |
|    | अविवाहित प्रमाणित वैदेशिक प्रयोजन/अदालती प्रयोजन                                | १,५००।० |                                           |
| २५ | चारित्रिक प्रमाणपत्र सिफारीस                                                    | ५००।०   |                                           |
| २६ | कन्सुलर प्रमाणित प्रतिपाना                                                      | ५००।०   |                                           |
| २७ | पेन्सपट्टा प्रमाणित सिफारिस नेपाली                                              | ५००।०   | अन्यको<br>हकमा<br>२,०००।०                 |
| २८ | नाता प्रमाणित गर्ने नेपाली                                                      | ५००।०   |                                           |
| २९ | नाता प्रमाणित अग्रेजी                                                           | ८००।०   |                                           |
| ३० | घरबहाल गरेको लेखाजोखा गर्ने                                                     | ३००।०   |                                           |
| ३१ | घरजग्गा गरेको लेखाजोखा गर्ने                                                    | ५००।०   |                                           |
| ३२ | जन्म मिति प्रमाणित गर्ने                                                        | ५००।०   |                                           |
| ३३ | व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, संचालनमा नरहेको, व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारीस | २५०।०   |                                           |
| ३४ | निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस                                                 | निशुल्क |                                           |
| ३५ | अग्रेजी भाषामा सिफारीस गर्ने प्रतिपाना                                          | ५००।०   |                                           |
| ३६ | नाम थर फरक परेको सिफारीस एकै व्यक्ती भएको प्रमाणित                              | ५००।०   |                                           |
| ३७ | नाम थरमा मिति संसोधन सिफारीस                                                    | ५००।०   |                                           |
| ३८ | जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रमाणपत्र बनाउन सिफारीस                                  | ५००।०   |                                           |
| ३९ | कित्ताकाट सिफारीस प्रति कट्टा                                                   | ५,०००।० |                                           |
| ४० | संरक्षण प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षण सिफारीस गर्ने           | ३००।०   |                                           |
| ४१ | मृतक सँगको नाता प्रमाणित गर्ने                                                  | २५०।०   | नेपालीमा<br>अग्रेजीको<br>हकमा रु<br>८००।० |
| ४२ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने                                                  | ५००।०   |                                           |
| ४३ | जग्गाको हक सम्बन्धि सिफारीस गर्ने                                               | ५००।०   |                                           |
| ४४ | उद्योग ठाउँसारी सिफारीस गर्ने                                                   | ५००।०   |                                           |
| ४५ | लिखत प्रमाणित दस्तुर                                                            | २००।०   |                                           |

|                                |                                                                                                  |                        |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ४६                             | आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारीस                                                                 | निशुल्क                |                   |
| ४७                             | धारा तथा विजुली जडान सिफारीस                                                                     | ५००।०                  |                   |
| ४८                             | जातीय पहिचान र जातीय सिफारीस गर्ने                                                               | ३००।०                  |                   |
| ४९                             | रुख काट्ने सिफारीस गर्ने                                                                         | १,०००।०                | थप प्रति रुख ३००। |
| ५०                             | काठ दाउरा सम्बन्धी सिफारीस                                                                       | ५००।०                  |                   |
| ५१                             | दाउरा सिफारीस प्रति ट्याक्टर                                                                     | १५००।०                 |                   |
| ५२                             | गोलिया काठ सखुवा प्रति क्यू फिट निजीवन                                                           | ६०।०                   |                   |
| ५३                             | गोलिया काठ प्रति क्यूफिट निजी वन अन्य                                                            | ३०।०                   |                   |
| ५४                             | सखुवा प्रति क्यू फिट सामुदायिक र साझेदारी वन                                                     | ६०।०                   |                   |
| ५५                             | अन्य जातका रुख प्रति क्यू फिट सामुदायिक साझेदारी वन                                              | ३०।०                   |                   |
| ५६                             | दाउरा प्रति क्यून्टल सामुदायिक र साझेदारी वन                                                     | १०।०                   |                   |
| ५७                             | सरकारी र सार्वजनिक स्थलमा आयोजना हुने मेला महोत्सव प्रदर्शनी कन्सर्ट र यस्तै अन्य (स्टल नहुनेमा) | २५,०००।०               |                   |
| <b>संस्था दर्ता तथा नविकरण</b> |                                                                                                  |                        |                   |
| ५८                             | संस्था दर्ता तथा नवीकरण सिफारिस शुल्क                                                            | ५००।०                  |                   |
| ५९                             | टोल विकास संस्था दर्ता                                                                           | २००।०                  |                   |
| ६०                             | टोल विकास संस्था नविकरण प्रति बर्ष                                                               | १००।०                  |                   |
| ६१                             | स्वीकृत पत्र वा नक्सापेश नहुने घरको फुकुवा सिफारिस दस्तुर                                        | ५००।०                  |                   |
| ६२                             | कच्चीघर प्रति वर्गफुट                                                                            | १।०                    |                   |
| ६३                             | पक्की घर सिमेन्ट जोडाईमा प्रतिवर्ग फिट                                                           | २।०                    |                   |
| ६४                             | नक्सापास नामसारी नहुँदै घर फुकुवा हुने भएमा नक्सा नामसारी दस्तुर प्रति वर्गफुट                   | १।०                    |                   |
| ६५                             | घर कायम सिफारीस                                                                                  | प्रति वर्ग फिट रु २।५० |                   |
| ६६                             | वडाबाट नगरमा व्यवसायिक कारोवारका लागि गरिने सबै प्रकारका सिफारीसहरू                              | ५००।०                  |                   |
| ६७                             | थ्रिफेज लाईन जडान सिफारीस                                                                        | २०००।०                 |                   |
| ६८                             | श्रम स्वीकृतिका लागि लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क एकुष्ट                                            | ५००।०                  |                   |
| ६९                             | मालपोत कार्यालयमा फोटो टाँस, नयाँपूजा प्राप्ति पुजा प्रतिलिपी सिफारीस                            | ५००।०                  |                   |
| ७०                             | जग्गा/कित्ता एकीकृत सिफारीस                                                                      | १०००।०                 |                   |
| ७१                             | वारीस अदालतमा म्याद थप सिफारीस                                                                   | ५००।०                  |                   |
| ७२                             | नावालीक परिचय पत्र सिफारीस                                                                       | ५००।०                  |                   |
| ७३                             | पारिवारिक विवरण प्रमाणित                                                                         | २५०।०                  |                   |

|    |                                                    |         |  |
|----|----------------------------------------------------|---------|--|
| ७४ | जग्गा बर्गिकरण सिफारिस                             | ५००।०   |  |
| ७५ | विपतजन्य सिफारिस                                   | निशुल्क |  |
| ७६ | भुमी प्रशासन सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि प्रति फाईल | ५००।०   |  |

## ३.व्यक्तीगत घटना दर्ता दस्तुर:

| सि. नं. | विवरण                                                                                                                                                          | दर रु. | कैफियत                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| १       | व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क                                                                                                                            | २००।०  | राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेबमोजिम शुल्क लाग्ने |
| २       | व्यक्तिगत घटना दर्ताको नक्कल दस्तुर                                                                                                                            | ५००।०  |                                                                  |
| ३       | व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा नागरिक अभिलेख दर्ता किताब हेरेको दस्तुर                                                                                               | २००।०  |                                                                  |
| ४       | परिचय नम्बर वा वैयक्तिक विवरणको प्रमाणीकरण सेवा बापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर                                                                          | ५।०    |                                                                  |
| ५       | जैविक विवरण वा परिचयपत्रको प्रमाणीकरणको सेवा बापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर                                                                             | १००।०  |                                                                  |
| ६       | परिचय नम्बर, वैयक्तिक विवरण, जैविक विवरण वा परिचयपत्रको प्रमाणीकरण भई सम्बन्धीत व्यक्तिको अन्य वैयक्तिक विवरण प्रदान गरे बापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर | २०।०   |                                                                  |
| ७       | परिचयपत्रको विलम्ब दस्तुर                                                                                                                                      | ५००।०  |                                                                  |
| ८       | परिचयपत्रको प्रतिलिपी दस्तुर                                                                                                                                   | २००।०  |                                                                  |

## ४. मूल्यांकन दस्तुर:

| सि.नं.            | विवरण                                                | रु.   | कैफियत |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|
| आय स्रोत प्रमाणित |                                                      |       |        |
| १                 | कृषि आय स्रोत प्रमाणित प्रति एक लाखमा                | १००।० |        |
| २                 | तलव, भत्ता, पेन्सन, व्याज, बोनस, शेयर प्रति एक लाखमा | २००।० |        |
| ३                 | यातायात तथा अन्य आयस्रोत प्रति एक लाखमा              | १००।० |        |
| ४                 | उद्योग पेशा व्यवसायको आम्दानीमा प्रति एक लाखमा       | २००।० |        |
| ५                 | धितो तथा सम्पत्ति मूल्यांकन                          | २००।० |        |

## ५.अन्य दस्तुर (दर्ता,अनुमती,ईजाजत)

| सि.नं. | विवरण | पारित रु. |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| १ | मेशिन प्रयोग गरि जग्गा सुधार कार्य, चक्लाबन्दी को लागि प्रति दिन एक कठ्ठा सम्म (उत्खननबाट निस्कने सामग्रीको निकासी गर्ने भएमा छुट्टै दस्तुर लाग्ने छ । (एक भन्दा कम भएमा सोही दरमा दामासाहीले दस्तुर लाग्नेछ ।                            | ८,०००।०                     |
| २ | मेशिन प्रयोग गरि जग्गा सुधार कार्य, चक्लाबन्दी को लागि एक कठ्ठा भन्दा बढी प्रति कठ्ठा प्रति दिन थप (उत्खननबाट निस्कने सामग्रीको निकासी गर्ने भएमा छुट्टै दस्तुर लाग्ने छ ।) एक कठ्ठा भन्दा बढी भएमा सोही दरमा दामासाहीले दस्तुर लाग्नेछ । | ८,००० प्रति कठ्ठा प्रति दिन |

|   |                                                                                                                          |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ३ | जग्गा विकास अनुमति शुल्क                                                                                                 | ५,०००।०    |
| ४ | बुदा नं. १,२ र ३ बमोजिम अनुमति दिईएकोमा तोकिएको म्याद भित्र कार्य सम्पन्न नभई म्याद थप गर्नु परेमा शुरूको इजाजत दस्तुरको | ५० प्रतिशत |

## पिच फोड्ने शुल्क

|   |                         |          |
|---|-------------------------|----------|
| १ | अस्फाल्ट पिचको          |          |
| २ | सुरुको १ मिटरमा         | १५,०००।० |
| ३ | त्यसपछि प्रत्येक मिटरमा | १०,०००।० |

## अन्य पिच बाटोमा

|   |                         |         |
|---|-------------------------|---------|
| १ | सुरुको १ मिटरमा         | ५,०००।० |
| २ | त्यसपछि प्रत्येक मिटरमा | २,०००।० |

## टावर अनुमति दस्तुर

|   |                            |          |
|---|----------------------------|----------|
| १ | टेलिफोन टावर अनुमति दस्तुर | १५,०००।० |
| २ | टेलिफोन टावर नविकरण दस्तुर | १५,०००।० |
| ३ | मोबाइल टावर अनुमति दस्तुर  | १५,०००।० |
| ४ | मोबाइल टावर नविकरण दस्तुर  | १५,०००।० |

## अन्य दस्तुर:

|   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| १ | दैनिक पत्रपत्रिका वार्षिक                  | ४,०००।०  |
| २ | साप्ताहिक एव अन्य पत्रपत्रिका वार्षिक      | ३,०००।०  |
| ३ | अनलाइन न्यूज पोर्टल                        | ५,०००।०  |
| ४ | टेलिभिजन व्यवसाय                           | ५,०००।०  |
| ५ | १०० वाट सम्मको एफ एम. रेडियो अनुमति दस्तुर | ४,०००।०  |
| ६ | चलचित्र हलको संचालन दस्तुर                 | १०,०००।० |
| ७ | जुनसुकै प्रकारको घर नक्सापास फाराम दस्तुर  | १०००।०   |
| ८ | घर मर्मत फाराम दस्तुर                      | ५००।०    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बोलपत्र फाराम दस्तुर                             | खरिद ऐन मा भएको व्यवस्था अनुसार |
| १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पक्की घरको लागि नम्बर प्लेट दस्तुर               | १००।०                           |
| ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कच्ची घरको लागि नम्बर प्लेट दस्तुर               | ५०।०                            |
| १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | डिजिटल नम्बर प्लेट                               | ३००।०                           |
| <b>बिद्युत सम्बन्धी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                 |
| १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | केन्द्रीय बिद्युत लाईनको पोल प्रति पोलको बार्षिक | १००।०                           |
| २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | साधारण पोल प्रति पोलको बार्षिक                   | ७५।०                            |
| ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ट्रान्सफर्मरप्रति ट्रान्सफर्मरको बार्षिक         | १,००।०                          |
| ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तार लाईन प्रति मिटरको बार्षिक                    | १००।०                           |
| <b>नेपाल टेलिकम</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                 |
| १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | साधारण पोल प्रति पोलको बार्षिक                   | २००।०                           |
| २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तार लाईन प्रति मिटर बार्षिक                      | १०।०                            |
| ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्याबिनेटप्रति एकको बार्षिक                      | १००।०                           |
| ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | केबूल लाईन तार प्रति मिटर बार्षिक                | १००।०                           |
| <b>खानेपानी पाईप लाईन बिस्तार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                 |
| १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ठुलो पाईप २० इन्च प्रति मिटर बार्षिक             | १०।०                            |
| २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अन्य सानो पाईप प्रति मिटर बार्षिक                | ५।०                             |
| <b>चलचित्र छायांकन शुल्क</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                 |
| १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नेपाली चलचित्र छायांकनमा प्रति दिन               | ५,०००।०                         |
| २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विदेशी चलचित्र छायांकनमा प्रति दिन               | १०,०००।०                        |
| ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अन्य छायांकनमा प्रति दिनको                       | २,०००।०                         |
| <b>प्रचार प्रसार स्टल: ४ फुट लम्बाई र ४ फुट चौडाई प्रतिदिन</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                 |
| १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व्यावसायिक प्रयोजन                               | ३,००।०                          |
| २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सूचनामूलक सामग्री                                | १०००।०                          |
| ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निजी स्थलमा कार्यक्रम आयोजना प्रति दिन           | २०००।०                          |
| <p>सुन्दरहरैँचा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सडक किनारा, फुटपाथ, सार्वजनिक जग्गा आदिमा पोल, क्याबिनेट, ट्रान्सफर्मर, तार आदी नगरपालिकाको नियमानुसार स्वीकृति लिएका हकमा मात्र, अन्यको हकमा नगरपालिकाकोले जुनसुकै बेला हटाउन सक्नेछ ।</p> <p>नक्सापास गराई घर निर्माणको जग खन्ने प्रयोजनको लागि एक दिन सम्म मेशिन प्रयोग गर्न कुनै शुल्क लाग्ने छैन तर मेशिन प्रयोग गर्नको लागि सम्बन्धीत वडा कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्ने छ । साथै वडा</p> |                                                  |                                 |

कार्यालयबाट जग खन्ने प्रयोजनको लागि एक दिन भन्दा बढी अवधिको अनुमति दिन पाईने छैन । कृषि प्रयोजनकालागि जग्गा सम्प्राप्त गर्ने कार्य गर्दा कृषक समुह दर्ता-कृषक दर्ता र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेतका आधारमा कृषि कार्यकालागि नगर कृषि समितिको निर्णयानुसार ३ दिन मेशिन प्रयोग गर्दा दस्तुर लाग्ने छैन । अन्य कार्यको हकमा जेसीभि प्रयोग गरेको प्रति घण्टा १,८०० । लाग्नेछ ।

#### ६.शिक्षा तर्फ:

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                 | दर रु.     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १        | संस्थागत विद्यालय स्तर वृद्धि/कक्षा थपको लागि आवेदन फारम दस्तुर (शिक्षा शाखा वा वडा कार्यालयमा मात्र) | ५००।       |
| २        | संस्थागत विद्यालय कक्षा थप संचालन अनुमति दस्तुर पूर्व प्रा.वि. वा मन्टेश्वरी                          | २५,०००।०   |
| ३        | संस्थागत विद्यालय कक्षा थप संचालन अनुमति दस्तुर आधारभुत तह                                            | ५०,०००।०   |
| ४        | संस्थागत विद्यालय कक्षा थप संचालन अनुमति दस्तुर कक्षा ९ र १०                                          | १,५०,०००।० |
| ५        | संस्थागत विद्यालय कक्षा थप संचालन अनुमति दस्तुर कक्षा ११ र १२                                         | २,००,०००।० |
| ६        | विद्यालयको प्रोपाइटरको नामसारी दस्तुर                                                                 | १५,०००।०   |
| ७        | विद्यालयको नाम परिवर्तन                                                                               | १५,०००।०   |
| ८        | विद्यालयको ठाँउसारी दस्तुर                                                                            | २०,०००।०   |
| ९        | विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य सिफारिस दस्तुर                                                             | १,०००।०    |
| १०       | कक्षा ८ को मार्कसिट प्रतिलिपी                                                                         | ५००।०      |
| ११       | विदेशी शिक्षण संस्थाका प्रमाण पत्र समकक्षता निर्धारण                                                  | १०००।०     |
| १२       | कक्षा ८ को नगस्तरिय परिक्षा पुनर्योग प्रति विषय                                                       | २००।०      |
| १३       | कक्षा ८ को नामथर सच्चाउने                                                                             | २००।०      |
| १४       | शिक्षक नियुक्ति अभिलेख व्यवस्थापन सामुदायिक स्कुल                                                     | २,०००।०    |
| १५       | संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनयन दर्ता सामुदायिक स्कुल                             | १,०००।०    |
| १६.      | कक्षा ८ को ग्रेडसिट प्रतिलिपी                                                                         | ५००।०      |
| १७.      | कक्षा ८ को पुनर्योग परिक्षा दस्तुर प्रतिविषय                                                          | २००।०      |
| १८.      | बैंक खाता खोल्न सिफारिस                                                                               | निशुल्क    |

| विद्यालय वर्गिकरण दस्तुर |                            |         |
|--------------------------|----------------------------|---------|
| सि.नं.                   | विवरण                      | रु.     |
| १                        | क वर्गका संस्थागत विद्यालय | ७५०००।० |

|   |                            |         |
|---|----------------------------|---------|
| २ | ख वर्गका संस्थागत विद्यालय | ४५०००।० |
| ३ | ग वर्गका संस्थागत विद्यालय | २५०००।० |

| परीक्षा शुल्क: |                                                               |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| सि.नं.         | विवरण                                                         | रु.   |
| १              | संस्थागत विद्यालयको कक्षा ८ को परीक्षा शुल्क प्रति विद्यार्थी | ४००।० |

## ७. कृषि तर्फ:

| क्र.स | विवरण                                                | रु.                                   |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| १     | कृषक समुह दर्ता                                      | ३००।०                                 |
| २     | कृषक समुह नवीकरण                                     | २००।०                                 |
| ३     | रासायनिक मल बिक्रेता इजाजत प्रमाण पत्र               | ५००।०                                 |
| ४     | रासायनिक मल बिक्रेता नवीकरण प्रमाण पत्र              | ३००।०                                 |
| ५     | कृषि संजाल सदस्यता प्रमाण पत्र व्यक्तिगत फर्म        | १००।०                                 |
| ६     | कृषि संजाल सदस्यता प्रमाण पत्र नवीकरण व्यक्तिगत फर्म | ५०।०                                  |
| ७     | कृषि संजाल सदस्यता प्रमाण पत्र सहकारी, समुह          | २००।०                                 |
| ८     | कृषि संजाल सदस्यता प्रमाण पत्र नवीकरण सहकारी, समुह   | १००।०                                 |
| ९     | नवीकरण विलम्ब शुल्क                                  | प्रति वर्ष नवीकरण दस्तुरको ५० प्रतिशत |
| १०    | प्रमाणपत्र प्रतिलिपी शुल्क                           | १००                                   |

नोट: कार्यालयबाट जारी भएका जुनसुकै प्रकारका सिफारिस ३५ दिन नाघेपछि पुनः लिन आएमा सुरु दस्तुरको २५ प्रतिशत जरिवाना लिई पुनः जारी गरिदिने ।

## ८. न्यायीक दण्ड जरिवाना जफत:

| सि.न. | विषय                      | विवरण                                                                                | रु.      | कैफियत                                                             |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| १     | लिखत प्रमाणित             | घर सारमा तयार भएको लिखत प्रमाणित वा पारित गर्नुपर्ने कागजात प्रमाणित गर्दा प्रति लाख | रु. १००। | मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (४) बमोजिम |
| २     | उजुरी/विवाद निवेदन दस्तुर | न्यायिक समितिमा दिइने निवेदन पत्रमा                                                  | रु. १००। |                                                                    |

|   |                                            |                                                                                                                                                                 |              |                                                          |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| ३ | उजुरी/विवाद फिरादपत्र<br>दस्तुर            | न्यायिक समिति मा<br>दर्ता गर्दा                                                                                                                                 | रु. १००।     | नगरपालिका न्यायिक समिति<br>(कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ |
| ४ | प्रतिवादकर्ता दस्तुर/म्याद<br>सूचना दस्तुर | न्यायिक समितिमा<br>प्रतिवाद दर्ता गर्दा                                                                                                                         | रु. १०।०     | नगरपालिका न्यायिक समिति<br>(कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ |
| ५ | नक्कल दस्तुर                               | क. नक्कलको हकमा<br>(न्यायिक समितिको<br>सकल) पानाको<br>प्रति पृष्ठको र<br>समितिको निर्णय<br>कागजको हकमा<br>प्रति सकल पानाको<br>प्रति पृष्ठ (फोटो<br>खिचेको समेत) | रु. ५।०      |                                                          |
| ६ | क. घरबहाल उजुरी दस्तुर                     | घरबहाल उजुरी दर्ता<br>गर्दा प्रति लाख<br>विगोमा रु                                                                                                              | रु.<br>१००।० | स्थानीय सरकार संचालन ऐन,<br>२०७४ को दफा ४७ (१) को<br>(ज) |
| ७ | निवेदन विवाद/उजुरी शुल्क                   | नगर तथा वडा<br>कार्यालयमा<br>न्यायिक समिति<br>बाहेकका<br>उजुरी/विवाद<br>निवेदन शुल्क                                                                            | रु.१०        |                                                          |
| ८ | निवेदन विवाद/उजुरी शुल्क                   | नगर तथा वडा<br>कार्यालयमा<br>न्यायिक समिति<br>बाहेकका<br>उजुरी/विवाद दर्ता<br>शुल्क                                                                             | रु.१००       |                                                          |

|    |                                                           |                                                                                                  |          |  |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| ९  | कागज प्रमाणित<br>शुल्क/कन्सुलर प्रमाणित<br>प्रयोजनको लागि | वडा कार्यालयबाट<br>प्रदान गरिएका<br>कागजहरूको<br>नगरपालिकाबाट<br>प्रमाणित गर्दा प्रति<br>पृष्ठको | रु.५००।० |  |
| १० | बालबालिका उजुरी                                           | १८ वर्ष भन्दा<br>मुनीका<br>बालबालिकाको<br>हकमा<br>उजुरी/फिराद दर्ता<br>गर्दा                     | निशुल्क  |  |
| ११ | जेष्ठ नागरिक                                              | ७० वर्ष भन्दा<br>माथिका जेष्ठ<br>नागरिकको हकमा<br>उजुरी/फिराद दर्ता<br>गर्दा                     | निशुल्क  |  |
| १२ | महिला सहायता तथा<br>परामर्श कक्षबाट<br>उजुरी/फिराद        | नगरपालिकाको<br>महिला सहायता<br>तथा परामर्श<br>कक्षबाट हुने<br>उजुरी/फिराद दर्ता<br>गर्दा         | निशुल्क  |  |

## ९. घरबाटो सिफारिस:

| क्र.स. | विवरण                                                                | रु.   | कैफियत |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| १      | लोकमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरूको हकमा प्रति धुर रु                     | ३००।० |        |
| २      | अन्य व्यवसायिक र आवासिय क्षेत्रमा परेका जग्गाहरूको हकमा प्रति धुर रु | २००।० |        |
| ३      | मिश्रीत क्षेत्रमा परेका जग्गाहरूको हकमा प्रति धुर रु                 | १५०।० |        |

|   |                                                           |       |         |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|---------|
| ४ | कृषि क्षेत्रमा परेका जग्गा बाटोले छोएको हकमा प्रतिधुर रु  | १००।० |         |
| ५ | कृषि क्षेत्रमा परेका जग्गा बाटोले नछोएको हकमा प्रतिधुर रु | २०।०  |         |
| ६ | मृत्युपछीको नामसारी प्रतिधुर रु                           | १०।०  |         |
| ७ | कच्ची घर सिफारिस                                          | ५००   | एकमुष्ट |

नोट: १. संयुक्त नाममा दर्ता भई हकदावी छोड्नेहरुको हकमा वर्गिकरणमा तोकिएको शुल्को ५० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ साथै कुनै व्यक्तिले संघसंस्थालाई निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने हकमा उक्त जग्गाको घरबाटो सिफारिस दस्तुर प्रतिधुर ५०।० लिएर सिफारिस गरिदिने तर कुनै व्यक्तिले नगरपालिका तथा अन्य सरकारी कार्यालयलाई निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन चाहेमा सामान्य सिफारिस दस्तुर लिई सिफारिस गरिदिने ।

२. कार्यालयबाट जारी भएका जुनसुकै प्रकारका सिफारिस ३५ दिन नाघेपछी पुनः लिन आएमा सुरु दस्तुरको २५ प्रतिशत जरिवाना लिई पुन जारी गरिदिने । तर आर्थिक वर्ष फरक परेमा पुरै दस्तुर लाग्नेछ ।

**१०. अंशबण्डा, तिनपुस्ते बकस, दाईजो, बैकिङ्ग प्रयोजनका लागि प्रतिधुर रु को सट्टा देहाय अनुसार कायम गर्ने**

| क्र.सं. | विवरण                              | रु.    | कैफियत |
|---------|------------------------------------|--------|--------|
| १       | पन्ध्रधुर सम्मको                   | १५०।०  |        |
| २       | पन्ध्रधुर देखि एक कठ्ठा सम्मको     | ७००।०  |        |
| ३       | एककठ्ठा देखि तिन कठ्ठा सम्म        | १०००।० |        |
| ४       | तिनकठ्ठा देखि पाँच कठ्ठा सम्म      | १५००।० |        |
| ५       | पाँचकठ्ठा देखि दस कठ्ठा सम्म       | २०००।० |        |
| ६       | दसकठ्ठा देखि एक विगाहा सम्म        | २५००।० |        |
| ७       | एकविगाहा देखितिन विगाहा सम्म       | ३५००।० |        |
| ८       | तिनविगाहा देखि माथि प्रति विगाह थप | १०००।० |        |

नोट: एकाघरका परिवार वाहेक अन्य व्यक्तिलाई वकस दिन चाहेमा तोकिएबमोजिमकै शुल्क लाग्नेछ ।

**११. अमिनबाट जग्गा नापजाँच दस्तुर:**

| क्र.सं. | विवरण                             | पारित रु. | कैफियत |
|---------|-----------------------------------|-----------|--------|
| १       | २० धुर सम्मको                     | ५००।०     |        |
| २       | ३ कठ्ठा सम्मको                    | १०००।०    |        |
| ३       | १० कठ्ठा सम्मको                   | १५००।०    |        |
| ४       | २० कठ्ठा सम्मको                   | २०००।०    |        |
| ५       | १ विगाहादेखि माथि जति सुकै भए पनि | २५००।०    |        |

**१२. पुर्वाधार सेवाको मर्मतमा लाग्ने शुल्क:**

| क्र.स. | विवरण                                       | दैनिक दर | वार्षिक | कैफियत |
|--------|---------------------------------------------|----------|---------|--------|
| १      | हाईवा                                       | १२०।०    | १५०००।० |        |
| २      | ट्रिफर                                      | १००।०    | १२०००।० |        |
| ३      | लहरी                                        | ३००।०    | ८०००।०  |        |
| ४      | भाडाका जीप, कार तथा हलुका सवारी साधन        | २५।०     | २०००।०  |        |
| ५      | भाडाका बस                                   | ४०।०     | ८०००।०  |        |
| ६      | ट्रक्टर लगायतका बाँकी सवारी साधन लगायत अन्य | ६०।०     | ७०००।०  |        |

## १३. फोहोरमैला शुल्क:

| क्र.सं.                         | विवरण                                      | मासिक सेवा शुल्क (रु.) | वार्षिक सेवा शुल्क (रु.) | कैफियत |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| <b>१. घरायसी शुल्क :</b>        |                                            |                        |                          |        |
| १                               | साधारण काठका घर                            | ५०                     | ६००                      |        |
| २                               | पक्का घर १ तला                             | १००                    | १२००                     |        |
| ३                               | पक्का घर २ तला                             | १५०                    | १८००                     |        |
| ४                               | पक्का घर २ तला माथि                        | २००                    | २४००                     |        |
| ५                               | घरमा १ भन्दा बढी किचन भएमा प्रति किचन थप   | १००                    | १२००                     |        |
| <b>२. स्वास्थ्य संस्थाहरु :</b> |                                            |                        |                          |        |
| १                               | साना एक सटरमा रहेको क्लिनिक                | १५०                    | १८००                     |        |
| २                               | दुई सटरमा रहेको क्लिनिक                    | २००                    | २४००                     |        |
| ३                               | सो भन्दा माथि रहेको क्लिनिक                | ३००                    | ३६००                     |        |
| ४                               | ठूला क्लिनिक                               | ५००                    | ६०००                     |        |
| ५                               | अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक १५ बेडसम्मको | १५००                   | १८०००                    |        |
| ६                               | अस्पताल ५० बेडसम्म                         | २०००                   | २४०००                    |        |
| ७                               | अस्पताल १०० बेडसम्म                        | ३०००                   | ३६०००                    |        |
| ८                               | अस्पताल १०० बेड माथि प्रती बेड थप          | ५०००                   | ६००००                    |        |
| <b>३. पसलहरु :</b>              |                                            |                        |                          |        |
| १                               | साधारण पसलहरु एक सटरमा भएको                | १५०                    | १८००                     |        |
| २                               | खाद्य पसलहरु सानो एक सटरमा भएको            | १५०                    | १८००                     |        |

|    |                                          |     |      |  |
|----|------------------------------------------|-----|------|--|
| ३  | खाद्य पसल ठुलो दुई सटरमा भएको            | २०० | २४०० |  |
| ४  | साधारण मिठाई पसलहरु                      | १५० | १८०० |  |
| ५  | मिठाई पसल साथै होटेल नास्ता हरु भएमा     | ५०० | ६००० |  |
| ६  | होलसेलर                                  | २५० | ३००० |  |
| ७  | पेट्रोल पम्पहरु                          | २५० | ३००० |  |
| ८  | पेट्रोल पम्प साथै अन्य कुनै व्यवसाय भएमा | ५०० | ६००० |  |
| ९  | चार चक्के गाडी सोरुम मात्र               | ३०० | ३६०० |  |
| १० | बाईक सोरुम मात्र                         | ३०० | ३६०० |  |
| ११ | हार्डवेयर, मार्बल, टायल, पेन्ट्स         | ३०० | ३६०० |  |
| १२ | पान पसल मात्र                            | १५० | १८०० |  |
| १३ | पान सहित ग्रसरी पसल भए                   | २०० | २४०० |  |
| १४ | ग्रसरी एक सटरमा भएको पसल                 | १५० | १८०० |  |
| १५ | ग्रसरी ठुला पसल विभिन्न सामाग्री भए      | २०० | २४०० |  |
| १६ | स्टेशनरी एक सटरमा भएको पसल               | १५० | १८०० |  |
| १७ | स्टेशनरी ठुलो पसल                        | २५० | ३००० |  |
| १८ | स्टेशनरी, फोटोकपी सहित                   | ३०० | ३६०० |  |
| १९ | फोटो कपी पसल                             | १५० | १८०० |  |
| २० | फोटो स्टुडियो सानो                       | १५० | १८०० |  |
| २१ | फोटो स्टुडियो ठुलो                       | २०० | २४०० |  |
| २२ | सामान्य सुन चादी पसल                     | १०० | १२०० |  |
| २३ | ठुला सुन चादी पसलहरु                     | १५० | १८०० |  |
| २४ | औषधी पसल एक सटरमा भएको सुई हरु बाहेक     | १५० | १८०० |  |
| २५ | औषधी पसल दुई सटरमा भएको सुई हरु बाहेक    | ३०० | ३६०० |  |
| २६ | औषधी पसल ठूलो                            | ५०० | ६००० |  |
| २७ | केमिकल पसलहरु सामान्य                    | २०० | २४०० |  |
| २८ | तरकारी र फलफूल दूबै भएको पसल             | ३०० | ३६०० |  |
| २९ | तरकारी पसल एक सटर सानो                   | १५० | १८०० |  |
| ३० | तरकारी पसल दुई सटर                       | २५० | ३००० |  |
| ३१ | तरकारी पसल ठूलो                          | ३५० | ४२०० |  |
| ३२ | तरकारी पसल होलसेल                        | ५०० | ६००० |  |
| ३३ | फलफूल पसल एक सटर                         | १५० | १८०० |  |



|                     |                                            |      |       |    |
|---------------------|--------------------------------------------|------|-------|----|
| ३४                  | फलफूल पसल दुई सटर                          | २५०  | ३०००  |    |
| ३५                  | फलफूल पसल ठूलो                             | ३५०  | ४२००  |    |
| ३६                  | फलफूल होलसेल पसल                           | ५००  | ६०००  |    |
| ३७                  | फलफूल जूस पसल सानो                         | २००  | २४००  |    |
| ३८                  | फलफूल जूस पसल ठूलो                         | ३५०  | ४२००  |    |
| ३९                  | सामान्य साना किराना पसल                    | १५०  | १८००  |    |
| ४०                  | किराना पसल दुई सटरसहितको ठूलो              | ३००  | ३६००  |    |
| ४१                  | किराना पसल दुई सटरभन्दा माथिको             | ५००  | ६०००  |    |
| ४२                  | फैन्सी कपडा, कस्मेटिक, भाडा बर्तन पसल      | १५०  | १८००  |    |
| ४३                  | स्टेशनरी, पुस्तक, रेडियो, टिभि, मोबाईल पसल | २००  | २४००  |    |
| ४४                  | एग्रोभेट सानो                              | २००  | २४००  |    |
| ४५                  | एग्रोभेट ठूलो                              | ३००  | ३६००  |    |
| ४६                  | घडि, जुत्ता, चप्पल पसल                     | १५०  | १८००  |    |
| ४७                  | डेरी पसलहरू                                | २००  | २४००  |    |
| ४८                  | सटरमा राखिएको चटपटे पसल                    | २००  | २४००  |    |
| ४. माछा मासु पसल :  |                                            |      |       |    |
| १                   | मासु पसल एक सटरमा भएको बेच्ने मात्र        | ५००  | ६०००  |    |
| २                   | मासु पसल दुई सटरमा भएको बेच्ने मात्र       | ७००  | ८४००  |    |
| ३                   | माछा, मासु र कुखुरा समेत भए बेच्ने मात्र   | ५००  | ६०००  |    |
| ४                   | माछा, मासु र कुखुरा काटेर बेच्ने मात्र     | ७००  | ८४००  |    |
| ५. होटल एवं लजहरू : |                                            |      |       |    |
| १                   | सामान्य सरचनामा भएका साना पसलहरू           | १५०  | १८००  |    |
| २                   | खाजा पसलहरू एक सटर भएको                    | १५०  | १८००  |    |
| ३                   | खाजा पसलहरू दुई सटर भएको                   | २००  | २४००  |    |
| ४                   | खाजा पसलहरू ठूलो                           | ३००  | ३६००  |    |
| ५                   | चिया तथा नास्ता सानो                       | १५०  | १८००  |    |
| ६                   | चिया तथा नास्ता मध्यम                      | २००  | २४००  |    |
| ७                   | चिया तथा नास्ता ठूलो                       | ३००  | ३६००  |    |
| ८                   | साधारण लजहरू होटल बिना                     | ५००  | ६०००  |    |
| ९                   | खाना खुवाउने होटल सहितको लजहरू             | १००० | १२००० |    |
| १०                  | एक तारा सम्मका होटल                        | २००० | २४००० | थप |

|    |                                                          |       |        | प्रति<br>तारा             |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
| ११ | सामान्य क्याफे तथा कफी सपहर                              | ३००   | ३६००   |                           |
| १२ | ठुला क्याफे तथा कफी सपहर                                 | ५००   | ६०००   |                           |
| १३ | साना बेकरी बिक्री गर्ने पसल                              | २५०   | ३०००   |                           |
| १४ | ठुला बेकरी खाने ठाउँ सहित भएमा                           | ३००   | ३६००   |                           |
| १५ | रेष्टुरेन्टहरू सानो                                      | ५००   | ६०००   |                           |
| १६ | रेष्टुरेन्टहरू मध्यम                                     | ७००   | ८४००   |                           |
| १७ | रेष्टुरेन्टहरू ठूलो                                      | १०००  | १२०००  |                           |
| १८ | थोक मदिरा पसल                                            | २००   | २४००   |                           |
| १९ | मदिरा पसल सानो                                           | ३००   | ३६००   |                           |
| २० | मदिरा पसल दुई सटर मध्यम                                  | ५००   | ६०००   |                           |
| २१ | मदिरा पसल दुई सटर भन्दा ठूलो                             | ७००   | ८४००   |                           |
| २२ | सानो मार्ट मल २ सटर सम्मको                               | ३००   | ३६००   |                           |
| २३ | सानो मार्ट मल ४ सटर सम्मको                               | ५००   | ६०००   |                           |
| २४ | सानो मार्ट मल ४ सटर भन्दा ठूलो                           | ७००   | ८४००   |                           |
| २५ | भाटभटेनि जस्ता लगाएत ठुला मलहरू                          | १०००० | १२०००० |                           |
| २६ | गोर्खा डिपार्टमेन्ट तथा अन्य यस्तै मलहरू                 | ५०००  | ६००००  |                           |
| २७ | सिंगल सिनेमाहल                                           | १५००  | १८०००  |                           |
| २८ | डबल सिनेमाहल                                             | ३०००  | ३६०००  |                           |
| २९ | सिनेमाहल, क्याफेटेरिया भए                                | ६०००  | ७२०००  |                           |
| ३० | पार्टी प्यालेस र वैकंट सानो                              | २०००  | २४०००  |                           |
| ३१ | पार्टी प्यालेस र वैकंट मझौला                             | ३०००  | ३६०००  |                           |
| ३२ | पार्टी प्यालेस र वैकंट तथा एक विवाह मण्डप                | ३५००  | ४२०००  |                           |
| ३३ | पार्टी प्यालेस र वैकंट तथा दुई विवाह मण्डप               | ४०००  | ४८०००  |                           |
| ३४ | पार्टी प्यालेस र वैकंट तथा दुई भन्दा बढी विवाह           | ५०००  | ६००००  |                           |
| ३५ | सामान्य सामुदायिक भवनहरू, जेष्ठ नागरिक भवन, पुस्तकालय    | १००   | १२००   |                           |
| ३६ | विवाह कार्य हुने सामुदायिक भवनहरू भएमा १ कार्यक्रम बराबर | ७००   | ८४००   | कार्यक्रम<br>महरू<br>हुदा |
| ३७ | सार्वजनिक आश्रमहरू                                       | ०     | ०      | निशु<br>ल्क               |

|    |                           |     |      |                   |
|----|---------------------------|-----|------|-------------------|
| ३८ | मन्दिर, १ कार्यक्रम बराबर | ५०० | ६००० | कार्यक्रमहरू हुदा |
|----|---------------------------|-----|------|-------------------|

## ६. कार्यालयहरू :

|    |                                                             |      |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| १  | सहकारी क्वाटर हरू                                           | २५०  | ३०००  |  |
| २  | १ मन्त्रालय भएको कार्यालय (क्यान्टिग सहित)                  | ७००  | ८४००  |  |
| ३  | २ भन्दा बढी मन्त्रालय भएको कार्यालय (क्यान्टिन बाहेक)       | १००० | १२००० |  |
| ४  | नेपाल सरकारका कार्यालयहरू                                   | ३००  | ३६००  |  |
| ५  | नेपाल सरकारका ठुला संस्थान तथा कार्यालयहरू (क्यान्टिन सहित) | ५००  | ६०००  |  |
| ६  | अर्ध सरकारी कार्यालयहरू                                     | ५००  | ६०००  |  |
| ७  | बैंक तथा वित्त संस्थानहरू क्यान्टिन सहित                    | ७००  | ८४००  |  |
| ८  | क वर्गको बैंक                                               | १००० | १२००० |  |
| ९  | ख वर्गको बैंक                                               | ७००  | ८४००  |  |
| १० | ग वर्गको बैंक                                               | ५००  | ६०००  |  |
| ११ | घ वर्गको बैंक                                               | ३००  | ३६००  |  |
| १२ | सहकारी संस्थाहरू                                            | ३५०  | ४२००  |  |
| १३ | गैर सरकारी संस्थाहरू                                        | ५००  | ६०००  |  |
| १४ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू                          | ५००  | ६०००  |  |
| १५ | साधारण निजी कार्यालयहरू                                     | २००  | २४००  |  |
| १६ | मध्यम निजी कार्यालयहरू                                      | ३००  | ३६००  |  |
| १७ | ठुला निजी कार्यालयहरू                                       | ५००  | ६०००  |  |

## ७. सेवा र मनोरञ्जन :

|   |                                       |     |      |  |
|---|---------------------------------------|-----|------|--|
| १ | सैलुन पसल सानो गुमती भएको             | १०० | १२०० |  |
| २ | सैलुन पसल एक सटरको                    | १५० | १८०० |  |
| ३ | सैलुन पसल दुई सटरको                   | ३५० | ४२०० |  |
| ४ | सैलुन पसल दुई सटर भन्दा ठूलो          | ५०० | ६००० |  |
| ५ | स्पा सेन्टर मात्र भएमा                | ५०  | ६००  |  |
| ६ | स्पा सेन्टर तथा युनी सेक्स सैलुन भएमा | ८०० | ९६०० |  |
| ७ | सामान्य ब्युटी पार्लर                 | १५० | १८०० |  |
| ८ | ठुला ब्युटी पार्लर                    | २०० | २४०० |  |
| ९ | व्यामसाला साना तथा सामान्य            | ३०० | ३६०० |  |

|    |                                      |     |      |  |
|----|--------------------------------------|-----|------|--|
| १० | व्यामसाला ठुला                       | ५०० | ६००० |  |
| ११ | पेन्टर पसलहरु सानो एक सटरको          | १५० | १८०० |  |
| १२ | कलर ल्यावहरु                         | १०० | १२०० |  |
| १३ | टेलर्स पसलहरु साना                   | १०० | १२०० |  |
| १४ | टेलर्स पसलहरु ठुला                   | २५० | ३००० |  |
| १५ | सामान्य बाईक वर्कशपहरु १ सटरमा भएको  | ३०० | ३६०० |  |
| १६ | बाईक वर्कशपहरु ठुला १ सटर भन्दा माथि | ५०० | ६००० |  |
| १७ | सोरुम बाईक सर्भिस सेन्टर             | ८०० | ९६०० |  |
| १८ | अन्य पसलहरु                          | २०० | २४०० |  |

**द. उद्योग :**

|    |                                                          |      |       |  |
|----|----------------------------------------------------------|------|-------|--|
| १  | श मिल                                                    | २००  | २४००  |  |
| २  | राइस मिल                                                 | २००  | २४००  |  |
| ३  | प्रिन्टिङ्ग प्रेसहरु                                     | २००  | २४००  |  |
| ४  | प्रिन्टिङ्ग प्रेस अपसेट सहितको                           | ३५०  | ४२००  |  |
| ५  | प्रिन्टिङ्ग प्रेस अपसेट र प्याकेजिङ्ग सहितको             | ५००  | ६०००  |  |
| ६  | हार्डवेयर सानो                                           | ३००  | ३६००  |  |
| ७  | हार्डवेयर र प्लम्बिङ्ग सामान                             | ३००  | ३६००  |  |
| ८  | हार्डवेयर, प्लम्बिङ्ग, सिमेन्ट सहित सामान                | ३००  | ३६००  |  |
| ९  | हार्डवेयर सबै सामान राख्ने                               | ५००  | ६०००  |  |
| १० | साना उद्योग वा फ्याक्ट्रीहरु सामान्य फोहोर उत्पादन भएमा  | ५००  | ६०००  |  |
| ११ | ठुला उद्योग तथा फ्याक्ट्रीहरु सामान्य फोहोर उत्पादन भएमा | १००० | १२००० |  |
| १२ | सामान्य ग्रिल उद्योग पसल                                 | ३००  | ३६००  |  |
| १३ | ठुला ग्रिल उद्योग                                        | ५००  | ६०००  |  |

**९. शैक्षिक संस्थाहरु:**

|   |                                                                            |      |       |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| १ | निजी बाल विकास केन्द्र चमेना गृह बाहेक                                     | ३५०  | ४२००  |     |
| २ | निजी बाल विकास र ५ कक्षा सम्म चमेना गृह बाहेक                              | ५००  | ६०००  |     |
| ३ | निजी बाल विकास र ८ कक्षा सम्म चमेना गृह बाहेक                              | ७५०  | ९०००  |     |
| ४ | बोडिङ्ग स्कुल १० कक्षा सम्म १००० बिध्यार्थी सम्म चमेना गृह र होस्टेल बाहेक | १००० | १२००० |     |
| ५ | बोडिङ्ग स्कुल प्लस टु सम्म चमेना गृह र होस्टेल बाहेक                       | १२०० | १४४०० |     |
| ६ | सामुदायिक स्कुलहरु                                                         | ०    | ०     | नि: |

|                             |                                                                   |      |       | शु<br>ल्क |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|
| ७                           | सामुदायिक स्कुलहरुमा रहेका कक्षा १० सम्मको सामान्य क्यान्टिङहरु   | ४००  | ४८००  |           |
| ८                           | सामुदायिक स्कुलहरुमा रहेका कक्षा १० भन्दा माथि रहेका क्यान्टिङहरु | ७००  | ८४००  |           |
| ९                           | निजी कलेज क्याम्पसहरु                                             | १२०० | १४४०० |           |
| १०                          | सुधार गृह १५ जनाभन्दा तल भएमा                                     | ४००  | ४८००  |           |
| ११                          | सुधार गृह १५ जनाभन्दा माथि भएमा                                   | ६००  | ७२००  |           |
| <b>१०. पार्टस पसल :</b>     |                                                                   |      |       |           |
| १                           | साईकल, मोटरसाईकल, गाडी पार्टस पसल सानो                            | १५०  | १८००  |           |
| २                           | मोटरसाईकल, गाडी मर्मत सेन्टर                                      | ५००  | ६०००  |           |
| ३                           | मर्मत सहितको पार्टस पसल                                           | २५०  | ३०००  |           |
| ४                           | सानो ग्यारेज                                                      | ३००  | ३६००  |           |
| ५                           | ठूलो ग्यारेज                                                      | ५००  | ६०००  |           |
| ६                           | ईरिक्सा ग्यारेज                                                   | २५०  | ३०००  |           |
| ७                           | साईकल बनाउने पसल                                                  | १५०  | १८००  |           |
| <b>११. ड्राईभिङ सेन्टर:</b> |                                                                   |      |       |           |
| १                           | ड्राईभिङ सेन्टर                                                   | २००  | २४००  |           |
| २                           | चमेनागेह भए थप                                                    | २००  | २४००  |           |
| <b>१२. कवाडी सेन्टर :</b>   |                                                                   |      |       |           |
| १                           | साना कवाडी                                                        | ५००  | ६०००  |           |
| २                           | ठुला कवाडी                                                        | १००० | १२००० |           |
| <b>१३. शिसा पसल :</b>       |                                                                   |      |       |           |
| १                           | सिसा बेच्ने तथा फ्रेम पसल एक सटरको                                | २००  | २४००  |           |
| २                           | सिसाको फ्रेम पसल दुई सटरको                                        | ३५०  | ४२००  |           |
| ३                           | सिसाको फ्रेम पसल ठुलो                                             | ५००  | ६०००  |           |
| <b>१४. विद्युत पसल :</b>    |                                                                   |      |       |           |
| १                           | विद्युत पसल                                                       | १५०  | १८००  |           |
| २                           | विद्युत पसल तथा मर्मत                                             | २५०  | ३०००  |           |
| <b>१५. अन्य :</b>           |                                                                   |      |       |           |
| १                           | कृषि संस्थाहरु                                                    | २००  | २४००  |           |
| २                           | दुग्ध उत्पादन संस्थाहरु                                           | २५०  | ३०००  |           |

|   |                                                                                              |     |      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| ३ | सामान्य कुखुरा पालन केन्द्रहरु                                                               | ३५० | ४२०० |  |
| ४ | ठुला कुखुरा पालन केन्द्रहरु                                                                  | ६०० | ७२०० |  |
| ५ | नर्सरीहरु                                                                                    | १५० | १८०० |  |
| ६ | गोदाम घर सानो                                                                                | २५० | ३००० |  |
| ७ | गोदाम घर ठुलो                                                                                | ३०० | ३६०० |  |
| ८ | फुटपाथका पसल, ठेलागाडिमा बेच्ने चटपटे, ममः, घुपचूप, चिया, लस्स, आईसक्रीम, फलफुल आदि मासिक भए | २५० | ३००० |  |

**१६. बजारहरु :**

|   |                 |      |       |  |
|---|-----------------|------|-------|--|
| १ | खोसनि बजार      | १५०० | १५००० |  |
| २ | बुधबारे बजार    | ३००० | ३०००० |  |
| ३ | हरैँचा बजार     | १५०० | १५००० |  |
| ४ | सलकपुर बजार     | २००० | २०००० |  |
| ५ | मृगौलिया बजार   | १५०० | १५००० |  |
| ६ | गोठगाउँ बजार    | १५०० | १५००० |  |
| ७ | गछिया बजार      | १५०० | १५००० |  |
| ८ | आइतबारे पशु हाट | १५०० | १५००० |  |
| ९ | बेलेपुर बजार    | ५००  | ५०००  |  |

नोट : माथी उल्लेख भए वाहेकका अन्यको हकमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

क) तोकिएको भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइनेछैन ।

ख) माथि उल्लेखित सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ ।

ग) फोहोरको मात्रा हेरी सेवा प्रदायक संस्था र सेवाग्राही बीच आपसी समझदारीमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र सेवा लिन/दिन सकिनेछ ।

घ) सेवाग्राहीले १ वर्षको एकमुष्ट सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले १ महिना बराबरको रकम अनिवार्य छुट गर्ने वा १३ महिनाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुपर्ने छ ।

मासिक फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क नगरपालिका भित्रका देहायका क्षेत्रहरुबाट उत्पादन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन बापत देहायमा उल्लेखित दरमा मासिक फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क लगाई अशुल उपर गरिनेछ ।

सरसफाई शुल्क बापत लाग्ने रकम आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को वार्षिक रकम एकमुष्ट पौष मसान्त सम्ममा बुझाएमा १० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।

**१४. सुन्दरहरैँचा नगर अस्पताल:**

| सि न | विवरण                                | दररेट   |
|------|--------------------------------------|---------|
| १    | मापसे परिक्षण                        | ५००।००  |
| २    | प्रहरीको पत्रबाट घाउ चेक जाँच        | ५००।००  |
| ३    | निरोगिता प्रमाणपत्र प्याकेजमा        | १०००।०० |
| ४    | नगदमा एनामोलिक स्क्यान               | ३०००।०० |
| ५    | विशेषज्ञ सेवा प्रवेश सुल्क           | २००।००  |
| ६    | नगदमा गरीने भिडियो एक्सरे            | १०००।०० |
| ७    | नगदमा गरीने थाईराईड परिक्षण          | ८००।००  |
| ८    | नगदमा गरिने भिटामिन डि               | १५००।०० |
| ९    | नगदमा भिटामिन B12                    | १२००।०० |
| १०   | नगदमा सिविसी                         | ४००।००  |
| ११   | नगदमा टाईफाईट एन्टिबडी               | ६००।००  |
| १२   | नगदमा एलफटी / आरफटी                  | ८००।००  |
| १३   | ओजेटी विध्यार्थी कार्यअवधी भर        | ४०००।०० |
| १४   | डेगो परीक्षण नगदमा                   | ४००।००  |
| १५   | लिपिड प्रोफाईल                       | ८००।००  |
| १६   | ईसिजी नगदमा                          | ३००।००  |
| १७   | कान सफा गर्ने नगदमा                  | २००।००  |
| १८   | नेजल प्याकिड नगदमा                   | ४००।००  |
| १९   | मेजर ड्रेसिड नगदमा                   | ५००।००  |
| २०   | माईनर ड्रेसिड नगदमा                  | २००।००  |
| २१   | स्टिचिड रिमुभल नगदमा                 | २००।००  |
| २२   | स्वीचरीड १० भन्दा बढी भएमा नगदमा     | १५००।०० |
| २३   | स्वीचरीड १० भन्दा कम भएमा भएमा नगदमा | ७००।००  |
| २४   | एमाईलेज परिक्षण नगदमा                | ३००।००  |
| २५   | लाईपेज परिक्षण नगदमा                 | ३००।००  |

|                                                                                      |                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| २६                                                                                   | पिटीआईएनआर परिक्षण नगदमा       | ३००।०० |
| २७                                                                                   | एसजीओटी एसजीपीटी परिक्षण नगदमा | २००।०० |
| २८                                                                                   | पेरीफेरल ब्लड स्मियर नगदमा     | २००।०० |
| २९                                                                                   | युरीक एसिड नगदमा               | १५०।०० |
| ३०                                                                                   | टाईफाईड एन्टीजेन एन्टीवडी      | ४००।०० |
| ३१                                                                                   | एचवीएवानसी                     | ७००।०० |
| ३२                                                                                   | सोडिएम पोटासियम नगदमा          | ३००।०० |
| ३३                                                                                   | एपीटीटी परिक्षण नगदमा          | २५०।०० |
| ३४                                                                                   | एक्सरे नगद सिङ्गल भ्यू         | ४००।०० |
| ३५                                                                                   | एक्सरे नगद डबल भ्यू            | ५००।०० |
| ३६                                                                                   | एक्सरे नगद त्रिवल भ्यू         | ७००।०० |
| अन्य विषयहरूको हकमा अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयानुसार हुनेछ । |                                |        |



## अनुसूची-११

(ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्री

| क्र.सं. | शीर्षक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इकाई            | दर (मु अ कर बाहेक) |                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| १       | ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, चिप्स, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख, कटिड ढुङ्गा (दहत्तर वहत्तर) (स्वीकृत खानीक्षेत्र बाहेक)                                                                                                                                                                                                                                      | प्रति क्यू. फिट | रु.१०१-            | कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३ बमोजिम |
| २       | माटो, भरौट, बलौट (दहत्तर वहत्तर) (स्वीकृत खानीक्षेत्र बाहेक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रति क्यू. फिट | रु.४१-             |                                   |
| ३       | गत विगत वर्ष सङ्कलन भई बाँकी रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको स्टक प्रमाणित,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रति क्यू. फिट | रु.०।५०            |                                   |
| ४       | नदी/खोला किनाराको बाहेक निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, बालुवा बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुर                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रति क्यू. फिट | रु.६१-             |                                   |
| ५       | नदी/खोला किनाराको बाहेक निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको माटो, भरौट, बलौट, बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुर                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रति क्यू. फिट | रु.२१-             |                                   |
| ६       | क्र. सं १ र २ मा तोकिएको दर प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन तथा बिक्री गर्नको लागि स्थानीय तहले कायम गर्ने न्यूनतम मूल्य वा दर सम्झनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोत बिक्रीको बिल बिजक जारी गर्ने गराउने र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कर दाखिला सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।                                                                                                       |                 |                    |                                   |
| ७       | क्र.सं. १ र २ को नदीजन्य पदार्थको शुल्क सङ्कलनका लागि स्थानीय तहले तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशन गर्दा पनि ठेक्का बन्दोवस्त नभएमा सङ्कलन तथा घाटगद्दी र बिक्रीको लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाउन सक्नेछ । यसरी सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरिएको सामग्रीलाई बिक्री गर्ने ठेक्काको न्यूनतम मूल्य कायम गर्दा तोकिएको शुल्कमा सङ्कलन तथा घाटगद्दी लागत समावेश गरी बिक्री दर कायम गर्नुपर्नेछ । |                 |                    |                                   |
| ८       | माथि उल्लिखित क्र.सं. १ र २ को शुल्क सम्झौता गर्दाको बखत एकमुष्ट बुझाउने भएमा कबोल अंकमा १० प्रतिशत छुट दिई बाँकी रकम दाखिला गर्न लगाई सम्झौता गर्न सकिनेछ । शुल्क सङ्कलनको सम्झौता अनुसार उठेको मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा राजस्व शीर्षक ३३३१७ (मू.अ.कर बेदर्तावालाबाट गर्ने सङ्कलन) मा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।                     |                 |                    | कोशी                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ९  | "ढुङ्गा ,गिट्टी ,बालुवा ,माटो ,चट्टान ,दहत्तर बहत्तर "भन्नाले बहुमूल्य पत्थर ,ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका शालीग्राम ,शिला र अति मूल्यवान् वस्तु बाहेकलाई सम्झनुपर्छ।                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रदेश<br>आर्थिक<br>ऐन<br>२०८३<br>बमोजिम |
| १० | स्टक राख्ने स्थानका सम्बन्धमा स्थानीय तहको अनुमति लिनु पर्नेछ। सार्वजनिक स्थान, नदी किनारा तथा वन क्षेत्रमा स्टक राख्न पाईने छैन। स्थानीय तहसँग अनुमति लिइ स्टक गरिएको प्राकृतिक स्रोतको स्टक प्रमाणित गर्नका लागि स्थानीय तहले सूचना निकाल्न सक्नेछ र क्र.सं. ३ बमोजिमको शुल्क लिई प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा स्टक प्रमाणित गरिदिन सक्नेछ। यसरी विगत वर्षको समेत स्क प्रमाणित गर्नुपर्ने भएमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुल्क लिई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। |                                          |
| ११ | व्यक्ति, कम्पनी वा फर्मले निजी जग्गाबाट माटो विक्री गर्दा जग्गा धनीले नै कति क्यू. फिट माटो विक्री गर्ने हो यकिन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सो सम्बन्धमा स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा तोकिएको दर अनुसार हुने एकमुष्ट शुल्क लिएर अनुमति दिन सक्नेछ।                                                                                                                                                                                     |                                          |
| १२ | सार्वजनिक जग्गा र खोला/नदी किनाराको बाहेक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजी जग्गाको माटो, ढुङ्गा तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गर्दा निम्न कुरामा विचार गरेर मात्र स्थानीय तहले स्वीकृत दिनुपर्ने छः                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|    | (क) साँध सिमानामा पर्ने जग्गा धनीको लिखित स्वीकृति भएको हुनुपर्नेछ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|    | (ख) माटो उत्खनन्बाट प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग, सार्वजनिक तथा मानवीय वासस्थान, भौगोलिक संरचना, साँध सिमानामा रहेको छिमेकीको जग्गाको संरचना, कुलो नहर, सडक, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत भवन लगायतको संरचना आदिमा कुनै किसिमको असर नपर्ने हुनुपर्नेछ।                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|    | (ग) वातावरणमा असर पर्ने सम्भावना रहेको वा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको वा स्थानीय तहले तोकेको निश्चित परिमाण भन्दा बढी उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा निवेदकबाट वातावरणीय अध्ययन गराएर मात्र अनुमति दिनुपर्नेछ।                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|    | (घ) व्यक्ति, कम्पनी वा फर्मले निजी स्वामित्वको जग्गाको माटो आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि उत्खनन् गर्दा स्वघोषणा गरी स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ, यसरी अनुमति लिँदा यस अनुसूची बमोजिमको शुल्क लाग्ने छैन।                                                                                                                                                                                                                                               | कोशी<br>प्रदेश<br>आर्थिक                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | खोला वा नदीले बहाव परिवर्तन गरी वा नगरी निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाबाट बग्ने खोला वा नदीको दुवै तर्फको किनारा वा ढिलसम्म रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तरको विक्री गर्दा स्थानीय तहले क्र.सं.१ र २ मा उल्लिखित दरमा गर्नुपर्नेछ।                                                                                                   | ऐन<br>२०८३<br>बमोजिम |
| १३ | प्रदेशभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायको ठेक्का अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्य गर्दा आयोजना स्थलबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुङ्गा, ग्राभेल, खरीढुङ्गा वा स्लेट लगायतका प्राकृतिक स्रोतको हकमा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता वा स्थानीय तहसँगको सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ। |                      |
|    | तर त्यस्तो ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको वा सम्झौता नभएको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आयोजना स्थलबाट प्राप्त प्राकृतिक स्रोतलाई यस अनुसूचीको क्र.सं. १ र २ मा उल्लेखित दरमा नघट्ने गरी विक्री गर्नुपर्नेछ। यसरी प्राप्त हुने शुल्क स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गरी यस ऐन बमोजिम बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।                                    |                      |
| १४ | स्थानीय तहले जफत गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर, प्राकृतिक स्रोत विक्री गर्दा यस अनुसूचीमा तोकिएको दरमा विक्री गर्न सक्नेछ।                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|    | क्र.सं. ३ बमोजिम स्टक प्रमाणित गर्दा सम्बन्धित व्यवसायीले निवेदनको साथमा खरिद गरेको भ्याट विल, स्टक राखेको जग्गाको धनिपुर्जा (बहालमा भए बहाल सम्झौता) पेश गर्नुपर्नेछ। साथै स्टक प्रमाणित गर्ने क्रममा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष तथा स्थानीय प्रहरीको रोहवरमा स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का समेत गर्नुपर्नेछ।                                                        |                      |

## अनुसूची-१२

(ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

ट्रेकिङ, कयोकिङ, क्यानोईङ, बन्जी जम्पीङ, जपप्लायर, प्यारागलाईडिङ र र्‍याफिटिङ शुल्क

| क्र.सं. | पर्यटकीय खेलकुद तथा मनोरंजनात्मक सेवा व्यवसाय                                                                 | २०८३।०८४ वार्षिक शुल्क रु | कैफियत |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| १       | दोहोरी साँझ डान्स बार वार्षिक रु                                                                              | ५,०००।००                  |        |
| २       | फन पार्क, वाटर गार्डन, बाल उद्यान लगायत मनोरन्जनात्मक स्थलको प्रवेश लगायतको विभिन्न क्रियाकलापको टिकट मूल्यको | ३ प्रतिशत                 |        |
| ३       | एक महिना सम्म जादु सर्क तथा मेला तथा मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम संचालन गराए बापत प्रतिदिन                        | २,०००।००                  |        |
| ४       | एक महिनाभन्दा बढी जादु सर्कस तथा मेला तथा मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम संचालन गराए बापत प्रति महिना रु             | ५,५००।००                  |        |
| ५       | दोहोरी साँझ डान्स बार वार्षिक रु                                                                              | ५,०००।००                  |        |

## अनुसूची-१३

(ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

सम्पत्ति, जग्गा तथा सवारी साधन बहाल कर

| क्र.सं. | सम्पत्ति विवरण                        | बहालकर को दर                                                                                                                                                                     | कैफियत      |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १.      | दुलारी ४ नं. वडा कार्यालयमा रहेका सटर | न्यूनतम ४३०० देखि ११००० सम्म                                                                                                                                                     |             |
| २.      | हरैँचा बजारमा रहेका सटर               | प्रति सटर ४०००।०                                                                                                                                                                 |             |
| ३.      | जे.सि.भी. प्रतिघन्टा                  | प्रति घन्टा १४००।०                                                                                                                                                               | ईन्धन वाहेक |
| ४.      | वडा कार्यालयमा रहेका हल               | दैनिक २०००।००                                                                                                                                                                    |             |
| ५.      | बुधवारे भवन ठेक्का सम्बन्धमा          | नगर विकास कोष सँग भएको सम्झौता बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्ने । यसरी प्रकाशित सूचन बमोजिम ठेक्का बन्दोवस्त हुन नसकेमा कार्यपालिकाले निर्णय गरि न्यूनतम कबोल अंक पुनःनिर्धारण गर्ने । |             |

**अनुसूची-१४**  
**(ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)**  
**कर तथा शुल्कमा छुट**

| क्र.सं | विवरण                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | चालु आर्थिक वर्षको कर असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सम्पत्ति कर र भूमिकर (मालपोत) मा १० प्रतिशत छुट दिईनेछ तथा वक्यौदा रकममा भने कुनै प्रकारको छुट दिईने छैन ।                                                                |
| २      | चालु आर्थिक वर्षको व्यवसाय कर असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा १० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।                                                                                                                                           |
| ३      | कृषि उत्पादन प्रशोधन व्यवसाय र कृषि तथा पशु व्यवसाय दर्तामा १० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।                                                                                                                                          |
| ४      | अपाङ्गता भएका, पिछ्छुडिएका महिलाहरुले व्यवसाय संचालन गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।                                                                                                                                           |
| ५      | अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग सहित घर निर्माण गर्दा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्गको मात्र (पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग भएमा) नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।                                                         |
| ६      | चालु आ.व. देखि दैवी विपत्तिमा परेका परिवारले मापदण्ड बमोजिमको घर निर्माण गर्न पेश गरेको नक्सापास दस्तुर सम्बन्धी विशेष व्यवस्था सम्बन्धमा एक हजार स्क्वायरफिटको ग्राउण्ड लेवलसम्म नक्सापास दस्तुरमा १०० प्रतिशत छुट दिईनेछ । |
| ७      | ग्रामिण इलाकाहरुमा पर्यटकको क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु निर्माणमा नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।                                                                                                                       |
| ८      | दलित जनजाती आदिवासीहरुको मौलिकता झल्कने व्यवसायम/उद्योगमा दर्ता शुल्क नलाग्ने ।                                                                                                                                              |
| ९      | घरदेखी घाट सम्म सववहान सेवा निशुल्क तर स्वेच्छिक रुपमा तिर्न चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्न सक्ने ।                                                                                                                        |

**अनुसूची-१५**  
**(ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)**  
**दण्ड जरिवाना**

| क्र.स                                  | विवरण                                                                                                                                   | ०८३/८४ को लागि<br>तोकिएको दस्तुर रकम रु    |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| १                                      | अनुमति नलिई प्लटिङ गरेमा ५ कठ्ठा सम्म                                                                                                   | ५० हजार                                    |  |
| २                                      | अनुमति नलिई प्लटिङ गरेमा ५ कठ्ठा भन्दा माथी                                                                                             | १ लाख                                      |  |
| ३                                      | आय ठेक्का वाहेकका न.पा बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, भाडा तथा बहाल रकम सोही आर्थिक वर्ष भित्र तथा तोकिएको समय भित्र नबुझाएमा त्यसपछि वार्षिक | १५ प्रतिशत                                 |  |
| <b>निषेधित क्षेत्रमा व्यवसाय गरेमा</b> |                                                                                                                                         |                                            |  |
| ४                                      | कार्टुन/डोकामा व्यवसाय गरेमा                                                                                                            | पहिलो पटक ५००।० र<br>पटकेमा रु १,०००।०     |  |
| ५                                      | ठेलागाडामा व्यवसाय गरेमा                                                                                                                | पहिलो पटक २,०००।० र<br>पटकेमा रु ५,०००।०   |  |
| ६                                      | जिप/भ्यान मा व्यवसाय गरेमा                                                                                                              | पहिलो पटक ५,००० र<br>पटकेमा रु १०,०००      |  |
| ७                                      | मिनी ट्रक, ट्रयाक्टर                                                                                                                    | पहिलो पटक ७,००० र<br>पटकेमा रु १२,०००      |  |
| ८                                      | ट्रक, बस                                                                                                                                | पहिलो पटक १०,०००। र<br>पटके मा रु १५,०००।० |  |
| ९                                      | निषेधित क्षेत्रमा निर्माण सामाग्री राखेमा                                                                                               | रु १०,०००।०                                |  |
| १०                                     | सार्वजनिक स्थानमा विभिन्न प्रकारका फोहर मैला फालेमा                                                                                     | १५,०००।०                                   |  |
| ११                                     | छतको पानी, बाथरुमको पानी, किचनको पानी सार्वजनिक स्थानमा फालेमा                                                                          | रु २,०००।०                                 |  |

**नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन वा विक्री वितरणमा यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेमा लाग्ने जरिवाना:**

| क्र.सं. | कसूरको किसिम                                                                                                                                                                                                      | जरिवाना (रु.)                                                                                  | कोशी प्रदेश<br>आर्थिक<br>ऐन<br>२०८३<br>बमोजि<br>म |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| क       | विना अनुमति वा अवैध रूपमा उत्खनन् वा सङ्कलन गरेको पाइएमा वा खोला/नदीको पानी बगेको क्षेत्रमा उत्खनन् वा सङ्कलन गरेमा वा खोला वा नदीको बहाव परिवर्तन गरी उत्खनन् गरेमा वा निषेधित क्षेत्रमा उत्खनन् वा सङ्कलन गरेमा | प्रति मेसिन वा उपकरणको<br>जरिवाना:<br>(क) स्काभेटर रु.<br>२,००,०००।००<br>(ख) ब्याक हो लोडर रु. |                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १,००,०००।००                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ग) ट्रिपर वा ट्रक<br>रु. १,००,०००।००                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (घ) मिनी ट्रक वा मिनी<br>ट्रिपर रु. ५०,०००।००                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ङ) ट्रयाक्टर रु.<br>२५,०००।०० उल्लेखित<br>दरमा जरिवाना गरी उत्खनन्<br>वा सङ्कलन गरिएको<br>सामग्री जफत र तोकिएको<br>शुल्कको दोब्बरले हुन<br>आउने रकम थप जरिवाना<br>असूल गरिने। |
| ख | बिहान ८ बजे अघि र बेलुकी ६ बजे पश्चात उत्खनन् वा सङ्कलन गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रु. १०,०००।- प्रति पटक                                                                                                                                                         |
| ग | तोकिएको भन्दा बढी सङ्ख्यामा मेशिन प्रयोग गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
| घ | प्रत्येक पटकको ढुवानीमा राजस्व तिरेको निस्सा वा भ्याट बिल र चलान पुर्जा साथमा रहेको नभेटिएमा।                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
| ङ | निजी जग्गाको अप्रशोधित सामग्रीको ढुवानीका हकमा स्थानीय तहले जारी गरेको उत्खनन् अनुमतिपत्र, प्रत्येक पटकको चलान पुर्जा र राजस्व तिरेको निस्सा साथमा नभेटिएमा                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| च | अनुमति लिई वा ठेक्का सम्झौता गरी उत्खनन् गर्ने व्यवसायीले खोला वा नदीको बगेको क्षेत्रमा उत्खनन् वा सङ्कलन गरेमा वा खोला वा नदीको बहाव परिवर्तन गरी उत्खनन् गरेमा वा तोकिएको भन्दा बढी गहिराइमा वा क्षेत्रफलमा सङ्कलन तथा उत्खनन् गरेमा वा निषेधित क्षेत्रमा उत्खनन् वा सङ्कलन गरेमा वा ठेक्का शर्तको उल्लङ्घन गरेमा वा प्रचलित वातावरणीय कानूनको विपरीत हुने गरी उत्खनन् गरेमा | सामग्री जफत गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम जरिवाना बढी उत्खनन् भएको परिमाणमा यस ऐन बमोजिम तोकिएको दरमा राजस्व असूल गर्ने।                                       |
| छ | स्थानीय तहले विक्री गरेको नदीजन्य पदार्थ राजमार्ग वा मुख्य सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा भण्डारण गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                  | रु. ५०,०००।- जरिवाना गर्ने।                                                                                                                                                    |
| ज | नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गरी राजमार्ग वा मुख्य सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा भण्डारण गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                            | सामग्री जफत गरी सामग्रीको मूल्यको दोब्बर वा रु. ५०,०००।- मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही वरावरको जरिवाना।                                                                             |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| झ                                                | पानी, हिलो, धूलो वा गिट्टी चुहाउँदै, उडाउँदै वा झाडैं नदीजन्य सामग्रीको ढुवानी गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रु. ५,०००।- प्रति पटक, पटकेमा दोब्बर                |  |
| ञ                                                | उत्खनन्, विक्री वा ढुवानी अभिलेख नराखेमा, उत्खनन् स्थलमा सूचना पाटी नराखेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रु. ५,०००।- प्रति पटक, पटकेमा दोब्बर                |  |
| ट                                                | प्रचलित कानूनले अनुमति दिएको वा क्षमता भन्दा बढी ढुवानी गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रु. १५,०००।- प्रति पटक, पटकेमा दोब्बर               |  |
| ठ                                                | सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम बाहेकको बाटो, समय, गति वा सवारीमा ढुवानी गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रु. १५,०००।- प्रति पटक, पटकेमा दोब्बर               |  |
| ड                                                | स्थानीय तहबाट स्टक राख्ने अनुमति नलिई भण्डारण गरेमा वा स्टक प्रमाणित नगराई ढुवानी गरेमा स्टक रहेको परिमाणको यसै ऐन बमोजिम स्टक प्रमाणितका लागि तोकिएको दरको दोब्बर दस्तुर असुल गर्नुपर्नेछ।<br>निजी जग्गाको प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन तथा विक्री गर्दा वा आयोजना स्थलमा निस्किएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय तहको अनुमति नलिई वा राजस्व नबुझाई उत्खनन् वा विक्री गरेमा उत्खनन् भएको परिमाणमा यस ऐन बमोजिम तोकिएको दरको राजस्व असुल गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम जरिवाना समेत गर्नु पर्नेछ। |                                                     |  |
| क्र.सं. १२ देखि १५ सम्मको कसुर पुनः दोहोर्‍याएमा |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तोकिएको जरिवानाको दोब्बर जरिवाना                    |  |
| १२                                               | क. पानी, हिलो, धूलो वा गिट्टी चुहाउँदै, उडाउँदै वा झाडैं नदीजन्य सामग्रीको ढुवानी गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रु. ५,०००/- प्रति पटक, पटकेमा दोबर, तेबर हुँदै जाने |  |
|                                                  | ख. उत्खनन, विक्री वा ढुवानी अभिलेख नराखेमा, उत्खनन स्थलमा सूचना पाटी नराखेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |
| १३                                               | क. प्रचलित कानूनले अनुमति दिएको वा क्षमता भन्दा बढी ढुवानी गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५,०००/- प्रति पटक, पटकेमा दोबर, तेबर हुँदै जाने    |  |
|                                                  | ख. रुट तोकिएको भए तोकिएको बाहेकको रुट, समय, गति वा संख्यामा ढुवानी गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |
|                                                  | ग. खानीजन्य पदार्थको ढुवानी गर्दा प्रत्येक पटकको ढुवानीमा खानी सञ्चालक वा खानीजन्य उद्योगको चलान पुर्जा विना ढुवानी गरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |
| १४                                               | यस अनुसूची बमोजिमको कसूर मानिने कार्य गरेको सुराकी दिनेलाई जरिवाना बापत प्राप्त रकमको १० प्रतिशत पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ। कसूर मानिने कार्य गर्नेलाई पक्राउ गरी बुझाउने व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवानाबाट प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ। पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक भन्दा बढि भएमा दामासाही रुपमा दिइनेछ।                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |
| १५                                               | नक्सापास स्वीकृत नगरी घर बनाएमा प्रति वर्गफुट जुनसुकै प्रकारको घरमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तोकिएको दस्तुर को तेब्बर दस्तुर लाग्नेछ             |  |
| १६                                               | नक्सापास गरेको २ वर्ष भित्र नवीकरण गर्न आएमा नक्सापास दस्तुरको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १० प्रतिशत                                          |  |

|    |                                                                                                                             |                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| १७ | नक्सापास गरेको २ वर्ष भित्र नवीकरण गर्न नआएमा नक्सापास दस्तुरको                                                             | २५ प्रतिशत                                    |  |
| १८ | नगरपालिकाबाट लगाइएका निर्माणसम्बन्धी कार्यमा तो किएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरेमा दैनिक (म्याद थप नभएमा)                     | सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम                      |  |
| १९ | सहकारीहरूले बुझाउनु पर्ने विवरणहरू तोकिएको समयमा नबुझाएमा                                                                   | सहकारी ऐन तथा नियमावली मा व्यवस्था भए बमोजिम  |  |
| २० | सामाजिक संघ संस्थाहरूको प्रमाणपत्र २ वर्ष सम्म नवीकरण गर्न समयमा नआएमा तोकिएको दस्तुरमा थप रु                               | रु.२००।०                                      |  |
| २१ | नक्सा डिजाइन कन्सल्टेण्टहरूलाई                                                                                              |                                               |  |
| क  | पहिलो पटक गल्ती फेला पारेमा                                                                                                 | रु. २,०००।                                    |  |
| ख  | दोस्रो पटक गल्ती फेला पारेमा                                                                                                | रु. ३,०००।                                    |  |
| ग  | तेस्रो पटक गल्ती फेला पारेमा                                                                                                | रु. ५,०००।                                    |  |
| घ  | चौथो त्यसपछि पनि बारम्बार गलति गरेमा                                                                                        | रु. १०,००० सहित फर्म लाई कालो सुचिमा राख्ने । |  |
| २६ | आय संकलनको लागि ठेक्कामा दिइएका कामहरूको तोकिएको समयमा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम दाखिला नगरेमा दाखिला गर्न बाँकी रकमको मासिक | ३ प्रतिशत                                     |  |
| २७ | कर सम्बन्धी झुटो विवरण दालिला गरेमा                                                                                         | कर रकमको ५० प्रतिशत                           |  |
| २८ | अण्डरग्राउण्ड पार्किङ प्रयोजनको लागि नक्शापास गरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएमा                                                | पटककै पिच्छे रु. ५,०००।                       |  |
| २९ | राजमार्ग र मुख्य सडकको अधिकार क्षेत्रमा सङ्कलन वा सञ्चय (भण्डारण) गरेमा वा निजी जग्गाको अप्रशोधित सामग्रीको ढुवानीका हकमा   | रु. ५०,०००/-                                  |  |
| ३० | यसमा उल्लेखित बाहेक अन्य विषयका हकमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिमको जरिवाना लाग्नेछ ।                                    |                                               |  |

## संस्थागत विद्यालयका हकमा

| क्र.सं. | विवरण                                                                   | जरिवाना रकम रु.      | कैफियत |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| १       | संस्थागत विद्यालयले नियमानुसार तोकिएको छात्रवृत्ति समयमा उपलब्ध नगराएमा |                      |        |
|         | आधारभूत तहसम्म (पूर्वप्राथमिक कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म)                   | रु.२५,०००.०          |        |
|         | माध्यमिक तह कक्षा ९-१२                                                  | रु.५०,०००.०          |        |
| २       | आफ्नो विद्यालयको IEMIS मा अन्य विद्यालयको IEMIS                         | पहिलोपटक रु.३०,०००.० |        |

|   |                                                                                            |                                                                          |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|   | विवरण भरेमा                                                                                | दोश्रोपटक रु.५०,०००.०                                                    |  |
| ३ | कक्षा वा विषयको अनुमतिबिना विद्यालयहरूले विज्ञापन, सूचना तथा प्रचारप्रसार गरेमा            | रु.२०,०००.०                                                              |  |
| ४ | IEMIS विवरण निर्धारित समयमा अद्यावधिक नगरेमा वा विवरण नबुझाएमा                             | रु.२०,०००.०                                                              |  |
| ५ | मन्त्रालय, विभाग तथा पालिकाको पत्रको जवाफ, मागिएका विवरण र कागजात तोकिएको समयमा पेश नगरेमा | पहिलो पटक सचेत गराउने<br>दोस्रो पटक रु.५,०००.०<br>तेस्रो पटक रु.१५,०००.० |  |
| ६ | तोकिएका बाहेकका शीर्षक राखी शुल्क लिएमा                                                    | रु.५०,०००.०                                                              |  |
| ७ | नगरपालिकाले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएमा                                                   | रु.५०,०००.०                                                              |  |
| ८ | प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरित कार्य गरेमा (माथि उल्लिखित शीर्षक बाहेकका हकमा)      | ५०००.०                                                                   |  |

## अनुसूची-१६

(ऐनको दफा १९(क) को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

स्वघोषणा फाराम

मिति:...../...../.....

श्रीमान् वडा अध्यक्ष ज्यू  
सुन्दरहरैचा नगरपालिका  
वडा नं.....को कार्यालय ।

विषय:स्वघोषणा सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा मेरो नाममा मालपोत कार्यालय.....मा दर्ता कायम रहेको सम्पतीको विवरण तपशिल बमोजिम रहेको व्यहोरा जानकारी गराउदछु । उल्लेखित विवरण झुट्टो भएमा जुनसुकै बखत नगरपालिकाबाट नियमानुसार कार्वाही भई जरिवाना भएमा सो समेत भोग्न र वेहोर्न मञ्जुर रहेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्दछु ।

तपशिल:

| क्र.सं. | जग्गाधनीको नाम<br>थर | ठेगाना | कित्ता नं. | क्षेत्रफल |    | कैफियत |
|---------|----------------------|--------|------------|-----------|----|--------|
|         |                      |        |            | जग्गा     | घर |        |
| १.      |                      |        |            |           |    |        |
| २.      |                      |        |            |           |    |        |

नोट: सम्पती कर तथा भुमिकर मालपोत अशुल गर्ने प्रयोजनकालागि करदाता आफैले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पतीको मुल्यांकनको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ यदी कसैले करछली गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सम्पतीको झुट्टो विवरण पेश गरेमा २५ हजार रुपैया देखि १ लाख रुपैया सम्म जरिवाना गरि वुझाउनुपर्ने सम्पती कर समेत अशुलउपर हुनेछ ।

सहिष्ठाप:

जग्गा धनीको नाम थर:

ठेगाना:

मिति:

## अनुसूची-१७

(ऐनको दफा १९(ख) को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

कृषिवालीको अनुमानित मुल्य र उत्पादन: (वैदेशिक प्रयोजनका लागि बाहेक)

| वर्ष (वि.सं.) | कृषि उपज मुल्य |               |              | उत्पादन                 |                          |                         | प्रति कठ्ठा आम्दानी |      |      | बार्षिक कुल आम्दानी |
|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------|------|---------------------|
|               | धान रु./केजी   | गहुँ रु./केजी | मकै रु./केजी | उत्पादन प्रति कठ्ठा धान | उत्पादन प्रति कठ्ठा गहुँ | उत्पादन प्रति कठ्ठा मकै | धान                 | मकै  | गहुँ |                     |
| २०३३          | २              | २             | १            | ११२                     | ११७                      | १००                     | २०१                 | १४०  | २११  | ५५२                 |
| २०३४          | २              | २             | २            | ११२                     | ११७                      | १००                     | २१८                 | १५२  | २०४  | ५७४                 |
| २०३५          | २              | २             | २            | ११२                     | ११७                      | १००                     | २३७                 | १६५  | २२१  | ६२२                 |
| २०३६          | २              | २             | २            | ११२                     | ११७                      | १००                     | २५७                 | १७९  | २३९  | ६७५                 |
| २०३७          | २              | २             | २            | ११२                     | ११७                      | १००                     | २७८                 | १९४  | २६०  | ७३३                 |
| २०३८          | ३              | २             | २            | ११२                     | ११७                      | १००                     | ३०३                 | २११  | २८३  | ७९६                 |
| २०३९          | ३              | ३             | २            | ११२                     | ११७                      | १००                     | ३२८                 | २२८  | ३०६  | ८६३                 |
| २०४०          | ३              | ३             | २            | ११२                     | ११७                      | १००                     | ३५६                 | २४८  | ३३२  | ९३६                 |
| २०४१          | ३              | ३             | ३            | ११२                     | ११७                      | १००                     | ३८६                 | २६९  | ३६०  | १०१६                |
| २०४२          | ४              | ३             | ३            | ११२                     | ११७                      | १३०                     | ४१९                 | ३८०  | ३९१  | ११८९                |
| २०४३          | ४              | ४             | ३            | ११२                     | ११७                      | १३५                     | ४५४                 | ४२८  | ४२५  | १३०७                |
| २०४४          | ४              | ४             | ३            | ११२                     | ११७                      | १३५                     | ४९४                 | ४६३  | ४६१  | १४१८                |
| २०४५          | ५              | ४             | ४            | ११२                     | ११७                      | १३५                     | ५३५                 | ५०४  | ५००  | १५३८                |
| २०४६          | ५              | ५             | ४            | ११२                     | ११७                      | १३५                     | ५८१                 | ५४५  | ५४२  | १६६८                |
| २०४७          | ६              | ५             | ४            | ११२                     | ११७                      | १४०                     | ६३०                 | ६१५  | ५८८  | १८३२                |
| २०४८          | ६              | ५             | ५            | ११२                     | ११७                      | १४०                     | ६८३                 | ६६६  | ६३८  | १९८८                |
| २०४९          | ७              | ६             | ५            | ११२                     | ११७                      | १४०                     | ७४१                 | ७२२  | ६९२  | २१५६                |
| २०५०          | ७              | ६             | ६            | ११२                     | ११७                      | १४०                     | ८०४                 | ७८४  | ७५१  | २३३९                |
| २०५१          | ९              | ८             | ६            | ११२                     | ११७                      | १५०                     | ९६७                 | ९१२  | ९०६  | २७८६                |
| २०५२          | ९              | ८             | ७            | ११३                     | १२१                      | १५०                     | १०१३                | ९९०  | ९७४  | २९७७                |
| २०५३          | ९              | ८             | ७            | ११२                     | १२७                      | १५०                     | १०५६                | १०७४ | १०५६ | ३१८६                |
| २०५४          | १०             | ९             | ८            | १११                     | ११५                      | १५०                     | १०९२                | ११६६ | १०१० | ३२६८                |
| २०५५          | १०             | ९             | ८            | १२२                     | ११३                      | १५०                     | १२५५                | १२६५ | १०३९ | ३५५८                |
| २०५६          | ११             | १०            | ९            | ११८                     | ११७                      | १७०                     | १२८१                | १५५४ | ११२९ | ३९६४                |
| २०५७          | १२             | १०            | १०           | ११२                     | १२०                      | १७०                     | १२९७                | १६८६ | १२२६ | ४२१०                |
| २०५८          | १२             | ११            | ११           | ११२                     | ११७                      | १७०                     | १३५९                | १८२९ | १२४८ | ४४३६                |
| २०५९          | १३             | ११            | १२           | १२५                     | ११७                      | १७०                     | १५८१                | १९८६ | १३१८ | ४८८५                |
| २०६०          | १४             | १२            | १३           | १२७                     | ११७                      | १७०                     | १८२०                | २१५४ | १४४३ | ५४१७                |
| २०६१          | १५             | १३            | १४           | १२८                     | ११७                      | १८०                     | १८७२                | २४७५ | १५२१ | ५८६८                |
| २०६२          | १६             | १५            | १५           | १२५                     | ११७                      | १८०                     | २०६६                | २६८४ | १७८२ | ६५३१                |
| २०६३          | १८             | १८            | १६           | १२९                     | १२३                      | १८०                     | २३१०                | २९१२ | २१६४ | ७३८६                |
| २०६४          | १९             | २०            | १८           | ११९                     | ११७                      | १८०                     | २३१३                | ३१६१ | २३८४ | ७८५८                |
| २०६५          | २०             | २१            | १९           | १२१                     | १२७                      | २००                     | २४५४                | ३८१० | २६५२ | ८९१६                |
| २०६६          | २२             | २२            | २१           | १२१                     | ११७                      | २००                     | २६२०                | ४१३४ | २५२४ | ९२७८                |
| २०६७          | २२             | २३            | २२           | १२४                     | ११७                      | २००                     | २७६८                | ४४८६ | २६६२ | ९९१५                |
| २०६८          | २२             | २४            | २२           | १२६                     | ११७                      | २००                     | २८०७                | ४४८६ | २७८९ | १००८२               |
| २०६९          | २१             | २३            | २२           | १०८                     | ११७                      | २००                     | २३१५                | ४४८६ | २६६८ | ९४६९                |
| २०७०          | २६             | २७            | २२           | १११                     | ११७                      | २००                     | २९०४                | ४४८६ | ३१२५ | १०५१५               |
| २०७१          | २८             | २८            | २२           | ११०                     | ११७                      | २००                     | ३०४२                | ४४८६ | ३२६६ | १०७९४               |
| २०७२          | २८             | २९            | २३           | ११०                     | १३०                      | २००                     | ३१२३                | ४६०० | ३७१९ | ११४४२               |
| २०७३          | २८             | २९            | २३           | १४४                     | ११७                      | २००                     | ४०७७                | ४६०० | ३४३० | १२१०७               |
| २०७४          | ३०             | ३०            | २४           | ११७                     | ११७                      | २००                     | ३४५९                | ४८०० | ३४४८ | ११७०६               |
| २०७५          | ३०             | ३०            | २४           | १२४                     | ११७                      | २००                     | ३७१८                | ४८०० | ३५१८ | १२०३५               |
| २०७६          | ३१             | ३०            | २५           | १४३                     | ११७                      | २००                     | ४३५१                | ४९०० | ३५२३ | १२७७५               |
| २०७७          | ३१             | ३१            | २५           | १४४                     | १३३                      | २४०                     | ४४६४                | ६००० | ४०८३ | १४५४७               |
| २०७८          | ३२             | ३१            | २५           | १३७                     | १३७                      | २४०                     | ४३९०                | ६००० | ४२०३ | १४५९३               |
| २०७९          | ३३             | ३३            | २५           | १५०                     | १३३                      | २४०                     | ४८७५                | ६००० | ४३३३ | १५२०८               |
| २०८०          | ३४             | ३४            | २८           | १५०                     | १४०                      | २४०                     | ५०६३                | ६७२० | ४७६० | १६५४३               |
| २०८१          | ३४             | ३६            | ३०           | १५०                     | १४०                      | २४०                     | ५१३८                | ७२०० | ४९७० | १७३०८               |
| २०८२          | ३६             | ३८            | ३३           | १५०                     | १४०                      | २४०                     | ५४००                | ७९२० | ५३२० | १८६४०               |

आज्ञाले,  
गणेश राज कार्की  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको राजपत्र